खण्ड-369, अंक-5
बुधवार, 29 फाल्गुन, शक संवत् 1906
(20 मार्च, 1985 ई0)

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

# कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 369 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

---

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

1985

---

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे।

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये।

## विषय-सूची


| विषय | | | | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|---|---|---|
| उपस्थित सदस्य | .. | .. | .. | 1 |
| प्रश्नोत्तर | .. | .. | .. | 3–7 |
| भूतपूर्व सदस्य, श्री शराफत हुसैन के निधन पर शोकोद्गार | | | .. | 7–9 |
| श्री शराफत हुसैन के निधन की सूचना जिलाधिकारी द्वारा विलम्ब से भेजे जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न | | | .. | 9 |
| आगरा के ग्राम गोवरा में राजस्थान की बावरिया जाति के लोगों द्वारा राष्ट्रीय पक्षी मोर को मारने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना | | .. | .. | 9–10 |
| इलाहाबाद के कचहरी प्रांगण में हुए अग्निकांड के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना | | .. | .. | 10 |
| देवरिया के ग्राम बैजनाथपुर में हुए अग्निकांड के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना | | .. | .. | 10–11 |
| हरदोई की मार्जीनल टाउन एरिया की दयनीय स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना | | .. | .. | 11 |
| हींग की मंडी स्थित टाल हबीबुल्ला, आगरा में हुए अग्निकांड के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना | | | .. | 11 |
| बिलग्रा, इटावा के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर हुए हमले के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना | | | .. | 11–12 |
| बियार जाति को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में सम्मिलित किये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना | | | .. | 12 |
| बांदा में पेयजल संकट के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना | | | .. | 12 |
| कुर्मीडिहा, बस्ती में हुए अग्निकांड के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना | | .. | .. | 12–13 |
| भदोही, मिर्जापुर के कालीन व्यवसाइयों द्वारा नाबालिग बंधुआ मजदूरों से नाजायज काम लेने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना | | .. | .. | 13 |
| मंझनपुर, किशनपुर एवं राम गंगा नहर में पानी बन्द होने से फसलों को क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना | | | .. | 13 |
| नगरपालिका फिरोजाबाद के अधिकारियों के भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना | | .. | .. | 13–14 |

| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| नियम 801 की सूचनाओं के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न .. | 14–15 |
| औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं .. .. | 15–18 |
| उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1985 (सदन पटल पर रखी गयी) .. .. | 18–19 |
| वित्त (बिक्री-कर) अनुभाग-2 की विज्ञप्तियां (सदन के पटल पर रखी गयीं) .. .. .. | 19 |
| भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वर्ष 1982–83 का प्रतिवेदन (सिविल) (सदन के पटल पर रखा गया) .. | 19 |
| वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे 1982–83, उत्तर प्रदेश सरकार (सदन के पटल पर रखे गये) .. .. | 19 |
| उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 1982..(राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा) .. .. | 19 |
| कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव..(स्वीकृत) .. | 20–21 |
| गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्त नगर के प्रबन्ध बोर्ड में सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव..(स्वीकृत) .. | 21 |
| उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, 1985 (पुरःस्थापित किया गया) .. .. | 21 |
| कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं .. .. | 21–26 |
| श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव (जारी) .. | 26–84 |
| उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1985 (पारित) .. .. | 84 |
| उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अध्यादेश, 1985 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 1985 (संकल्प अस्वीकृत तथा विधेयक पारित) | 84–95 |
| उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1985 (पारित) .. | 95–101 |
| गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर के प्रबन्धक बोर्ड में सदस्यों के निर्वाचन कार्यक्रम की सूचना .. | 101–102 |
| नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं .. .. | 102 |
| नत्थी .. .. .. | 103 |

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

**बुधवार, दिनांक 20 मार्च, 1985**

**विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।**

---

**निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे ।**

अमरनाथ सिंह, श्री (फतेहपुर)
अरविन्द तिवारी, श्री (जालौन)
अलमेलु अम्माल, कुमारी (बस्ती)
काजी मोहिउद्दीन, श्री (सहारनपुर)
जगमोहन सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
जफर अली नकवी, श्री (लखनऊ)
जयराम वर्मा, श्री (फैजाबाद)
डूंगर सिंह, श्री (हमीरपुर)
दुर्गा प्रसाद, श्री (आजमगढ़)
देव कुमार यादव, श्री (बांदा)
नरेन्द्र सिंह, कुंवर (सहारनपुर)
नरेन्द्र सिंह, चौधरी (कानपुर)
नेक चन्द्र पाण्डेय, श्री (कानपुर)
पद्मा सेठ, श्रीमती (सीतापुर)
प्रवीण कुमार शर्मा, श्री (बुलन्दशहर)
बाबूराम यादव, श्री (मैनपुरी)
बिहारी लाल दोहरे, श्री (फर्रुखाबाद)
मंगलदेव, श्री (गोंडा)
मुलायम सिंह यादव, श्री (इटावा)
मुस्तमन्द अली खां, श्री (मथुरा)
मोहम्मद अकिल, श्री (मुरादाबाद)
(उर्फ मुन्ना मियां)
मोहम्मद वसीम, हाजी (रायबरेली)
राकेशधर त्रिपाठी, श्री (इलाहाबाद)
रामबहादुर, श्री (जौनपुर)
राजेन्द्र सिंह, श्री (अलीगढ़)
राजेन्द्र सिंह, श्री (एटा)
राम सेवक, श्री (सुल्तानपुर)
लोकेन्द्र दत्त, श्री (टेहरी-गढ़वाल)
विक्रमादित्य पाण्डेय, श्री (बलिया)
विजय लक्ष्मी, श्रीमती (बलिया)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री (गोरखपुर)
शारदानन्द अंचल, श्री (बलिया)
शिव बालक, श्री (रायबरेली)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
संजय सिंह, राजकुमार (सुल्तानपुर)
सुरेन्द्र, श्री (गाजीपुर)
हर नारायन सिंह, श्री (रायबरेली)
हरिशंकर तिवारी, श्री (गोरखपुर)

---

नोट—निम्नलिखित मंत्री के अतिरिक्त सभी मंत्री उपस्थित थे ।

1—सिब्ते रजी—शिक्षा एवं मुस्लिम वक्फ ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

## प्रश्नोत्तर

### बुधवार, दिनांक 20 मार्च, 1985 ई0
### अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

## तापीय विद्युत गृहों में धुयें से होने वाले प्रदूषण के रोकने हेतु उपयुक्त संयत्र स्थापित करने का सुझाव

**1--श्री जयदीप सिंह--

क्या पर्यावरण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में स्थित सभी तापीय विद्युत गृहों से निकलने वाले धुएं में मिलो सल्फर-डाई-आक्साइड के कारण तेजाबी वर्षा एवं रासायनिक प्रदूषण इत्यादि का भारी खतरा पैदा हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने सभी तापीय विद्युत गृहों में सल्फर डाई-आक्साइड को धुएं से निकालने के संयन्त्र स्थापित कर दिए हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वित्त एवं नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)--

प्रदेश में स्थित तापीय विद्युत गृहों में जो कोयला प्रयोग किया जा रहा है उसमें सल्फर की मात्रा लगभग 0.5 से 2.0 प्रतिशत तक ही रहती है । अतः तापीय विद्युत गृहों की ऊंची चिमनियों से निकलने वाले धुएं में सल्फर डाई-आक्साइड की मात्रा बहुत कम रहती है तथा तेजाबी वर्षा की इस समय सम्भावना नहीं है । अतः सल्फर डाई-आक्साइड नियंत्रण हेतु तापीय विद्युत गृहों में इस समय किसी प्रकार की नियंत्रण व्यवस्था की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती । फिर भी तापीय विद्युत गृहों को उपयुक्त संयत्र स्थापित करने हेतु उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सुझाव दिये गये हैं और इस समस्या पर नियंत्रण पाने की निकट भविष्य में सम्भावना है ।

श्री जयदीप सिंह--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस बात को ध्यान में रखते हुए जैसा कि उन्होंने अपने मूल उत्तर में भी कहा है कि तापीय विद्युत गृहों की ऊंची चिमनियों से निकलने वाले धुएं में सल्फर डाई आक्साइड होती है और उससे ही तेजाबी वर्षा की जन्मदाता है और इससे पर्वतीय क्षेत्र की भूमि प्रभावित होती है, क्योंकि इससे वातावरण में अम्लीय तत्व बढ़ जाता है जिससे विषैली गैस और तेजाबी वर्षा के कण धातुओं और पानी में आने लगते हैं । क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने अपना यह उत्तर किस आधार पर दिया है कि तेजाबी वर्षा की सम्भावना नहीं है ? क्या उन्होंने इस संबंध में कोई अनुश्रवण कराया है कि इससे तेजाबी वर्षा नहीं हो रही है ? यदि नहीं करवाया है तो किस आधार पर उन्होंने यह बात अपने उत्तर में कही है ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

इसमें श्रीमन, जैसा मूल उत्तर में कहा गया है उसमें ऐसा है कि तापीय विद्युत गृहों में जो कोयला प्रयोग किया जा रहा है उसमें सल्फर की मात्रा लगभग 0.5 से 2.0 प्रतिशत तक की ही रहती है जो कि बहुत ही नगण्य है । अतः इससे तेजाबी वर्षा की इस समय कोई सम्भावना नहीं हो सकती है । दूसरे चिमनियों की हाईट 200 मीटर से लेकर 220 मीटर तक हो गयी है उससे जो धुआं निकलता है वह चारों तरफ एयर में फैलता चला जाता है । जहां का वेट एटमासफियर होगा वह इससे मिल कर हल्का सल्फ्यूरिक एसिड दे सकता है । लेकिन यहां का एटमासफियर ड्राई रहता है इससे अभी यहां तेजाबी वर्षा होने की सम्भावना नहीं है । इस लिए यहां इसके नियंत्रण की व्यवस्था करने का भी प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि तापीय विद्युत गृहों को उपयुक्त संयंत्र स्थापित करने हेतु

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कुछ सुझाव दिये हैं ? यदि हां, तो उसे पढ़कर सुनाने की कृपा करें ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

जी हां, सुझाव दिये हैं। उन्होंने इस संबंध में दो तरह के उपकरण लगाने की बात कही है। पहली सल्फर डाई आक्साइड को रोकने के लिए जिसे स्क्रब (Scrub) किया जाना चाहिए। दूसरा जो कार्बन के पार्टिकिल्स धुएं में निकलते हैं उसके लिए इलैक्टों स्टेटिक प्रिसिपिटेटर्स लगाने की बात की है। उत्तर प्रदेश में जो थरमल प्लांट हैं उन सब ने इलैक्ट्रो स्टेटिक प्रिसिपिटेटर्स के लिए लगाये जाने हैं जो यूज नहीं कर रहे हैं उनमें एक बिड़ला का प्लांट भी है लेकिन वह दूसरे रूप में उपकरण का उपयोग कर रहा है।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

माननीय मन्त्री जी ने अपने उत्तर में यह कहा है कि जो सल्फर डाई आक्साइड गैस निकल रही है उससे एसिड की वर्षा की संभावना नहीं है। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सत्य है कि वर्षा के दिनों में जो सल्फर डाई मगण्य मात्रा में निकलती है वह धुल कर वर्षा के साथ जमीन में आती है? तो क्या उसकी रोकथाम के लिए कोई कार्यवाही की गयी है ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

मैंने निवेदन किया कि उनको सुझाव दिया गया है कि वह इन उपकरणों का उपयोग करें।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, क्या माननीय मन्त्री जी को यह जानकारी है कि 1980 में जब माननीय नारायण दत्त तिवारी जी योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे तो उसमें पर्यावरण रक्षा के लिए एक समिति बनी थी। क्या उसकी सिफारिशों को राज्य सरकार लागू करने पर विचार कर रही है ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

वह विचार कर रही है और प्रदूषण बोर्ड ने उसके आधार पर सुझाव भी दिये हैं।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

श्रीमन्, माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे जैसा उन्होंने कहा था कुछ उपायों को कार्यान्वित करने के लिए सुझाव दिये गये हैं। मैं जानना चाहता हूं कि किन-किन उपायों को कार्यान्वित करने के सुझाव दिये हैं? दूसरी बात जो मन्त्री जी ने बताई कि केवल एक ऐसी फैक्ट्री है जहां पर संयंत्र नहीं लगाया गया है जो कि बिड़ला की फैक्ट्री है। तो उस फैक्ट्री पर कौन से दबाव सरकार द्वारा डाले जा रहे हैं कि वह इस प्लांट को लगायें।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो दूसरा प्रश्न किया है कि फैक्ट्री के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है। तो इस संबंध में बताना चाहता हूं कि पोल्यूशन बोर्ड से प्रतिवर्ष अपना लाइसेंस रि-न्यू करवाना होता है। इसी आधार पर बोर्ड ने उनका लाइसेंस रिन्यूवल के लिए रिफ्यूज कर दिया है और कहा है जब तक यह उपकरण नहीं लगायेंगे लाइसेंस रि-न्यू नहीं होगा।

श्री हरिश्चन्द्र—

अध्यक्ष महोदय, प्रश्न कर्ता माननीय बरार जी ने तेजाबी वर्षा होने की बात पूछी थी जिस पर माननीय मन्त्री जी ने बताया कि तेजाबी वर्षा नहीं होती है। तो मैं जानना चाहता हूं कि आपके कथन का क्या आधार है ? किन आधारों पर आपने कहा कि तेजाबी वर्षा नहीं होती है ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

श्रीमन्, माननीय सदस्य ने शायद सुना नहीं मैंने दो कारण बताये थे मैं उदाहरण देकर बता दूं जैसे एक चम्मच

चीनी अगर एक गिलास पानी में मिला दी जाय तो पानी मीठा हो जायेगा लेकिन अगर एक चम्मच चीनी किसी कुएं में डाल दी जाय तो कुएं के पानी पर कोई असर नहीं होगा माननीय सदस्य

(व्यवधान)

समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आ जायेगा। तो उसी तरह से सल्फर डाई आक्साइड की मात्रा इतनी कम है कि उसका वातावरण में कोई असर नहीं होगा। दूसरी बात यह कही थी कि वातावरण में जहां मोइस्चर होता है वहां पर पानी के साथ मिल कर हल्का सल्फरयूरिक अम्ल पानी में बदल जाता है। अपने यहां ज्यादातर ड्राई मौसम रहता है और जब नमी होती भी है तब उसमें मात्रा इतनी नगण्य होती है कि इसकी कोई पासिबिलिटी नहीं रहती है। फिलहाल कोई सम्भावना नहीं है।

श्री रामचन्द्र बक्श सिंह—

माननीय, मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि उन्होंने जो 2 प्रतिशत सल्फर की बात कही है सल्फर डाई आक्साइड निकलता है और तेजाबी वर्षा नहीं हो सकती है, तो इसकी जांच करके वह बता रहे हैं या विशेषज्ञों द्वारा जांच करके उत्तर दिया जा रहा है। मैं आधार जानना चाहता हूं ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

माननीय पूरा सदन जानता है कि मैं तो लेबोरेटरी का इंचार्ज नहीं हूं। जो विशेषज्ञ नियुक्त हैं उन्होंने रिपोर्ट दिया है जिसके आधार पर यह कहा है।

श्री बेनी प्रसाद—

माननीय, मैं जानना चाहता हूं कि दूषण प्रदेश के किन-किन स्थानों पर सर्वाधिक है ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

यह जो प्रश्न पूछा है इसमें कहना चाहता हूं कि सल्फर डाई आक्साइड चिमनियों से निकलता है, इसकी मानेटरिंग करवायी जा रही है।

## राजकीय सेवा से निवृत कर्मचारियों की पेंशन पुनरीक्षित किए जाने की घोषणा

**2—श्री राजेन्द्र गुप्त—

क्या वित्त मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1979 से पूर्व राजकीय सेवा से निवृत्त कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन की दर को बढ़ाकर वर्ष 1979 के बाद सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों को देय पेंशन की दर के समान करने का प्रकरण शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो निर्णय की घोषणा कब तक हो जायेगी ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

दिनांक 31-3-79 से पूर्व सेवा निवृत्त हो चुके राजकीय पेंशनरों को भी दिनांक 1-4-1979 से लागू की गई पेंशन की नई दर पर अपनी पेंशन पुनरीक्षित करा लेने की सुविधा प्रदान कर दी गई है और इस निर्णय की घोषणा शासनादेश संख्या शा-3-1617-ए/दस-925-83, दिनांक 30-10-1983 में तथा विस्तृत प्रक्रिया कार्यालय ज्ञाप संख्या सा0-3-616/दस-925-83, दिनांक 10-5-1984 में जारी की जा चुकी है।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

क्या मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह जो पेंशन रिवाइज्ड हुई है और उसके एरियर्स उनको मिलने वाले हैं लेकिन एरियर्स मिलने में विलम्ब होता है। ए0 जी0 कार्यालय और ट्रेजरी में विलम्ब होता है। तो मैं जानना चाहता हूं कि केरल स्टेट में श्री नैय्यर के बारे में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है, सिविल रिट नं0 9425

जून 1984, कि यदि प्रशासनिक कारण से विलम्ब होता है, पेंशन मिलन में तो उसका ब्याज देना चाहिये। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ऐसी व्यवस्था कर रही है कि जो पेंशन मिलने में विलम्ब होता है जिससे आर्थिक क्षति होती है, तो जितने दिनों का विलम्ब हुआ है उतने दिनों का ब्याज दिया जाये ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

इसमें निवेदन कर दूं कि विलम्ब न हो इसके लिए व्यवस्था की गयी है कि ट्रेजरी आफिसर्स को जो एप्लीकेशन्स दी जायेंगी उन पर एक रुपया इंसेन्टिव प्रति एप्लीकेशन दिया गया है जिससे वह जल्दी निपटायें और यह भी व्यवस्था है कि जो पेंशनर्स पेंशन चाहते हैं उनके जो रेकार्ड डिपार्टमेंटली होते हैं उनको अलग सुविधा दी गयी है। जो भारत सरकार ने रेडी रेकनर बनाया है उसके आधार पर ट्रेजरी आफिसर को दे सकते हैं, जो नहीं आते हैं वह ए० जी० को आवेदन करके ले सकते हैं उसकी सुविधा दी गयी है। इसमें तिथि भी थी उस तक एप्लीकेशन जो आ गई हैं उनका निस्तारण हो रहा है। तो जब काम शीघ्र हो रहा है, और माननीय सदस्य ने कहा कि जब काम न हो, तो ऐसी बात नहीं है।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

माध्यवर, जिस प्रक्रिया नियमावली का हवाला दिया है, वह मेरे पास है उसके बाद सैकड़ों केसेज में देने के लिए तैयार हूं जिसमें ए० जी० कार्यालय में और कोषागार में वर्षों लग जाते हैं पेंशन मिलने में। अन्यथा न लें तो मैं यह भी कह सकता हूं कि वहां बिना घूस दिए पत्रावली आगे नहीं बढ़ती है, इसका उदाहरण चाहेंगे तो मैं अलग से दे सकता हूं। इसलिए बंधन न लगायें कि ब्याज न दिया जाये। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जो सुविधायें दी गयी हैं उसमें यह भी है कि पेंशनर्स अपना नामिनी दे सकते हैं, जिनको उनकी मृत्यु के बाद पेंशन मिलती रहेगी, लेकिन यह सुविधा बैंक वाले देने को तैयार नहीं हैं। तो क्या सरकार इसको कराने के लिए तैयार है कि जो सुविधा उनको ट्रेजरी में मिल रही है, वही सुविधा बैंकों द्वारा भी उनको मिलेगी, जिससे मृत्यु के बाद उनके परिवार वालों को पेंशन मिलने में कोई दिक्कत न हो ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

पेंशन वाले मामलों में भारत सरकार निर्णय करती है और हम उन पर फालो करते हैं। वह करेंगे तो सारे बैंकों पर वह लागू होगा और उससे यहां के पेंशनर्स को भी सुविधा ही जायेगी। यों उत्तर प्रदेश के बैंकों से हम अनुरोध कर सकते हैं कि वह इसको स्वीकार कर लें।

श्री बेनी प्रसाद—

हमारी जानकारी के अनुसार और जैसा गुप्त जी ने बताया है वर्षों से आवेदन करने के बाद पेंशन रिवाइज नहीं हो रही है, तो क्या उन्होंने कोई निश्चित तिथि निर्धारित की है कि आवेदन-पत्र देने के इतने दिन बाद पेंशन अवश्य रिवाइज हो जायेगी ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

यह आवेदन की तारीख पहले 10-8-84 तक थी, फिर यह बढ़ाकर 30-9-84 तक कर दी गई और पुनः बढ़ाकर यह तिथि उसके बाद 31-12-1984 तक कर दी गई थी।

श्री सुखपाल पांडेय—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो 79 में पेंशन बढ़ी है, उसके समान करके कबतक भुगतान करने का सरकार प्रयत्न करेगी ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

कृपया फिर से प्रश्न कर दें।

श्री सुखपाल पांडेय—

सन् 1979 के सेवा-निवृत्त कर्मचारियों की पेंशन जो 80 में हुये हैं, बढ़ोत्तरी हुई है, उनके संमान करके कब तक उसका भुगतान कराने का सरकार प्रयत्न करेगी ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

इसको उत्तर प्रदेश सरकार ने मान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक पेंशनर के मामले में निर्णय दिया था कि बढ़ी हुई दर पर उसको दिया जाय, तो सरकार ने उसको मान लिया है और वह किया जाएगा।

श्री सुखपाल पांडेय—

(अगली मद लेने पर) श्रीमन्, अभी हमारे प्रश्न का उत्तर साफ नहीं हुआ।

## भूतपूर्व सदस्य, श्री शराफत हुसैन के निधन पर शोकोद्गार

[समय 11 बजकर 18 मिनट]

*मुख्य मंत्री (श्री नारायन दत्त)—

मुझे बड़े दुःख के साथ सम्मानित सदन को सूचित करना पड़ता है कि इस सम्मानित सदन के एक भूतपूर्व सदस्य श्री शराफत हुसैन रिजवी का निधन हो गया है। श्रीमन्, वह मुरादाबाद जिले के अमरोहा निर्वाचन क्षेत्र से दो बार इस सम्मानित सदन के सदस्य रहे। वह कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट पर निर्वाचित होकर पहली बार सन् 1962 में यहां आए और फिर दुबारा अमरोहा से ही सन् 1967 में निर्वाचित हुए। श्री शराफत हुसैन अपने युवा जीवन से ही निरन्तर किसान मजदूर आन्दोलन में दिलचस्पी लेते रहे। वह उत्तर प्रदेश किसान सभा के जायन्ट सेक्रेटरी रहे और साथ ही साथ सी० पी० एम० के अस्थायी सेक्रेटरी, उत्तर प्रदेश बीड़ी मजदूर यूनियन के इलाहाबाद कार्यालय के प्रेसीडेन्ट, खेतिहर, मजदूर सभा के जनरल सेक्रेटरी आदि रहे। जो सर्वहारा वर्ग से सम्बन्धित तमाम संगठन थे उनके वह पदाधिकारी रहे। विधान सभा में भी उन्होंने किसानों और मजदूरों की समस्याओं के सम्बन्ध में अपना उल्लेखनीय योगदान दिया। तो ऐसे जनप्रतिनिधि के निधन से लोक जीवन संतप्त हुआ है और जिला मुरादाबाद के श्रमिकों एवं किसान-मजदूर आन्दोलन को विशेष क्षति पहुंची है। श्रीमन्, कृपया हमारी ओर से आप शोक संतप्त परिवार के लोगों को हार्दिक समवेदनाएं पहुंचाने का कष्ट करें।

श्री राम सरन—

नेता सदन ने जो श्री शराफत हुसैन रिजवी के निधन के सम्बन्ध में विचार व्यक्त किया है, उससे हम भी अपने आप को सम्बद्ध करते हैं। श्री रिजवी साहब विरोध पक्ष के एक बहुत ही जागरुक नेता थे। वह केवल मुरादाबाद जिले के ही नेता नहीं थे बल्कि वह सारे प्रदेश के नेता रहे। जैसा उनका नाम था वैसे ही वह शरीफ इंसान थे। उनका निधन बहुत कम आयु में हो गया। 50 साल की उम्र में वह हमारे बीच से चले गये। उनकी कमी बहुत मुश्किल से पूरी होगी। मैं अपनी तरफ से और अपने साथियों की तरफ से आपसे निवेदन करता हूं कि उनके दुखी परिवार को हमारी समवेदनायें भेजने का कष्ट करें।

श्री रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, शराफत हुसैन साहब एक शरीफ आदमी तो थे ही, वह दो बार इस विधान सभा के सदस्य रहे। चाहे खेतिहर मजदूर हों या बीड़ी बनाने वाले मजदूर हों उनकी भलाई के लिये उन्होंने जो योगदान दिया वह भुलाया नहीं जा सकेगा। वह अमरोहा से आते थे लेकिन पूरे पश्चिमी जिलों के बीड़ी मजदूरों के संगठन के वे नेता थे। उन्होंने उन बीड़ी मजदूरों के बारे में जिनकी घोर उपेक्षा होती रही है और आज भी है वह

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उनकी आवाज पुरजोर तरीके से उठाते थे और बराबर इस विधान सभा में उन समस्याओं को लेकर वह सवाल करते रहे और पूरे सूबे में उन्हें संगठित करने की कोशिश की। कृपया उनके शोक संतप्त परिवार को हमारी और हमारे बल की ओर से समवेदनायें भेजने की कृपा करें।

*श्री राजेन्द्र गुप्त—

माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय शराफत हुसैन रिजवी के निधन के सम्बन्ध में जो उद्गार अभी नेता सदन, उपनेता विरोधी दल तथा माननीय नेता जनता पार्टी ने व्यक्त किये हैं मैं उनसे अपने को संबद्ध करता हूं। मान्यवर, श्री रिजवी एक जुझारू स्वभाव के कर्मशील नेता थे। अपने जनपद में और प्रदेश में उन्होंने मजदूरों के आंदोलन में क्रियाशील भूमिका अदा की। विधान सभा में वह क्रियाशील सदस्य थे। समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के लिये वह हमेशा आवाज उठाते रहे थे। इन शब्दों के साथ मैं अपने दल की ओर से समवेदना व्यक्त करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि मेरे तथा मेरे दल की ओर से शोक समवेदना उनके संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री रामचन्द्र बक्श सिंह—

मान्यवर, मेरे साथी शराफत हुसैन रिजवी साहब के निधन से हम सब बहुत दुखी हैं। उनके निधन के सम्बन्ध में जो विचार माननीय नेता सदन और विरोध दल के नेताओं ने व्यक्त किये हैं, मैं उनसे अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। शराफत हुसैन साहब केवल मुरादाबाद के ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की मेहनतकश जनता के नेता थे। उन्होंने मजदूरों के तमाम आन्दोलनों में अग्रणी भूमिका निभायी। उनके निधन से मेहनतकश जनता की बड़ी क्षति हुई है। मैं आपके माध्यम से उनके शोक संतप्त परिवार तक अपनी समवेदना भिजवाने के लिए अनुरोध करूंगा।

श्री कौशिक, रमाशंकर—

माननीय, कामरेड शराफत हुसैन रिजवी के निधन पर जो भावनायें माननीय नेता सदन, माननीय उपनेता विरोधी दल, माननीय नेता जनता पार्टी, माननीय नेता भा0 ज0 पार्टी और माननीय नेता कम्युनिस्ट पार्टी ने व्यक्त की हैं मैं अपने को और अपने दल को उनसे सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, कामरेड शराफत हुसैन रिजवी मुरादाबाद के मेहनतकश मजदूरों किसानों के नेता थे। मजदूरों की लड़ाई में हमेशा उन्होंने आगे बढ़कर अपनी भूमिका निभायी। हमारे मुरादाबाद जिले को उनके निधन से बहुत ही क्षति हुयी। कामरेड शराफत हुसैन साहब के साथ काम करने का मौका हमें बराबर मिला और जेल भी वह हमारे साथ कई बार रहे। कामरेड शराफत हुसैन की जो कामरेडशिप की भावनायें थीं वह अतुलनीय थीं। मान्यवर, उनके शोक संतप्त परिवार के लिए आप मेरी और मेरे दल की समवेदनायें सम्प्रेषित करने की कृपा करें :

श्री राज किशोर—

मान्यवर, कामरेड शराफत हुसैन रिजवी अब हमारे बीच नहीं रहे। वह हमारी पार्टी के नेता थे। वह न केवल मुरादाबाद के बल्कि वह उत्तर प्रदेश के नेताओं में से थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन कम्युनिस्ट आंदोलन को समर्पित कर दिया था। पढ़ाई-लिखाई समाप्त करने के बाद से ही यह कम्युनिस्ट पार्टी में आ गये थे और वह जब से पार्टी में थे, तब से वह लगातार पार्टी के लिए ही अपना जीवन अर्पित किये हुये थे। उन्होंने अपना घर-बार नहीं देखा। वह बहुत ही गरीब परिवार के थे। उनके पास अपने परिवार के

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जीवनयापन के लिए कुछ नहीं था और वे बगैर इसकी परवाह किये हुए मेहनतकश जनता की सेवा म लगे रहे ।

उनका हमारा बहुत करीब का सम्बन्ध रहा है और जब वह पार्टी में आये, उनके पहले से ही मैं पार्टी में था, आने के बाद बराबर वे जनवादी और वामपन्थी आन्दोलनों में भाग लेते रहे । उन्होंने जन संघर्ष में 20 बार जेल यातनायें सही हैं । ऐसे नेता से हमको बहुत बल मिलता था । वह हमारी पार्टी के स्टेट कमेटी के नेता थे । इसके पूर्व वह हमारी पार्टी के सेक्रेटरी भी रह चुके थे । वह उत्तर प्रदेश किसान सभा के ज्वाइन्ट सेक्रेटरी भी थे । वह सी० पी० एम० पार्टी उत्तर प्रदेश किसान सभा के अस्थायी सेक्रेटरी भी रह चुके थे । वह उत्तर प्रदेश बीड़ी मजदूर यूनियन के प्रेसीडेंड तथा उत्तर प्रदेश खेत मजदूर सभा के जनरल सेक्रेटरी भी थे । उनके बारे में जितना भी कहा जाय वह कम होगा । हमारी पार्टी के लिये बहुत ही अपूरणीय क्षति उनके निधन से हुई है, हमारी पार्टी के लिए ही नहीं बल्कि प्रदेश के वामपन्थी आंदोलनों की अपूर्णीय क्षति हुई है । मैं आपके माध्यम से उनके शोक-संतप्त परिवार तक अपनी समवेदना पहुचने के साथ-साथ, उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

शराफत हुसैन साहब के निधन पर जो माननीय नेता सद , माननीय उप नेता विरोधी दल और अन्य दलों के नेताओं ने अपने विचार व्यक्त किये हैं, भावनाएं व्यक्त की हैं, मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं । नाम भी शराफत था और शराफत के वह पुतले थे । वह मजदूरों के बड़े लीडर थे और हमारे बीच से उठ जाने से एक कमी हो गई है । इन शब्दों के साथ मैं आप सबकी भावनाएं और श्रद्धांजलि उनके परिवार को भेजने की चेष्टा करूंगा और आपसे अनुरोध करूंगा कि आप सब दो मिनट के लिए मौन खड़े होकर उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करें ।

(सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर दो मिनट के लिए मौन खड़े हुए ।)

## श्री शराफत हुसैन के निधन की सूचना जिलाधिकारी द्वारा विलम्ब से भेजे जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री मैनेजर सिंह--

माननीय, मैं एक व्यवस्था चाहता हूं । माननीय शराफत हुसैन रिजवी की मृत्यु का समाचार समाचार-पत्रों में परसों छपा था । यह जिलाधिकारी की जिम्मेदारी है कि जब माननीय सदस्यों की मृत्यु हो, तो तुरन्त शासन को अवगत करायें । मैं समझता हूं कि जिलाधिकारी, मुरादाबाद ने अपने कर्त्तव्यों का पालन नहीं किया है वरना विधान सभा के पहले दिन ही यह शोक प्रस्ताव आ जाना चाहिए था ।

श्री अध्यक्ष--

हमारे पास जिस वक्त सूचना आती है, उसी वक्त हम ले सकते हैं ।

श्री मैनेजर सिंह--

यह शासन की गलती है, माननीय । आप शासन को निर्देशित करें ।

श्री अध्यक्ष--

आपका विचार शासन सुन रहा है, मैं समझता हूं कि शासन दुबारा ऐसी गलती नहीं करेगा ।

[समय 11 बजकर 29 मिनट]

## आगरा के ग्राम गोबरा में राजस्थान की बावरिया जाति के लोगों द्वारा राष्ट्रीय पक्षी मोर को मारने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष--

नियम 301 के अन्तर्गत मुझे 22 सूचनायें प्राप्त हुई हैं । यह रिकार्ड

बढ़ता ही जा रहा है । मैं आपसे अनुरोध करूंगा और चाहूंगा कि आप भी अपना सहयोग दें । मैंने इसमें से 13 सूचनायें स्वीकार की हैं । ये सूचनायें देने वाले हैं माननीय बदन सिंह जी, माननीय हृदय नारायण दीक्षित जी, माननीय अनुग्रह नारायण सिंह जी, माननीय बालेश्वर जी, माननीय राम आसरे जी, माननीय सत्य प्रकाश विकल जी, माननीय ईश्वर शरण विद्यार्थी जी, माननीय राज किशोर जी और माननीय, मित्रसेन जी की सूचनायें एक साथ – माननीय औसान सिंह, माननीय राम सजीवन जी, माननीय कमाल यूसुफ मलिक जी, माननीय यदुनाथ सिंह जी की, माननीय रघुवर दयाल वर्मा जी की ।

श्री बदन सिंह—

मान्यवर, आगरा जनपद के थाना अछनेरा के अन्तर्गत गोबरा ग्राम में राजस्थान स्थित आजादनगर में बाबरिया कौम के लोगों ने आकर गत दो माह में दो-तीन सौ मोर मार डाले हैं । उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय पक्षी मोर जनजीवन व कृषि को नुकसान पहुंचाने वाले विषैले कीटाणुओं को नष्ट कर आदिकाल से मानव सेवा कर रहा है । परन्तु यह बाबरिया कौम विदेशी मुद्रा कमाने और मांस खाने के प्रलोभन से प्रदेश के उक्त क्षेत्र में मोरों की बहुसंख्या में मनमाने ढंग से शिकार कर रही है । इनके पास जहरीले जंगली अनधिकृत असलहा होने के कारण क्षेत्रीय जनता इनका मुकाबला नहीं कर पाती है तथा जिला प्रशासन आगरा इस राष्ट्रीय पक्षी की सुरक्षा और रख-रखाव में मौन बैठा है । राष्ट्रीय पक्षी का इस क्षेत्र से लोप होता चला जा रहा है जो एक राष्ट्रीय अपूर्णनीय क्षति है । मोर के निरन्तर वध से क्षेत्रीय जनता में भारी क्षोभ व्याप्त है ।

मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर मांग करता हूं कि इस राष्ट्रीय पक्षी की सुरक्षा और रख-रखाव के लिए सरकार कोई प्रभावी कदम अविलम्ब उठायें ताकि यह राष्ट्रीय अपूर्णनीय क्षति रोकी जा सके ।

## इलाहाबाद के कचहरी प्रांगण में में हुए अग्निकांड के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि दिनांक 17-3-85 को कचहरी प्रांगण इलाहाबाद में मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की अदालत में हुए भयंकर अग्निकांड में हजारों फाइलें जलकर नष्ट हो गईं । यह मामला लोकहित का है क्योंकि इस अग्निकांड में राजकीय भिक्षुक कर्मशाला (शिवकुटी) में व्याप्त मानवीय शोषण भ्रष्टाचार और आर्थिक अपराधों से सम्बन्धित फाइलें तथा मूल दस्तावेज भी जल गये हैं ।

इलाहाबाद कचेहरी प्रांगण में भयंकर अग्निकांड की सन 1978 से अब तक की यह चौथी घटना है । इसलिए लोकहित में इसे शून्य प्रहर में सदन के पटल पर रखने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें ।

## देवरिया के ग्राम बंजनाथपुर में हुए अग्निकांड के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बालेश्वर—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं । हमारे क्षेत्र पडरौना (देवरिया) के ग्राम बंजनाथपुर में दिनांक 12-3-85 को हुए भीषण अग्निकांड के फलस्वरूप लाखों की सम्पत्ति जलकर नष्ट हो गयी । पशुओं के लिए चारे और नागरिकों के समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गयी है ।

अतः मैं शासन से मांग करता हूं कि इस अविलम्बनीय महत्व की सूचना पर अविलम्ब कार्यवाही करने एवं पीड़ित नागरिकों को राहत पहुंचाने का कार्य करें ।

हरदोई की माधोगंज टाउन एरिया की दयनीय स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम आसरे (हरदोई)--

जनपद हरदोई की कुरसठ, मल्लावां एवं माधोगंज टाउन एरियाज की स्थिति दयनीय है। नालियों की सड़ान एवं सड़कों की जीर्ण अवस्था जन-जीवन को नारकीय बनाये हुए हैं। कुरसठ की हरिजन बस्तियों तथा ऐतिहासिक महत्व रखने वाले मल्लावां में जन-साधारण तक को पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है ।

लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए शासन से मांग करता हूं कि उक्त स्थानीय निकायों को विशेष अनुदान की स्वीकृति देकर जनता को नारकीय जीवन से मुक्ति दिलायें ।

हींग की मंडी स्थित टाल हबीबुल्ला, आगरा में हुए अग्निकांड के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सत्य प्रकाश विकल--

16 मार्च, 85 को रात्रि आगरा हींग की मंडी स्थित टाल हबीबुल्ला में हुए भयंकर अग्निकांड में लेदर तथा रबरशीट के कीमती सामान की 18 दूकानें जलकर पूरी तरह भस्म हो गयीं जिसमें लगभग 15 लाख रुपये का नुकसान हो गया है और यह 18 परिवार बरबाद होकर रोटी-रोजी से मोहताज हो गये हैं ।

इस अग्निकांड के लिए बिल्डिंग के मालिकों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट थाना कोतवाली में कर दी गयी है जिसमें यह आरोप है कि मालिकान ने दूकानें खाली कराने की नीयत से जानबूझकर यह आग लगायी है ।

अतएव लोक महत्व की इस समस्या की ओर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए मेरी मांग है कि दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाय तथा पीड़ित 18 दूकानदारों को मुख्य मंत्री जी अपने राहत कोष से अविलम्ब 5-5 हजार रुपया देने की कृपा करें ।

विधूना, इटावा के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर हुए हमले के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ओसान सिंह--

मैं आपके माध्यम से आदरणीय सदन एवं शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाना चाहता हूं कि दिनांक 5 मार्च, 1985 को सायं 7 बजे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय विधूना जिला इटावा पर मोटर साइकिलों पर सवार होकर गुन्डों ने बन्दूक व राइफलों से हमला किया, 3 फायर किये । मौके पर कारतूस बरामद हुए । पुलिस को इसकी तुरन्त सूचना दी गई परन्तु राजनैतिक दबाव में अभी तक इन नामजद गुन्डों के विरुद्ध पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। गुन्डों द्वारा खुले आम घूमा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं व समर्थकों एवं हरिजनों को धमकाया व आतंकित किया जा रहा है । दिनांक 9 मार्च, 1985 को मेरे मल्होसी ग्राम में होली मिलन कार्यक्रम में भाग लेने जाते समय इन्हीं गुन्डों ने जान से मारने की धमकी देते हुए पीछा किया । इससे पूरे क्षेत्र में भय और आतंक का वातावरण बना हुआ है । क्षेत्रीय जनता में रोष व्याप्त है ।

अस्तु माननीय गृह मंत्री का ध्यान आकृष्ट करते हुए इस लोक महत्व के विषय पर शीघ्र कार्यवाही करने की मांग करता हूं ।

## बियार जाति को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में सम्मिलित किये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राज किशोर--

उत्तर प्रदेश के एक बड़े भाग में निवास करने वाली बियार जाति के लोग जो जनपद मिर्जापुर व वाराणसी आदि में जन्म से जी रहे हैं उनका उत्तर प्रदेश की जातियों की सरकारी सूची मे कहीं जिक्र तक नहीं है । जबकि ये हरिजन एवं जनजाति के श्रेणी में आते हैं और भूमिहीन खेत मजदूर वर्ग के हैं और आरक्षण तथा अन्य हरिजन जनजाति की सुविधाओं के पात्र हैं लेकिन सरकार की तरफ से उपेक्षित एवं वंचित रखे गये हैं ।

खेद है कि आजाद भारत के 36 वर्षों बाद भी हमारी उत्तर प्रदेश सरकार को प्रदेश में रहने वाली जातियों की पूरी जानकारी भी नहीं हो पायी है।

अतएव, मैं इस लोक महत्व के प्रश्न की ओर आपके माध्यम से शासन एवं सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए मांग करता हूं कि सर्वेक्षण कर प्रदेश में रहने वाली अन्य जातियों की सूची में इस जाति का नाम भी पात्र सूची में सम्मिलित एवं अंकित किया जाय ।

## बांदा में पेयजल संकट के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम सजीवन--

मान्यवर, बांदा शहर में पेयजल का भीषण संकट पैदा हो गया है। हजारों लोग बूंद-बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं । जलकल योजना बुरी तरह असफल है । नागरिकों को यदाकदा यदि थोड़ा पानी मिला भी तो वह अशुद्ध और गंदा रहता है । जिससे जनता के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है । आगामी भीषण गर्मी के दिनों में पेयजल आपूर्ति के समस्या और अधिक बिगड़ जाने का खतरा है । बांदा शहर में पानी के अभाव की समस्या बहुत पुरानी है । इस सम्बन्ध में बार-बार आवाज उठाई जाती रही है किन्तु कोई विस्तृत एवं प्रभावी योजना बनाकर पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित नहीं की गयी। ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए जरूरी हो गया है कि पेयजल आपूर्ति की वर्तमान योजना की अव्यवस्था एवं कुप्रबन्ध में सुधार किया जाय । साथ ही साथ पेयजल आपूर्ति की व्यापक एवं विस्तृत नई योजना बनायी जाय और समस्या को स्थायी रूप से हल किया जाय जिससे जनता का हर साल, हर महीने कष्ट दूर हो सके ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

## कुर्थीडिहा, बस्ती में हुए अग्निकांड के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कमाल यूसुफ मलिक--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान ग्राम कुर्थीडिहा तहसील डुमरियागंज थाना डुमरियागंज में जनपद बस्ती में 7 मार्च, 1985 को हुए भीषण अग्निकांड की ओर आकृष्ट करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि उक्त गांव में उत्तर तरफ बसे हुए सभी गरीब भूमिहीन मजदूर पेशा और हरिजनों के लगभग बीसों घर जलकर नष्ट हो गये हैं । घर के अतिरिक्त घर का बर्तन, कपड़ा व सामान आदि जलकर नष्ट हो गया है । इसमें कुल 20 परिवार प्रभावित हुए हैं । सबके घरों में भुखमरी की स्थिति व्याप्त है । तहसील से मिला सौ-डेढ़ सौ रुपये का

अनुदान अपर्याप्त है । मै मांग करता हूं कि मुख्य मंत्री प्रत्येक परिवार को 5000 रुपये के हिसाब से अविलम्ब अपने विवेकाधीन कोष से धन दें और डुमरियागंज में एक फायरब्रिग्रेड स्टेशन की स्थापना की तत्काल घोषणा करें जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं पर काबू पाया जा सके ।

**भदोही, मिर्जापुर के कालीन व्यवसाइयों द्वारा नाबालिग बंधुआ मजदूरों से नाजायज काम लेने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

श्री यदुनाथ सिंह—

माननीय, इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन एवं शासन के संज्ञान में लाना आवश्यक है कि भदोही, मिर्जापुर के कालीन व्यवसाइयों के द्वारा पिछले लगातार कई वर्षों से बिहार प्रान्त के पलामू, डाल्टनगंज, हजारीबाग, व अन्य स्थानों से 16 वर्ष, 12 वर्ष, 10 वर्ष के बच्चों को फुसलाकर लाया जाता है और उनसे गुलामों की तरह काम लिया जा रहा है ।

ज्ञातव्य हो कि जिला प्रशासन भी इन बड़े व्यवसाइयों के दबदबा में रहते हैं । आजादी के 38 वर्ष बीत रहे हैं । इण्डियन नेशनल कांग्रेस अपनी शताब्दी वर्ष मनाने जा रही है । ऐसे समय में राष्ट्रपिता महात्मागांधी की भावनाओं को याद करते हुए शासन से अपेक्षा है कि भदोही, मिर्जापुर की कालीन व्यवसायिक जो करोड़ों विदेशी मुद्रा कमाते है उनसे नाबालिग बंधुआ मजदूरों को मुक्त करावें और उनके संरक्षक के घर पर पहुंचा दें उनको पूरा पैसा दिलाने की व्यवस्था करें। साथ ही उन कालीन व्यवसाइयों के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही करें ।

**मंझनपुर, किशनपुर पम्प राम गंगा नहर में पानी बन्द होने से फसलों को क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

माननीय अध्यक्ष जी, सदन का ध्यान एक लोक महत्व की अविलम्बनीय प्रश्न की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र 279 मंझनपुर किशनपुर पम्प रामगंगा नहर में पानी बन्द होने से किसानों को अंतिम पानी न मिलने पर खड़ी फसल सूख रही है । किसान मुखमरी के कगार में पहुंच गये हैं । इस नहर में विधान सभा चुनाव के एक सप्ताह पूर्व से ही पानी नहीं आ रहा था । चुनाव में व्यस्त रहते हुए भी मैंने थाना पश्चिम शरीरा से वायरलेस द्वारा सूचना देकर जिलाधिकारी से तत्काल नहर में पानी देने की मांग की थी । गांवों में बिजली शुन्य से लेकर मुश्किल से दो घंटे तक आती होगी । इतनी कम बिजली सूखे को देखते हुए बिलकुल नगण्य है । अतः मैं मांग करता हूं कि सूखे से फसलों की क्षति पूर्ति किस नों को दिलायी जाय । वर्तमान सूखे की स्थिति में मेरे क्षेत्र में कम से कम 15 घंटे लगातार बिजली, नहरों में स्थायी रुप से पानी दिये जाने के साथ-साथ सम्बन्धित सिंचाई एवं बिजली विभाग की जांच जिलाधिकारी द्वारा करायी जाय तथा जिम्मेदार और दोषी लोगों के विरुद्ध अविलम्ब कड़ी कार्यवाही की जाय

**नगरपालिका फिरोजाबाद के अधिकारियों के भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय सदन का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकृष्ट करना

चाहता हूं कि जनपद आगरा की नगरपालिका फिरोजाबाद में गत वर्ष अनियमित और अवधानिक तौर पर 74 कर्मचारियों को स्थायी नियुक्ति शासन की पूर्व स्वीकृति के बिना करते हुए अधिकारियों ने लाखों रुपया रिश्वत मे वसूला और इस नियुक्ति का परिणाम हुआ कि 5 लाख रुपया वार्षिक का व्यय भार पालिका पर बढ़ा तथा अधिकारियों ने अपने निहित स्वार्थ में नालों में सफाई-गली खड़ंजा के बिना कराये लाखों रुपया पालिका के ठेकेदारों को भुगतान कर दिया, जिससे नगर-पालिका दीवालिया बनकर खड़ी रह गयी और उसके 200 कर्मचारियों का प्राविडेंट फण्ड और वेतन भी गत माह नहीं मिला है जिससे उनकी हालात खराब है। मान्यवर, नगरपालिका जन-सेवाओं के स्थान पर फर्जी भुगतान और जन-जीवन से खिलवाड़ का स्थान बन गयी है। मैला-गन्दगी-पानी भराव से सड़ांध हो जाने से जन मानस हिल उठा है।

अस्तु सरकार से अनुरोध है कि उच्च स्तरीय जांच कराकर नगरपालिका के धन की बर्बादी को रक्षा करें और उसके कर्मचारियों का भुगतान हो और नगर की सफाई, सौंदर्य का प्रबन्ध तुरन्त कर जनजीवन को रक्षा करें।

## नियम 301 की सूचनाओं के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री बिजय सिंह राणा—

मान्यवर, यह जो 301 की सूचनाएं हैं, इनके बारे में पहले हाउज में कहा गया कि ये दिन रात बढ़ती जा रही हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ में यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जितना दुरुपयोग इन 301 की सूचनाओं का हो रहा है, वह कल्पना से परे है। इन सूचनाओं का एक तो उत्तर नहीं आता और कोई कार्यवाही नहीं होती। होती भी है तो फिजूल उत्तर आता है, जिसमें सत्यता नहीं होती।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो 301 की सूचनाएं हैं, उन पर दो व्यवस्थाएं करा दें। एक तो इनका एक समयबद्ध कार्यक्रम बना दें कि कितने दिनों में यानी एक हफ्ते में या दो हफ्ते में, या कितने दिन में इनका उत्तर भेजा जायगा और प्रश्नकर्ता को मिल जायगा। उसके लिये एक निश्चित अवधि बता दें कि कितनी अवधि में निश्चित रूप से उत्तर सदस्यगण को मिल जायगा, यदि उसे उत्तर न मिले तो उसे सीधे सम्पर्क करके कार्यवाही कराने का अधिकार होगा। दूसरे मैं यह चाहता हूं कि जो प्रश्नकर्ता को उत्तर मिलता है, यदि प्रश्नकर्ता को उसकी सत्यता में शक हो तो मान्यवर, आपके यहां जो नियम समिति बनी है, उसे उस उत्तर को सत्यता की जांच के लिये दे दिया जाय। यदि सत्यापन में सिद्ध हो जाय कि उत्तर सत्य नहीं है तो जिस अधिकारी ने झूठा उत्तर दिया है, उसके खिलाफ कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

*मुख्य मंत्री (श्री नारायन दत्त)—

श्रीमन्, सम्मानित सदस्य, दयालबाग ने अपने अनुभव के आधार पर जो सूचना दी है, मैं उसके लिये आभारी हूं। वह सहमत होंगे कि नयी सरकार को गठित हुए अभी केवल 10 दिन हुए हैं और यह नयी विधान सभा का प्रथम सत्र है। माननीय सदस्य पिछली विधान सभा के अनुभव के आधार पर यह शिकायत कर रहे हैं। पिछले अनुभवों को भी हमें अवश्य ध्यान में रखना चाहिये। मैं इस बात की पूरी चेष्टा करूंगा कि पिछली विधान सभा के समय, समय-समय पर आपके पद और आपके पूर्ववर्ती द्वारा जो निर्देश दिये गये थे और शासन में इस सम्बन्ध में आश्वासन दिये थे, उनका अनुपालन हो। यह सर्वविदित है कि 301 का जो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह नियम है, यह प्रदेश की जो विभिन्न समस्याएं हैं, उनके प्रति शासन का ध्यान आकर्षित करने के लिये तथा त्वरित कार्यवाही के लिये एक माध्यम है ।

मैं माननीय सदस्य से आग्रह करूंगा कि जो उनकी सूचना है, कहां-कहां अधूरी सूचना मिली या गलत सूचना मिली तो उसका विवरण माननीय सदस्य भेजेंगे तो मैं अवश्य उचित समाधान करने की चेष्टा करूंगा । कहीं प्रताड़ना की आवश्यकता हुई तो वह भी अवश्य किया जायेगा । हमारा बिलकुल यह विचार नहीं है कि किसी प्रकार से कोई जानबूझ कर देरी की जाय ।

सम्मानित सदस्य मुझसे सहमत होंगे कि कभी-कभी ऐसा होता है कि सूचना अधूरी होने पर सम्बन्धित मंत्री भी संतुष्ट नहीं होते । दो-दो तीन-तीन बार सूचना मंगानी पड़ती है । इसलिये देरी हो जाती है अधूरी सूचना पर अन्तरिम उत्तर भी दिया जाता है । हम प्रयास करेंगे कि अधूरी सूचना पर अधूरा उत्तर ही दे दिया जाय ।

## औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं

श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, औचित्य के प्रश्न की मैंने एक सूचना दी थी ।

श्री अध्यक्ष--

मेरे पास आज औचित्य के प्रश्न की चार सूचनायें प्राप्त हुई हैं । उनमें ऐसी कोई बात नहीं है जिससे नियमावली या संविधान का उल्लंघन हुआ हो, लिहाजा मैंने चारों सूचनाओं को अस्वीकार कर दिया है । मगर दो बातों के बारे में शासन का ध्यान मैं जरूर आकर्षित करना चाहूंगा । एक बात तो यह है कि जो माननीय सदस्यों को स्टेशनरी मिल रही है उसकी कीमत बहुत बढ़ गई है ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र गुप्त--

कृपया शांत रहें । सूचनाओं को अस्वीकार करने के बाद भी आपकी सुविधा के लिये ही यह बात उठायी है । उद्योग मंत्री जो का ध्यान भी मैंने इस ओर आकर्षित कराया है और मैं आशा करता हूं कि इस तरफ शासन जरूर विचार करेगा ।

दूसरी बात कमरों के एलाटमेंट के सिलसिले में है ।

(व्यवधान)

माननीय गुप्ता जी, मैं आपकी बात के बारे में ही कह रहा हूं । आप कृपया बैठ जायं । मैं चाहूंगा कि कोई असुविधा माननीय सदस्यों को न हो ।

*श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । वह यह है कि जो सूचना मैंने दी थी उसके बारे में यह मैं कैसे कह सकता हूं कि आपने उसे सही नहीं समझाया मैं उसे सही रूप में व्यक्त नहीं कर सका । तीन बिन्दुओं की ओर मैंने आपका ध्यान आकृष्ट किया था । मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों को कमरों का आवंटन न होने के कारण इस सदन की कार्यवाही प्रभावित हो रही है ।

श्री अध्यक्ष--

कोई उल्लंघन नियमों या संविधान का नहीं हुआ है ।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, आप सुन लें । हम आपका अधिकार बढ़ाना चाहते हैं । मैं यह कहना चाहता हूं कि जब हम यहां पर चुनकर आये हैं तो हमारे लिये कमरों की व्यवस्था होनी चाहिए । मेरा यह स्पष्ट आरोप है कि शासन कमरों के आवंटन में पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहा है । अपने दल के लोगों को कमरे

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

आवंटित कर रहा है । कहीं पर जबरन कब्जा किया जा रहा ह और बाद में उसे रेगुलराइज कर दिया जाता हं । हम लोग राज्य सम्पत्ति अधिकारी के दरवाजे पर घन्टों खड़े रहते हैं फिर भी कोई सुनवाई नहीं होती है । में इसके बारे में सुझाव देना चाहता हूं । माननीय सदस्यों के लिये शिष्टचार और व्यवहार सम्बन्धी जो शासन की राजाज्ञायें हैं, वह मेरे पास हैं, मैं उनका उद्धरण देना चाहता हूं राज्य सम्पत्ति अधिकारी को सम्मानित सदस्यों के साथ शिष्टाचार की अपेक्षा की जाती है । उनके दरवाजे पर जाना हम पसन्द नहीं करते हैं ।

इसलिये मान्यवर, हम आपसे यह व्यवस्था चाहते हैं कि जिस तरह की व्यवस्था लोक सभा में हैं, वैसी ही व्यवस्था आप यहां भी करा दें । आप हमारे संरक्षक हैं । अपना दुख-दर्द और रोना आपके पास आकर बता सकते हैं, उसे हम अपमानजनक नहीं समझते । इसलिये मेरा सुझाव है कि जिस तरह से लोक सभा में व्यवस्था है, जब कोई माननीय सदस्य निर्वाचित होकर वहां जाता है तो वह सचिव कार्यालय में जाता है और सचिव की जिम्मेदारी है कि वह उनकी पूरी-पूरी व्यवस्था करे । चाहे होटल में व्यवस्था करें या चाहे जहां करें, कमरे उनको देते हैं ? यह व्यवस्था आप लागू कर दें, उसमें क्या हानि है । तीसरी बात बताना चाहता हूं कि पुरानी विधान सभा में माननीय सदस्यों की एक कमेटी बनी हुई थी, जिसमें माननीय सदस्य स्वतः बैठकर सुख-सुविधाओं के बारे में अपनी राय रखते थे और उसमें कमरों के आवंटन की भी कार्यवाही होती थी । उसके बाद जो कमरे खाली रह गयें, उनको बाबत मू० पू० सदस्यों के बारे में भी विचार किया जाता है । लेकिन चूंकि विधान सभा विघटित होने के साथ यह कमेटी भी विघटित हो गयी । इसलिये उस प्रकार की प्रक्रिया नहीं अपनायी जा सकी । मैं जानना चाहूंगा कि क्या उस तरह की कमेटी को दुबारा बनाने वाले हैं या उस प्रक्रिया में कोई विचार कर रहे हैं ?

में मान्यवर, एक उदाहरण देना चाहूंगा जिससे सत्ता पक्ष को अपने सदस्यों की गतिविधियों को अंदाजा मिल सकेगा । एक माननीय सदस्य, विधान परिषद को एक कमरा विधिवत आवंटित ह, उसमें उनकी नेम प्लेट लगी हुई है, वे नये चुनकर नहीं आये हैं । कांग्रेस दल की एक महिला सदस्या वहां पहुंच गयी, उन्होंने तो पौरुष का परिचय दिया, उसका उदाहरण देना चाहूंगा, उन्होंने दरवाजा तोड़कर, ताला तोड़कर, उस पर कब्जा कर लिया । माननीय शतरुद्ध प्रकाश जी कह रहे हैं कि उन्हें पद्म श्री की उपाधि दी जानी चहिये । लेकिन, मैं वह बात न कहकर पौरुष की बात कह रहा हूं । वे वृद्धा हैं, मेरी मां की उम्र की होंगी, उन्होंने जो पौरुष दिखाया, मान्यवर, उससे घिनौना कृत्य कुछ और नहीं हो सकता हैं । उन्होंने जो इसके बारे में उत्तर दिया, उसको भी सुन लें । जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया । तो उन्होंने कहा कि मैं चोर दरवाजे से चुनकर नहीं आयी हूं, मैं सामने के दरवाजे से चुनकर आयी हूं । वह नामांकित सदस्य हैं और ग्रेजुएट कांस्टिटुएंसी से हैं मैं पब्लिक से चुनकर आयी हूं । मान्यवर, अब यह चोर दरवाजा और सामने के दरवाजे की क्या बात है ।

यह मैंने एक उदाहरण दिया । इसलए मान्यवर, मैं सुझाव देते हुए जानना चाहता हूं कि पुरानी जो कमेटी बनी थी, क्या उसके बारे में कोई फैसला किया गया है ?

मान्यवर, मेरा तो अनुरोध है कि उनसे आप अधिकार लें, राज्य सम्पत्ति विभाग के कमरे हमारे लिये हैं, हम लोगों के लिये हैं, आप उन कमरों को आवंटित कराने की व्यवस्था करायें । मान्यवर, मैं इसे अपमानजनक समझता हूं कि सदस्यगण राज्य सम्पत्ति अधिकारी के आवास अथवा उनके कार्यालय में जायं । हमें आपके कार्यालय में आकर अपना दुख दर्द प्रकट करने में खुशी होगी ।

मान्यवर, मैं अब राज्य सम्पत्ति अधिकारी के बारे में बताना चाहता हूं। उनके यहां एक बोर्ड लगा है जिसमें लिखा है मिलने का समय इतने बजे से इतने बजे तक लेकिन, वह उस निर्धारित समय पर कभी नहीं मिलते, पता चलेगा साहब मीटिंग में गये या कहीं और गये हैं। मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि जो समय उन्होंने सदस्यों से मिलने का निर्धारित किया है, उस समय उनको निश्चित रूप से मिलना चाहिये। उस समय यदि वे किसी अन्य कार्य में व्यस्त हैं, तो उन पर अनुशासन की कार्यवाही करनी चाहिये।

मान्यवर, मैं अपनी बात समाप्त करते हुए फिर अपनी इस बात पर बल देते हुए यह कहना चाहता हूं कि सम्बन्धित मामले का त्वरित निस्तारण होना चाहिये, इससे विधान सभा की कार्यवाही प्रभावित है। आपके जो कर्मचारी हैं, मैं उनकी आलोचना नहीं करना चाहता हूं, आपके कार्यालय के बारे में आलोचना नहीं करता हूं, वे लोग घंटों-घंटों घूमते रहते हैं, एजेंडा लिये हुए और लोग उन्हें टोकते भी हैं कि एजेंडा क्यों नहीं लाये, लेकिन उनकी भी मान्यवर, मजबूरी है उनको पता नहीं है कि हम लोगों को कहां-कहां पर आवंस आवंटित हैं।

मान्यवर, इस तरह से सदन की कार्यवाही प्रभावित है। इस पर आप समुचित व्यवस्था दें। मान्यवर, मात्र ध्यान शासन का आकर्षित करने से काम चलने वाला नहीं है।

कुमारी कृष्णा रावत—

मान्यवर, मेरे सम्बन्ध में यह विषय उठा है, मैं इसका जवाब देना चाहती हूं। कोई इसमें डरने की बात नहीं है, म इसका जवाब दूंगी।

श्री अध्यक्ष—

आपको अवसर दिया जायेगा, आप अभी बैठ जायं।

कुमारी कृष्णा रावत—

पहली बात तो यह कहना चाहती हूं कि मैं इनकी मां के बराबर नहीं हूं, बेटी के बराबर हूं।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

मैंने मां इसलिए कह दिया था कि मैं हर महिला को मां के समान समझता हूं।

(हंसी)

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, कक्षों के आवंटन के बारे में माननीय सदस्यों को जो कष्ट हुआ उसके बारे में मुझे भी खेद है। यह सही है कि अभी तक काफी हमारे माननीय सदस्यों को विधिवत रूप से कमरा आवंटन होने के बाद भी कब्जा नहीं मिल सका है और उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मान्यवर, अभी तक प्रयास करने के बाद भी हमारे बहुत से भूतपूर्व विधायक, जिन्होंने कक्ष खाली नहीं किए है, उनको कक्ष खाली करने के लिए नोटिस दिये गये हैं। हमारे लिए यह सम्भव नहीं था कि हम उनके सामान को बाहर कर दें। मैं कहना चाहता हूं कि 25 तारीख तक बहुत से कक्ष हमें उपलब्ध हो जायेंगे, जो माननीय सदस्य अभी तक आवंटन से वंचित हैं, उन्हें विधिवत् रूप से कक्ष आवंटित कर दिये जायेंगे।

मान्यवर, माननीय गुप्ता जी ने 2-3 बिन्दु उठाये थे। पहला बिन्दु यह था कि लोक सभा में कमरों के आवंटन करने की जो व्यवस्था है, वहां व्यवस्था यहां कर दी जाय। जैसे माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर आपका जो निर्देश होगा, उसका पालन किया जायेगा। परन्तु मैं, उन्हें यह जानकारी देना चाहता हूं कि वहां भी 2-3 महीने तक कक्षों का आवंटन नहीं हो पाता है। हमारे एक राज्य सभा के सदस्य आज भी यू0 पी0 भवन में रह रहे हैं। लोक सभा के कई ऐसे सदस्य हैं,

जिन्हें अभी तक कक्ष आवंटित नहीं हुआ है । आवंटन इस बात पर निर्भर करना है कि कक्ष उपलब्ध है कि नहीं ।

मान्यवर, दूसरी बात समिति के गठन की कही गयी थी । शासन ने इस सम्बन्ध में निर्णय ले लिया है । 1–2 दिन में समिति के गठन होने के बाद उसी के माध्यम से माननीय सदस्यों को कक्षों का आवंटन विधिवत् रूप से किया जायगा । माननीय सदस्यों को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री राम आसरे––

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है...।

श्री अध्यक्ष---

माननीय राम आसरे जी, कृपा करके आप बैठ जायं । कई माननीय सदस्य खड़े हो गये हैं । सभी व्यवस्था के ऊपर व्यवस्था चाहते हैं । व्यवस्था के ऊपर व्यवस्था नहीं हो सकती है ।

श्री यदुनाथ सिंह---

मान्यवर, माननीय सदस्यों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है और न ही उनकी कोई सुरक्षा है ।

श्री अध्यक्ष––

श्री यदुनाथ सिंह जी कृपा करके आप बैठ जायं । इस तरह से सदन की कार्यवाही नहीं चलेगी ।

श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी––

मान्यवर, ओ० सी० आर० में एक कमरा आवंटित किया जा चुका है जब कि अभी तक समिति का गठन नहीं किया गया है । यह व्यवस्था आपको कैसी है ?

श्री सत्यपाल सिंह––

मान्यवर, मैंने जो औचित्य का प्रश्न उठाया है, उससे हमारे सम्मानित सदन के सभी सदस्य प्रभावित हो रहे हैं । मुझे भी पिछले कई वर्षों से इस सदन में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है । माननीय सदस्यों को जो स्टेशनरी मिलती थी, जिसका कि वे उपयोग जनता के कल्याण के लिए करते हैं...।

श्री खान गुफरान जाहिदी––

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । जिस विषय के ऊपर निर्णय हो चुका है ।

(व्यवधान)

क्या उसको पुनः चर्चा का विषय बनाना, उस पर समय का इस्तेमाल करना कहां तक उचित है ?

श्री सत्य पाल सिंह––

मान्यवर, यह जो स्टेशनरी हम लोगों को दी जाती है जिसमें चार गुना, पांच गुना की वृद्धि कर दी गयी है, 50 पैसे का जो पैड रु० 1.19 का मिलता था अब 3.25 लेने लगे हैं...।

श्री अध्यक्ष––

मैं इस विषय में कह चुका हूं और सरकार का ध्यान आकृष्ट कर चुका हूं । जो बात आप कह रहे हैं, वही मैं कह चुका हूं ।

जितनी भी सूचनायें नियम 300 में आयीं थीं उनको मैं अस्वीकार करता हूं ।

## उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1985†

राजस्व राज्य मन्त्री (श्री गौरी शंकर)––

मान्यवर, मैं राजस्व अनुभाग––5 की अधिसूचना संख्या 3–9 (7)/81 (157)–रा–5, दिनांक 16 जनवरी, 1985 द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1985 को उत्तर प्रदेश

† छापी नहीं गयी ।

साधारण खण्ड अधिनियम 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

## वित्त (विक्रीकर) अनुभाग---2 की विज्ञप्तियां†

राजस्व राज्य मन्त्री (श्री गौरी शंकर)---

मान्यवर, मैं वित्त (बिक्री-कर) अनुभाग-2 की दिनांक 29 सितम्बर, 1984 के असाधारण गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या एस0 टी0-2-7036/दस-938 (2)-72-उ0 प्र0 अधि0-15-48-आदेश-84, दिनांक 29 सितम्बर, 1984 को उत्तर प्रदेश बिक्रीकर ऐक्ट, 1948 की धारा 3-क की उपधारा (2) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

मान्यवर, मैं वित्त (बिक्रीकर) अनुभाग-2 की दिनांक 5 दिसम्बर, 1984 के असाधारण गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या---एस0 टी0-2-6606/दस-9 (66)-84 उ0 प्र0 अधि0 15-48 आदेश---84, दिनांक 5 दिसम्बर, 1984 को उत्तर प्रदेश बिक्रीकर ऐक्ट, 1948 की धारा 3-क की उपधारा (2) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

मान्यवर, मैं वित्त (बिक्रीकर) अनुभाग-2 की दिनांक 1 फरवरी, 1985 के असाधारण गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या एस0 टी0-2-653/दस-11 (9)-78 उ0 प्र0 ऐक्ट, 15/48-आदेश-85, दिनांक 1 फरवरी, 1985 को उत्तर प्रदेश बिक्रीकर ऐक्ट, 1948 की धारा 3-क की उपधारा (2) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से वित्त (बिक्रीकर) अनुभाग-2 की दिनांक 1 दिसम्बर, 1984 के असाधारण गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या एस0 टी0-2-8319/दस-6(9)/83-उ0प्र0 अधि0/15/48-आदेश-84, दिनांक 30 नवम्बर, 1984 को उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, 1948 की धारा 3-क की उपधारा (2) के अनुसार इस सदन के पटल पर रखता हूं ।

†छापी नहीं गयी ।

## भारत के नियंत्रक महा लेखा परीक्षक का वर्ष 1982-83 का प्रतिवेदन (सिविल)†

राजस्व राज्य मंत्री (श्री गौरी शंकर)---

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का वर्ष 1982-83 का प्रतिवेदन (सिविल) उत्तर प्रदेश सरकार, को सदन के पटल के पटल पर रखता हूं ।

## वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे 1982-83, उत्तर प्रदेश सरकार††

राजस्व राज्य मंत्री (श्री गौरी शंकर)---

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे 1982-83, उत्तर प्रदेश सरकार, को सदन के पटल पर रखता हूं ।

## उत्तर प्रदेश गुन्डा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 1982

सचिव, विधान सभा---

माननीय अध्यक्ष की अनुज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश गुन्डा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 1982 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 12 सितम्बर, 1983 की बठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 7 अप्रैल, 1984 के उपवेशन में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 29 दिसम्बर, 1984 को प्राप्त हो गयी और वह 1985 का उत्तर प्रदेश का पहला अधिनियम बन गया ।

†छापा नहीं गया ।
††छापे नहीं गये ।

## कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—]

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 19 मार्च, 1985 की बैठक में यह सिफारिश की है कि दिनांक 20, 21 तथा 22 मार्च, 1985 के विधान सभा के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में निर्धारित किया जाय :

| | |
|---|---|
| 20 मार्च, बुधवार | 1—श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा,<br>2—निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण :<br>(1) उत्तर प्रदेश जिला परिषद (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1985 एक घंटा।<br>(2) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 1985—आधा घंटा ।<br>(3) उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1985—आधा घंटा । |
| 21 मार्च, गुरुवार | 1—श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा,<br>2—निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण :<br>(1) उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन), विधेयक, 1985—आधा घंटा,<br>(2) उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रीसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, 1985—एक घंटा ।<br>(3) उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक. 1985—आधा घंटा ।<br>(वित्तीय वर्ष 1984-85 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों, वित्तीय वर्ष 1985-86 के आय-व्ययक तथा वित्तीय वर्ष 1985-86 के एक भाग के लिए लेखानुदान का प्रस्तुतीकरण अपराह्न 5-00 बजे होगा) । |
| 22 मार्च, शुक्रवार | 1—वित्तीय वर्ष 1984-85 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य चर्चा, मांगों पर मतदान तथा तत्सम्बंधी विनियोग विधेयक का सदन की अनुज्ञा से पुरः स्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण ।<br>2—वित्तीय वर्ष 1985-86 के एक भाग के लिए लेखानुदान के प्रस्ताव पर विचार और मतदान तथा तत्संबंधी विनियोग विधेयक का सदन की अनुज्ञा से पुरः स्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण । |

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--

माननीय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह, सदन कार्य मंत्रणा समिति द्वारा की गयी सिफारिशों को, जिसकी सूचना श्री अध्यक्ष द्वारा आज सदन को दी गयी है, सहमत है ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति द्वारा की गयी सिफारिश से, जिसकी सूचना अध्यक्ष द्वारा आज सदन को दी गयी है, सहमत है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

## गोबिन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंत नगर के प्रबंध बोर्ड में सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

माननीय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें गोविन्द वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्व-विद्यालय, पंतनगर के प्रबंध बोर्ड पर कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 की धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (छ) के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करे ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंत नगर के प्रबंध बोर्ड पर कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 की धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (छ) के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ) ।

## उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, 1985

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

माननीय, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, 1985 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, 1985 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री हुकुम सिंह—

माननीय, आपकी अनुमति से मैं उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, 1985 को पुरः स्थापित करता हूं ।

(देखिये सत्थी 'क' आगे पृष्ठ 103 पर ।)

## कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

[समय 12 बजकर 14 मिनट]

श्री अध्यक्ष—]

नियम 56 में मेरे पास 15 सूचनायें प्राप्त हुई हैं । मैं आपकी जानकारी के लिये जिन लोगों की सूचनायें आयी हैं उनके नाम पढ़े देता हूं ।

(व्यवधान)]

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, सुन भी लें ।

श्री अध्यक्ष--

अगर मुनासिब समझूंगा तो सुन भी लेंगे ।

जिन लोगों की सूचनायें आयी हैं, उनके नाम हैं--श्री राम सजीवन, श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री बेनी प्रसाद, श्री हरिश्चन्द्र तथाश्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी एवं श्री सत्य प्रकाश, श्री कौशिक रमा शंकर, श्री मित्र सेन तथा श्री इकबाल अहमद, श्री अफजाल अहमद, श्री किरन पाल सिंह, श्री माता प्रसाद पांडेय, श्री सत्तपाल सिंह, श्री गौरी शंकर भइया, श्री शतरुद्ध प्रकाश एवं श्री रेवती रमण सिंह, श्री राजेन्द्र गुप्त, श्रीमहाराज सिंह, श्री राम गोविन्द चौधरी तथा श्री यदु नाथ सिंह ।

श्री राम सजीवन--

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और पूरे सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि मेरी गिरफ्तारी 28-12-1984 को हुई । उस समय जब मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के एक प्रत्याशी के नाते लोक सभा चुनाव की मतगणना के समय पंडाल में उपस्थित था । उस समय मुझे अचानक गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया । एक पुरानी रिपोर्ट के आधार पर जो कई दिनों पहले एक करोड़पति सेठ ने बांदा के पुलिस अधीक्षक को प्रेरणा से करायी थी । बहुत दिनों पहले रिपोर्ट हुई थी और 28 तारीख को गिरफ्तारी की गयी, जिसका असर जनता पर यह पड़ा कि चुनाव में मतगणना के दौरान हेरा-फेरी करने और धांधली करने की नीयत से ऐसा किया किया गया । मेरी गिरफ्तारी के बाद जब खबर पूरे जिले में फैली, तो जनता में गुस्सा और असन्तोष पैदा हुआ । मैंने धैर्यपूर्वक अपने समर्थकों और साथियों का शान्त रहने का प्रयास कराया ।

निवेदन यह करना चाहता हूं कि इस गिरफ्तारी के बाद मुझे बदनाम करने की नीयत से और अपमानित करने की नीयत से आगे जो कार्यवाहियां, हुई वह बहुत ही निन्दनीय हैं । माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी जानकारी में यह बात लाना चाहता हूं कि आज लखनऊ में गृह विभाग के एक प्रवक्ता ने मेरे खिलाफ बयान में दिया है और उन्होंने अपने बयान में कहा है कि उत्तर प्रदेश में रासुका के नौ बन्दी चुनाव लड़ रहे हैं । मुझे बदनाम करने की नियत से, मुझे अपमानित करने की नियत से पुलिस अधीक्षक, बांदा ने मेरे खिलाफ कार्यवाही की थी । इस लिए मैंने जेल में रह कर चुनाव लड़ने का फैसला किया था और अपने भाग्य का फैसला जनता की अदालत पर छोड़ दिया था ।

श्री अध्यक्ष--

उसका फैसला तो अब हो गया, इससे बढ़ा फैसला और क्या होगा ।

श्री राम सजीवन--

मैं रासुका का बन्दी नहीं हूं जबकि यह बात मेरे विरुद्ध कही गयी । आप महसूस करेंगे कि चुनाव के दौरान यदि किसी उम्मीदवार पर उसके खिलाफ पहले झूठे आरोप फैला दिये जायं तो उसका क्या असर होता है । मैं रासुका का बन्दी नहीं हूं और न कभी रहा हूं लेकिन उस सरकारी प्रवक्ता ने मेरे खिलाफ चुनाव के दौरान यह हवा फैला दी कि वह अपराधी प्रवृत्ति के आदमी हैं और मेरे क्षेत्र में इसका असर पड़ा था ।

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया संक्षेप में कह लीजिये ।

श्री राम सजीवन--

मेरा कहना यह है कि उसके बाद पुलिस अधीक्षक ने मेरे सैकड़ों कार्यकर्त्ताओं को जेल में डाल दिया, उनके घरों में

धुस गये और उनकी औरतों को बेइज्जत किया और उन लोगों को 216 में आज भी बन्दी बनाये हुये हैं। उनपर मुकदमा चल रहा है। मेरे ऊपर मुकदमा चल रहा है। मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि मुझे न्याय दिया जाय। मेरे विरुद्ध जो झूठे मुकदमे चल रहे हैं, उनको तुरन्त वापस लिया जाय और पुलिस अधीक्षक को सजा दी जाय। साथ ही साथ पुलिस अधीक्षक के कारण जो एक दरोगा की हत्या हो गयी और जिसके कारण सारी पुलिस फोर्स में असन्तोष व्याप्त है, उसके विरूद्ध कार्यवाही की जाय। मेरे मामले को गम्भीरता से लिया जाय और आप मुझे न्याय दिलाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष--

मैं सदस्यगणों से अनुरोध करूंगा कि मैंने जो आपको अवसर दिया है तो अगर आप उसका इस तरह से पालन करेंगे तो मुझे खेद है कि आईन्दा मौका देने में कठिनाई होगी।

*श्री गौरी शंकर भइया--

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने एक सूचना आपको दी है कि बहराइच जनपद में 300 हरिजन परिवारों ने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया है। वहां नवाबगंज थाने में हरिजन परिवारों ने इस्लाम धर्म ग्रहण किया है। शासन की नीति रही है कि वह हरिजनों का उत्थान नही करना चाहती है। जिस इलाके के लोगों ने धर्म परिवर्तन किया है उन्हें शासन कोई सुविधा नहीं दे पा रहा था बल्कि वहां के लोग भुखमरी से परेशान थे। उनको पेट्रोडालर का लालच देकर तथा वे लोग उनके दबाव में आ कर अपने धर्म परिवर्तन को राजी हो गये और उन्होंने इस्लाम धर्म का ग्रहण कर लिया।

इस सम्बन्ध में जो सबसे बड़ी बात उभर कर सामने आई है जिसकी शिकार जनता हुई है कि शासन अपनी कमजोरियों को छिपाना चाहता है। इस इलाके के असामाजिक तत्व, मिलकर, ग्रोलबन्द हो कर हमला करना चाहते हैं। हरिजन जो मुसलमान बन गये हैं, उनके अन्दर भय का वातावरण उत्पन्न हो गया है। बहराइच और उसके आस पास के जो गांव हैं वहां मुसलमानों के द्वारा दबाव का वातावरण उत्पन्न हो गया है जो आदमी, जो लोग कठिनाई में अपना भरण-पोषण कर पा रहे हैं उन पर दबाव डाला जा रहा है। अगर उन प्रतिनिधि और अखबार वाले आते हैं तो उनसे यह न कहें कि हमने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया है। इस तरह से गुंडों द्वारा शासन चल रहा है और उन पर दबाव पड़ रहा है। दूसरी तरफ पेट्रो डालर का दबाव पड़ रहा है। इस प्रकार उस इलाके में बड़े पैमाने पर हिन्दू मुस्लिम दंगा होने की सम्भावना पैदा हो रही है। आज तक शासन की तरफ से इस स्थिति से बचने के लिए न पी० ए० सी० तैनात की गयी है और न कोई दूसरे उपाय किये गये हैं कि अगर बड़े पैमाने पर हिन्दू मुस्लिम दंगा होता है तो उसे रोका जा सके। अतः लोक महत्व के निमित्त और अविलम्बनीय इस प्रश्न पर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस जिले में बड़े पैमान पर अवैध तरीके से पेट्रो डालर का आगमन हो रहा है। बड़े पैमाने पर अधिकारियों और गरीब लोगों को पैसा देकर लोगो को मुसलमान बनाया जा रहा है। श्रीमन हर एक को इस बात की आजादी है कि वह जिस धर्म को चाहे अपनाये और जिसको चाहे बदले लेकिन गुंडों के दबाव से या पैसे के लालच से धर्म परिवर्तन किया जाय तो वह अवैधानिक है और अमानवीय है। तो इस पर तत्काल चर्चा करायी जाय क्योंकि यह बड़ा गम्भीर मामला है। देश में जब हिन्दू मुस्लिम दंगे हुए तो इसका असर दोनो धर्मों पर पड़ा दोनों धर्मो के लोग अलग-अलग दिशा

मुखरित हो गये थे । इस लिए मैं आप से अनुरोध करना चाहूंगा कि प्रदेश में हिन्दू मुस्लिम दंगे न हो सके इसके लिए तत्काल कदम उठायें जायं और प्रभावी अंकुश इस पर लग इसके लिए आप इस कामरोको प्रस्ताव को मंजूर करके चर्चा कराने की अनुमति दें ।

श्री मनहरन नाथ कौल--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

कृपा करके बैठ जायं । जो बात माननीय गौरी शंकर भट्या जी ने कही उस पर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । यह गम्भीर मसला है इस पर सरकार गम्भीरता से विचार करेगी और देखेगी कि यह चीजें न बढ़ें इत सब बातों को सुनने के बाद सभी नियम 56 की सूचनायें मैंने अस्वीकार कर दी हैं । अब हम आगे बढ़ते हैं ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, इस सम्बन्ध में कुछ नयी बाते कहना चाहता हूं । कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनके बारे में बताना चाहता हूं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मैंने काफी मौका दिया । मेरी भी कठिनाई ह उसमें आप हाथ बटायें।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मान्यवर, कुछ ऐसी बातें कही गयी हैं अधिकारियों के सम्बन्ध में उसका स्पष्टीकरण होना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष--

कृपा करके आप बैठ जायं । मैं आपको भावनाओं का पूरा आदर करता हूं मैंने उस पर निर्णय दे दिया है । मुझे नहीं सुनना चाहिए था (व्यवधान) मगर मैंने सुन लिया ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

यह कौन अधिकारी हैं उनका नाम आना चाहिए इस पर चर्चा होनी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष--

इसे अब न उठायें, मेरा इस पर निर्णय हो गया, आप मेरा सहयोग करें।

श्री माता प्रसाद पान्डेय--

मान्यवर, आप जिस दीन भाव से कह रहे हैं । मैं उससे द्रवित हो गया ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

यह गम्भीर विषय हैं इससे पूरे प्रदेश में भ्रम फैल गया है ।

श्री अध्यक्ष--

इस विषय में अब कृपा करके क्षमा करें ।

(व्यवधान)

श्री मनहर नाथ कौल--

मान्यवर, बहराइच में कोई धर्म परिवर्तन नहीं हुआ हैं ।

(कई सदस्य एक साथ बोलने लगे )

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग कृपया बैठ जायें । श्री सन्तोष जी बोलें ।

(व्यवधान)

*श्री सन्तोष--

नेता विरोधी दल का मैं सम्मान करता हूं लेकिन उन्होंने अपने भाषण के बीच में कहा कि क्षेत्रीय चुनाव परिणाम के बारे में तथ्यों से परे, आधारहीन दोषारोपण किया गया।

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

माननीय सदस्य पढ़ नहीं सकते हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलें और पढ़ नहीं सकते हैं ।

श्री सन्तोष--

मैं राज्यपाल के अभिभाषण पर बोल रहा हूं और कुछ बिन्दुओं पर देख कर बोल रहा हूं ।

(व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य बैठ जायं ।

*श्री शतरुद्र प्रकाश--

मेरा व्यवस्था का यह प्रश्न है कि हम लोग आपके आदेश से बोलते हैं, आपके आदेश से बैठ जाते हैं । हम लोगों ने कार्य स्थगन का प्रस्ताव दिया था । आपने माननीय सदस्य बलिया, श्री गौरी शंकर भैया को सुना और हम लोग बैठ गये । आपने सरकार का ध्यान आकर्षित कर दिया उसके बाद माननीय सदस्य बहराइच ने कहा कि जो भी माननीय सदस्य बलिया ने कहा है वह असत्य कहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है । तो यह बात सदन के संज्ञान में आ गयी है। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि नियम 300 के अन्तर्गत यह औचित्य का प्रश्न है कि यह उन्होंने कहा है कि जो माननीय सदस्य बलिया ने कहा है, वह असत्य है ।

इस लिए मैं साफ कहना चाहता हूं कि बहराइच में हरिजनों का धर्म परिवर्तन हुआ है और पुलिस की वजह से हुआ है, इसको माननीय सदस्य बहराइच नकारते हैं । इसलिए इस बात की जांच करा ली जाये कि बहराइच में हरिजनों का धर्म परिवर्तन जबरदस्ती पुलिस के दबाव से कराया जा रहा है । मैं तो कहता हूं कि इसमें विदेशी हाथ है । 3-4 महीने पहले उत्तर प्रदेश में विदेशी शक्तियां सक्रिय हो गई थीं जिसके कारण देश के प्रधान मन्त्री की हत्या की गई । इसी प्रकार अब विदेशी शक्तियां दबाव डालकर यहां हरिजनों और मुसलमानों के सामाजिक संरचना को नष्ट कर रही है । पेट्रो डालर के बल पर विदेशी शक्तियां, विदेशी जासूस यहां जासूसी करके हमारी पूरी की पूरी सामाजिक संरचना को नष्ट करना चाहते हैं । इस बात में कोई भी सन्देह नहीं है ।

आप इस बात की जांच सी० आई० डी० से करावें या डायरेक्टर जनरल पुलिस से करावें, इस बात की जांच अवश्य करा ली जाए । यदि आप इस पर ध्यान नहीं देंगे, इसके रोकथाम के सक्रिय उपाय नहीं करेंगे, तो जो पिछले तीन महीने में हुआ है, नरसंहार हुआ है, साम्प्रदायिक दंगे हुए हैं, उनकी पुनरावृत्ति हो जायेगी । यह सही तथ्य हैं, इसकी जांच करा ली जाये, यदि नहीं कराई जाती है तो आनेवाले दिनों में जो खतरे आनेवाले हैं, उसको आप रोक नहीं पायेंगे । उन्हीं की ओर मैं इसके माध्यम से आपको इशारा करना चाहता हूं, सरकार और श्रीमन्, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

श्री हिरनपाल सिंह--

मेरा एक सुझाव है, उसे आप सुन लें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष--

आपकी पार्टी के लोग बोल चुके हैं, अब आप बैठ जायें ।

(व्यवधान)

कोई भी माननीय सदस्य बिना मेरी इजाजत के बोलेगा तो वह सदन की कार्यवाही में नहीं लिखा जाएगा ।

श्री बेनी प्रसाद--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री किरनपाल सिंह--

आप मुझे अपनी बात कहने दें...

(व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद--

जो आपने व्यवस्था दी, उसी के सम्बन्ध में मैं कुछ करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

आपकी बात को भी बर्क साहब सुनूंगा । मैंने तो हरीशचन्द्र जी को बुलाया है । आपको भी मौका मिलेगा ।

(श्री बेनी प्रसाद के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

आप राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलना चाहते हैं । बोलना चाहते हैं तो बोलें ।

(श्री किरनपाल सिंह, श्री हरिश्चन्द तथा श्री शफीकुर्रहमान बर्क के एक साथ बोलने पर)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आपकी बात को भी बर्क साहब सुनूंगा । मैंने तो हरीशचन्द्र जी को बुलाया है । आपको भी मौका मिलेगा ।

## श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)†

श्री हरिश्चन्द--

मान्यवर, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव आया है, उसमें संशोधन के रूप में कुछ निवेदन करना चाहता हूं । मुझे इस बात का खेद है कि श्री राज्यपाल महोदय को, अनेक ऐसे अहम प्रश्न थे जिनके ऊपर उनको विचार करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने उसकी पूरी उपेक्षा की है और इसी कारण इस धन्यवाद के प्रस्ताव के ऊपर मुझे संशोधन पेश करना पड़ा है ।

इस समय एक भारी संकट पूरे उत्तर प्रदेश में उत्पन्न है और वह है बिजली का । खेत में जिस समय सिंचाई के लिए पानी की बड़ी आवश्यकता है--गेहूं के अन्दर दूध आ चुका है--जायद की फसलें सूख रही हैं । मैं अपेक्षा करता था कि राज्यपाल महोदय कहेंगे कि कम से कम 15 दिनों के लिए गांवों में फसलों की सिंचाई के लिए 18 घंटे तक बिजली दी जायेगी और जितने भी सिंचाई के साधन हैं, उनको युद्ध स्तर पर सक्रिय कर लिया जायेगा । लेकिन मुझे खेद है कि इस अहम सवाल पर राज्यपाल महोदय ने कोई विचार प्रकट नहीं किया है । मैं बस्ती जिले से चुनकर आया हूं बांसी निर्वाचन क्षेत्र से । बस्ती जिले की आबादी इस समय 45 लाख के करीब है । सारा इलाका गरीबों से भरा पड़ा है, जिला बहुत पिछड़ा हुआ है, इसकी बड़ी जनसंख्या भी इसके पिछड़ेपन का कारण है लेकिन इसकी ओर उनका ध्यान नहीं गया है कि इस जिले को दो जिलों के रूप में विभाजित कर दिया जाय । लेकिन राज्यपाल महोदय ने इस सम्बन्ध में कोई विचार प्रकट नहीं किया । इस जिले का विभाजन दो जिलों के रूप में करना अनिवार्य है । अगर इस जिले की तरक्की चाहते हैं, प्रगति चाहते हैं और इसकी प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त करना चाहते हैं तो बस्ती जिले को दो जिलों में विभाजित कर दिया जाना चाहिये । पूरे जिले में कई नदियां हैं, खास तौर से बांसी

†दिनांक 19 मार्च, 1985 की कार्यवाही से ।

नौगढ़, डुमरियागंज तहसील में दो बड़ी नदियां बहती हैं एक राप्ती और दूसरी बूढ़ी राप्ती है। इन दोनों नदियों का चरित्र है कि ऊपर की मिट्टी लाती हैं और मिट्टी को रास्ते में छोड़ती जाती हैं।

जिस समय बाढ़ आती है तो बांसी, नौगढ़, डुमरियागंज तीनों तहसीलों की बहुत बड़ी जनसंख्या बरबाद हो जाती है। इस तरफ ध्यान देने की जरूरत थी। जब तक इन नदियों के मुहाने पर डैम बनाकर पानी नहीं रोका जायगा तथा नदियों के बहाव को गहरा नहीं किया जायगा, जब तक नदियों के दोनों तटों पर समान ऊंचाई के बंधे नहीं बनाये जायेंगे तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा सोनखर आजमगढ़ बांध को हर्ट तक बढ़ाना पड़ेगा। नदियों का चरित्र मार्ग बदलने का है अनेक जगहें ऐसी हैं जहां पर ठोकर बनाये जाने चाहिये।

बस्ती जिले की गरीबी को बनाये रखने में बाढ़ की विभीषिका एक कारण बनी हुई है। इसलिये राज्यपाल महोदय को चाहिये था कि इस बाढ़ को रोकने के सम्बन्ध में कोई बात करते। कुछ स्थान ऐसे हैं जैसे मगरहा, मेचुका, सोनखर, बंजरहा, डुमरिया बुजुर्ग, सतवाड़ी गांव ऐसे हैं जहां नदी के पानी से कटाव हो रहा है। यहां पर पक्की ठोकरें लगाने की आवश्यकता है। बाढ़ के चले जाने के बाद इस जिले में जल जमाव की भीषण समस्या उत्पन्न हो जाती है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बांसी विधान सभा क्षेत्र में तीन बड़े ताल हैं। एक पथरा ताल, दूसरा कौवा ताल और तीसरा चंवरताल, बाढ़ और बर्षा का पानी इनमें जमा रहता है। इन तीनों तालों से कम से कम 300 गांवों की फसलें बरबाद होती आ रही हैं। जब तक इनका पानी पुराने नालों के रास्ते राप्ती और बूढ़ी राप्ती में गिराने का प्रबन्ध नहीं होगा तब तक इन तीन सौ गांवों की फसलों को बचाना संभव नहीं हो पायेगा। मान्यवर, इसी के साथ-साथ एक और समस्या है। निर्माण के नाम पर बहुत से बंधे, सड़कें बनी हैं। लेकिन बंधों, सड़कों, पुलों में जो जमीन किसानों की ली गई है आज तक राजस्व विभाग के कागजों में उन किसानों का नाम नहीं काटा गया है जिसके कारण जिनकी जमीन चली गई है उनको लगान देना पड़ता है। इन लोगों को मुआवजा भी नहीं मिला है जिसके कारण पूरे क्षेत्र की जनता में भारी असंतोष व्याप्त है।

इसी के साथ-साथ, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ काम किये जायेंगे यह बात महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कही है लेकिन गांवों की ओर उनका ध्यान क्यों नहीं गया है इसका मुझे आश्चर्य है। गांवों की प्राइमरी पाठशालाओं, मिडिल स्कूलों को मैंने घूम-घूम कर देखा है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जितने मिडिल, प्राइमरी स्कूल हैं उनमें से तीन चौथाई ऐसे हैं जिनके भवन नहीं हैं, टाट-पट्टी, श्यामपट नहीं है। अध्यापक केवल कागज पर आते हैं, विद्यालय में उपस्थिति नहीं हो पाती है। तो इन चीजों की ओर ध्यान दिया जाना चाहिये था।

इसके साथ-साथ एक बड़ी समस्या यह है कि बड़े व्यापक क्षेत्र में अस्पताल नहीं है। बांसी में नाममात्र का अस्पताल है। यहां की आबादी साढ़े 8 लाख है और उसके बीच एक अस्पताल है जिसमें मुश्किल से 8-10 शैय्यायें हैं और वह भी फटी-पुरानी हैं, टूटी-फूटी खाटें हैं राज्यपाल महोदय को शासन की इस घोषणा की याद दिलानी चाहिये था कि प्रत्येक तहसील मुख्यालय पर एक बड़ा अस्पताल खोला जायगा इसके अनुसार, बांसी वहां का तहसील मुख्यालय है वहां पर कम से कम 200 शैय्याओं वाला ऊंचा अस्पताल होना चाहिये

ताकि जनता को चिकित्सा सुविधा मिल सके ।

मान्यवर, बस्ती जिले में, डुमरिया-गंज, नौगढ़, बांसी में बुनकरों की बहुत बड़ी तादाद है । लेकिन मान्यवर, इस समस्या को देखकर रोना आता है कि सारे बुनकरों का 6-6 महीने का भुगतान बाकी है । इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए था । बुनकर धोती, साड़ी, अंगोछा बनाते हैं और उनसे सरकार खरीदती है, परन्तु अभी तक 6-6 महीने हो गया है, उनको कीमत का भुगतान नहीं हो पाया है । ये बुनकर हैं, रोज कमा कर खाते हैं, भुखमरी उनके सामने व्याप्त है । इसके सम्बन्ध में राज्यपाल महोदय का ध्यान जाना चाहिए था । उन्होंने इसका उल्लेख नहीं किया ।

जनता सरकार ने अपने समय में हर गांवों की सड़क के जोड़ने का काम किया था, लेकिन मैंने अपने क्षेत्र बांसी में देखा जहां पर मिट्टी पड़ गयी थी, उससे आगे सड़क नहीं बन पायी । मैं समझता हूं कि पुराने शासन की इस घोषणा को फिर से लागू करने के लिए याद दिलाना अवश्यक था । उत्तर प्रदेश की जितनी कच्ची सड़कें थीं, उन्हें बनाना आवश्यक था । इस ओर राज्यपाल महोदय का ध्यान क्यों नहीं गया । सड़कें जहां जाती हैं, वहीं तरक्की जाती है । बिजली को हर गांव तक पहुंचाने का एलान इसी सदन में हुआ था । महामहिम राज्यपाल महोदय ने इसका उल्लेख नहीं किया कि हर गांव तक सड़कें, बिजली पहुंचायी जायं ।

हमारे बांसी निर्वाचन क्षेत्र में बांसी-धानी नरही, खंटिया, बंलोहा, कुड़जा, जिगनिवां, सोहरतगढ़, मिश्रौलिया रिठिया, जमुनी रिठिया, गोहर, कदमहवां, महोक्षवा, मथरा, करही पथरा तथा गोलहोरा-डुंडवघाट आदि सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाना चाहिए था । जनता शासनकाल में ग्रामीण विद्युतीकरण की योजना थी, उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए था और हर गांव तक बिजली पहुंचाई जानी थी । पूरे उत्तर प्रदेश में गन्ने के मूल्य किसानों का बकाया है ।

मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा, अभी आबकारी से सम्बन्धित एक बिल आने वाला है कि जिसमें जो भी बकाया धन सरकार का होगा और वह उन ठेकेदारों से ब्याज सहित वसूल किया जायगा । लेकिन मुझे हैरानी है, गन्ना किसानों का करोड़ों रुपया बकाया है, उसके ब्याज सहित भुगतान का ऐलान राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में क्यों नहीं किया, उन्हें यह ऐलान करना चाहिए था । उत्तर प्रदेश में 400 तक असहायता प्राप्त विद्यालय काम कर रहे हैं । उनको भी सेवा की कीमत है । 1977 में माध्यमिक शिक्षा संघ और शासन के बीच एक समझौता हुआ था कि मान्यता और सहायता दोनों साथ-साथ दी जायगी, लेकिन इन विद्यालयों को मान्यता तो दे दी है, परन्तु सहायता नहीं दी जा रही है । इन निजी स्कूलों में 80-80 रु० प्रति मास पर अध्यापकों को काम करना पड़ता है । यह उनका शोषण है । राज्यपाल महोदय को इन गरीब अध्यापकों की तरफ ध्यान देना चाहिए था ।

मैं चुनाव के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं । चुनाव तो बीत गया । महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा है कि स्थिर सरकार आई है । लेकिन चुनाव में जिन 32 लोगों ने जान से हाथ धो दिया, उनका जिक्र नहीं किया । चुनाव कमीशन द्वारा प्रधान मन्त्री को जानकारी में यह बात लायी गयी और कहा है कि आज से पहले किसी भी चुनाव में इस प्रकार की धांधली नहीं हुई है । 32 लोगों को जानें चली गयीं । मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र की बात कहना चाहता हूं । वहां पर मतदाता सूची में नाम बढ़ाने का काम हुआ था आपको भी सुनकर

हैरानी होगी । एक घर में 678 नाम दर्ज हैं । मतदाता सूची में ये 678 नाम दिखाये गये । मैं हैरान हो गया बरांव में एक मकतब चलता है । मतदाता सूची में उस हास्टल में रहने वाले लोगों का नाम डाल दिया गया । मैं वहां पर गया, आचार्य और प्रबन्धक से बात किया और उनसे पूछा कि अगर यहां पर 678 नाम सही हों, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, परन्तु उसमें ऐसे नाम थे जोकि पढ़कर देश के विभिन्न स्थानों पर तथा विदेश में जा चुके थे । उनकी सच्चाई पर मैं उनको इस सदन में बधाई देना चाहता हूं । उन्होंने कहा कि इन सारे नामों में से केवल 39 नाम ही सही हैं और इन्हीं 39 लोगों का मतदान करवाया गया ।

यह सारे लड़के जो चले गये हैं उनके नाम पुराने रजिस्टर से चढ़ा दिए गये । मैंने उनसे कहा आप वोट दिलवाएंगे तो मैं आपत्ति करूंगा । मान्यवर, मैंने उनकी स्क्रूटनी करायी तो 39 नाम सही निकले मैंने उनसे कहा आप इनसे वोट डलवाइए मैं इन पर कोई आपत्ति नहीं करूंगा ।

मान्यवर, करहो एक गांव है, चुनाव के वक्त यह कहा गया कि एक किलो-मीटर से दूर पोलिंग नहीं होंगे । लेकिन नदाव से तीन किलोमीटर दूर पोलिंग था, वह ऐसा गांव है जहां कांग्रेस को वोट नहीं दिया गया । श्रीमन्, चुनाव में जो धांधलियां हुई वह सारी धांधलियां अखबारों तक में पढ़ी गयीं अमेठी क्षेत्र में एक लाख बाइस हजार वोट मिले । यह हैरानी की बात है । एक लाख चालीस हजार की कांस्टीटुएन्सी में एक लाख बाइस हजार वोट प्राप्त हो गये, यह धांधली नहीं तो और क्या है । इलेक्शन में इतनी धांधली अच्छी नहीं है । मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ, एक संशोधन जो मैंने पेश किया था धन्यवाद प्रस्ताव के ऊपर उस संशोधन पर अपने विचार प्रकट किए । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

**श्री नारायन हरि शर्मा—**

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे महा-महिम राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का अवसर प्रदान किया । मान्यवर, राज्यपाल के अभिभाषण एक पुस्तिका के रूप में हमारे पास मौजूद है । जिस वक्त वह आदरणीय सदन में उपस्थित हुए थे तो वह अपना अभिभाषण पढ़ना चाहते थे, परन्तु शोरगुल के बीच में वह केवल औपचारिकता ही निभा पाए और कुछ पंक्तियां शुरू की और कुछ पंक्तियां आखिर की पढ़कर उन्हें वापस लौट जाना पड़ा । मान्यवर, मैं आदरणीय सदन का तथा उस तरफ बैठे हुए नेता विरोधी दल तथा अन्य विरोधी दल के नेतागण जो हैं, उनसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि सदन की मर्यादा के लिए राष्ट्रीय या राजनैतिक पिपासा के लिए मानवीय मूल्यों का दमन नहीं होना चाहिए । इसको सदन में बनाए रखना चाहिए । आज महामहिम राज्यपाल जी जो प्रदेश की सेवा करते रहे थे, आज जब वह अवकाश पर भी जाना चाहते थे उनको इस तरह का अवसर न मिलना गलत बात है ।

(शोर)

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय राज्यपाल का हमारे पास अभिभाषण है उसमें वह सारी बातें परिलक्षित हैं जो उत्तर प्रदेश की सरकार आज करने के लिए कटिबद्ध है । हमारे घोषणा-पत्र में जो संकल्प लिए गये हैं उन सारी चीजों का समावेश अभिभाषण में है । मैं उनको इसके लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारे प्रदेश के लिए एक दिशा निर्देशन किया है ।

मान्यवर, बिजली के सम्बन्ध में आपसे निवेदन करूंगा कि बिजली का संकट अवश्य है लेकिन बिजली के लिए हमारी सातवीं पंचवर्षीय योजना में जिस तरह के लक्ष्य हैं उसके द्वारा जो हमारे

प्रदेश को बिजली की आवश्यकता है वह पूरी होनी चाहिए।

आज बिजली कृषि और उद्योग के लिए इतनी आवश्यक हो गई है कि इनके बिना न तो उद्योग चल सकता है और न कृषि सम्पन्न हो सकती है। मुझे उत्तर प्रदेश की सरकार से आशा है कि आज बिजली की जो मांग है और जो सप्लाई में फर्क है, हमारी आवश्यकता पूरा प्रयास करेंगे कि हमारी किसानों को और उद्यमियों को पर्याप्त मात्रा में बिजली दी जाय। सिंचाई के सम्बन्ध में जो हमारे इस अभिभाषण में उल्लेख है कि 100 वर्ष पुरानी गंगा नहर का आधुनिकीकरण किया जायेगा, यह सराहनीय कदम है। गंगा नहर के तटवर्ती इलाकों की सीवेज के कारण यह हालत हो गयी है कि एक-एक, दो-दो किलोमीटर तक की जमीन कल्लर हो गयी है गंगा नहर के तटवर्ती क्षेत्रों में ट्यूबवेल लगा दिये जाय, इससे पानी बढ़ जायेगा सिंचाई के लिये और जो कल्लर तथा ऊसर जमीन है वह जरखेज में परिणित हो जायेगी। ट्यूबवेल लगने से जो पानी नहर में आयेगा, आगे जाकर कास्तकारों को उससे फायदा मिलेगा यह मेरा सुझाव है।

आज जो हमारी पुरानी नहरें हैं, जिनके आस-पास की जमीन खराब हो गई है, वहां पर ट्यूबवेल लगा देने से नहरों का पानी बढ़ जायेगा और जो जमीन सीवेज के कारण खराब हो चुकी है, वह जमीन सही होगी।

20 सूत्रीय कार्यक्रम, जो हमारे प्रदेश में लागू है, उसकी उपलब्धि सामने है। इस चतुर्दिस विकास के कारण उद्यमी, गरीब जो असहाय अवस्था में था, वह इस काबिल हुआ है कि वह धन लेकर उद्योग लगाकर अपनी स्किल और हुनर का सही इस्तेमाल कर रहा है। 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत अभ्यर्थी को जो धन कर्ज के रूप में दिया जाता है, उसमें अनुदान की धनराशि निश्चित होती है।

मेरा अपना सुझाव है, अगर मान्य हो और आदरणीय सदन इनको मान्यता दें तो मैं अपने विचार को व्यक्त करना चाहता हूं। अनुदान की वजह से अभ्यर्थी को, जेब में पूरा पैसा नहीं जाता है। उसका काफी पैसा अधिकारियों की जेबों में चला जाता है। यह अनुदान भ्रष्टाचार की जड़ है अनुदान को समाप्त करके जो धनराशि अभ्यर्थी को कर्ज के रूप में दी जाय उसकी अवधि बढ़ा दी जाय और बिना ब्याज के वापस ली जाय तो उसका पूरा फायदा पहुंचेगा और जो बीच में पैसा बंट जाता है, जो गड़बड़ी होती है उससे वह बच जायेगा। मान्यवर, इससे 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत अभ्यर्थियों को ज्यादा लाभ मिलेगा।

मैं कुछ और बातों की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जो सेल्सटैक्स है, बिक्री कर है। उसके सम्बन्ध में हमारी सरकार ने कभी यह संकल्प किया था कि सेल्सटैक्स का सरलीकरण होना चाहिये। मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इसको सरल बनाया जाय। उसमें जो खास दिक्कत है, वह अधिकारियों का विवेक है, डिस्क्रिसनरी पावर है। यह पावर इसलिये दी गयी थी कि जो उद्यमी है जो सेल्सटैक्स देने वाले हैं, वह चोरी न कर सकें। लेकिन उसका उल्टा हो रहा है। उसको नियमित किया जाय और मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार कुछ इस तरह की जो कमेटियां बैठी हैं, उसके सुझाव के आधार पर जो विवेक की ताकत है उसको नियमित किया जाय।

मेरा यह सुझाव है कि तीन वर्ष के बिक्री कर के असेसमेन्ट का एवरेज निकाल कर, कर निर्धारित कर दिया जाय और उसमें सरकार यह देखें कि इस तरह के निर्धारण से जो धनराशि बिक्री कर के रूप में पहले से उपलब्ध थी उससे कम तो नहीं है। अगर इस तरह की प्रणाली होगी तो इससे कर

दाताओं और कर निर्धारण करने वाले दोनों को सहूलियत होगी । मान्यवर, इस बात पर भी विचार किया जाय एक और मेरा निवेदन है कि...।

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य आपका समय समाप्त हो रहा है ।

श्री नारायन हरि शर्मा--

मान्यवर, मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले यह महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव है उसका मैं पूर्ण समर्थन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं ।

*श्री मनोहर लाल--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं बड़ी आरजू मिन्नत के बाद आपने मुझे राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया । [* *] अध्यक्ष महोदय, मैं आपको अपने क्षेत्र की बात बताना चाहता हूं वहां बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । आप यहां विधान सभा में बैठे हैं विधान सभा क्षेत्र में जायेंगे तो आपको भी उन तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा । अध्यक्ष महोदय, जो भी आदमी यहां आते हैं यहां विधान सभा में पहुंचते हैं तो यहां आकर उनका दिमाग बदल जाता है यहां की चकाचौंध में सबका दिमाग बदल जाता है ।

श्री कमाल यूसुफ मलिक--

आपके ऊपर आक्षेप नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया अपनी बात कहें यह जो शब्द आपने कहे हैं इसे कार्यवाही में नहीं लिखा जायेगा ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट--[ ** ] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।



हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)--

मान्यवर, कार्यवाही से निकाल दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष--

आप अपनी बात कहें । मैं खड़ा हुआ हूं आप बैठ जायं ।

श्री मनोहर लाल--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जो बात कहना चाहता हूं उसको आप सुनें और यह लोग भी सुनें ध्यान से सुनें तो समझ में आ जायेगा ।

श्री अध्यक्ष--

आप अपनी बात कहिये ।

(श्री मनोहर लाल ने श्री राज्यपाल के अभिभाषण की प्रति फाड़ कर सदन के फ्लोर पर फेंकी ।)

श्री मनोहर लाल--

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से कोई भला होने वाला नहीं है 37 साल हो गये देश को आजाद हुए...।

(व्यवधान)

श्री जयदीप सिंह--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मैं माननीय सदस्य का यह भाषण सुन रहा हूं उन्होंने अध्यक्ष पीठ पर आक्षेप किया है । ऐसे शब्दों से उनको आक्षेप करना नहीं चाहिए । मान्यवर, पूरी बात सुन लीजिए । मान्यवर, ऐसे शब्दों को कार्यवाही से निकाल दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष--

निर्णय दिया जा चुका है ।

श्री मनोहर लाल--

मान्यवर, जिस तरीके से आपके समय में व्यवस्था रही है उसी तरह की आज भी मौजूद है । यहां पर सामन्त-

वादी लोग हरिजनों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं यह किसी से छिपा नहीं है। आप किसी भी गांव में चले जाइये आज भी हरिजनों के ऊपर जुल्म और ज्यादती हो रही है। हरिजनों के बारे में यह कहा जाता है कि हरिजन लोग कांग्रेस से बिके हुए हैं लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरह की ज्यादतियां उन पर हो रही हैं....

(इस समय 1 बजकर 5 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री खान गुफरान जाहिदी पीठासीन हुए।)

जिस तरह से जो सामंतवादी लोग हैं, वे हरिजनों और अन्य जातियों के लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं। उनकी ओर कोई ध्यान देने वाला नहीं है। कहा जाता है कि हरिजनों को जमीनें दी गयी लेकिन वह कागजों तक ही सीमित हैं।

मैं समझता हूं कि इस तरह की जो कार्यवाही है, उसको अमली जामा पहनाया जाय, सिर्फ कागज तक ही सीमित न रहें। जहां तक और योजनाओं का ताल्लुक है, चाहे पेयजल योजना हो या हरिजनों की कोई योजना, किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हो रही है जिससे हरिजन यह समझ सके कि उसकी जान-माल सुरक्षित है। एक भूतपूर्व मंत्री यहां पर मौजूद हैं, उन्होंने मछुवारों, केवटों और निषाद के लिये तमाम घोषणाएं की थीं, लेकिन वह केवल घोषणा तक ही सीमित रहीं। जमुना से रेत निकालने का मामला हो या पिछड़े लोगों को कोई अन्य सुविधा देने का मामला, कहीं किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिल पायी है। तमाम प्रकार की घोषणाएं की गयीं लेकिन किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं मिल पाया है। इस प्रकार चुनाव के समय घोषणाएं करना तो आम बात हो गयी है लेकिन किसी प्रकार का कोई कार्यवाही नहीं होती है।

मैं खास तौर पर कहना चाहूंगा किससे कहें, कोई सुनने वाला नहीं है। राज्यपाल का अभिभाषण रस्मी तौर पर हुआ। आप देखें कि पिछड़े वर्ग के जो समुदाय हैं उन पर कोई ध्यान देने वाला नहीं है, जहां तक मजदूरों का ताल्लुक है, उनका भी शोषण हो रहा है। कानपुर में एक रेशम मिल है, तीन साल से बन्द पड़ी है, उसके 3,200 मजदूर बेकार हैं। इसी तरह से कैलाश मिल चार साल से बन्द है उसके तीन हजार मजदूर बेकार हैं। अब तक कांग्रेसी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। पिछले चुनाव में वादा किया था, अबकी लोक सभा और विधान सभा चुनाव के समय भी वादा किया कि रेशम और कैलाश मिल को चालू किया जायगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ।

मेरे विधान सभा क्षेत्र उन्नाव में बहुत से उद्योग हैं, लेकिन सौभाग्य कहूं या दुर्भाग्य हमारे यहां के श्री गोपीनाथ दीक्षित जी उद्योग मंत्री हैं, लेकिन उन्नाव के उद्योग बन्द पड़े हैं। बहाना बिजली का किया जाता है। हालत यह है कि बिजली कटौती की वजह से आज कानपुर के उद्योग हों या उत्तर प्रदेश के किसी अन्य जिले के, या उन्नाव के सब पूरी तरह से नहीं चल रहे हैं, जिससे मजदूरों के सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गयी है। इसलिये आज सरकार का दायित्व है कि उनकी रोजी-रोटी की समस्या को हल करे। लेकिन सरकार बिजली की कमी का बहाना करके पीछे हट जाती है और मजदूरों का शोषण होता रहता है। मालिकों को ले आफ की छूट दे दी जाती है, लेकिन ले आफ में मजदूरों को आधा वेतन दिलाये जाने की व्यवस्था होती है, जो मजदूरों को नहीं दी जाती है और यह सरकार मजदूर हिमायती कहलाती है। इस तरह से मजदूरों का बराबर शोषण हो रहा है।

इसके साथ ही जिस क्षेत्र में जहां भी उद्योग लगे वहां मालिकों को उद्योग की आवश्यकता के अनुसार ही जमीन दी जानी चाहिये। जरूरत से ज्यादा जमीन किसानों से न ली जाय। होता

यह है कि जरूरत 5 बीघे जमीन की है, ले लेते हैं 50-60 बीघा जमीन उस बाकी जमीन में बाद में मालिक खेती कराते हैं। खेती ही होनी है उस जमीन पर तो किसान क्यों न करे। मालिकों को कम मुआवजा देकर उद्योग के नाम पर सस्ती जमीन मिल जाती है। इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये। सरकार को देखना चाहिए कि जहां नये उद्योग लग रहे हैं उनकी स्थिति क्या है, वे कैसे चल रहे हैं। उन्नाव जनपद में जो सड़कें हैं, जो स्कूल हैं उनकी स्थिति बहुत खराब है। मान्यवर, गंगा बैराज का मामला आपसे भी सम्बन्धित है, यह कानपुर और उन्नाव दोनों के लिए बहुत ही जरूरी है। इसके बारे में सरकार चुप है। राज्यपाल के अभिभाषण में इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। हम चाहते हैं कि इसे प्रायोरिटी बेसिस पर शुरू किया जाय क्योंकि इससे कानपुर और उन्नाव के हजारों गांव कटान से कट रहे हैं। इससे वे गांव बच जायेंगे। कानपुर शहर की बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए इससे वहां के पीने के पानी की व्यवस्था भी ठीक हो जायेगी।

इन शब्दों के साथ अधिष्ठाता, महोदय, मैं खास तौर से उन्नाव जनपद जो कि कानपुर और लखनऊ के बीच में है, की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। हम उम्मीद करते हैं 37 साल तक इस जनपद की ओर जरा भी ध्यान नहीं दिया गया है। इसकी तरक्की और बेहतरी के लिए उत्तर प्रदेश की मंत्रिपरिषद् बराबर ध्यान देगी। इन शब्दों के साथ मैं राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

[समय 1 बजकर 10 मिनट]

श्री महरम सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर जो माननीय नेता सदन ने धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, राज्यपाल जी का अभिभाषण ऐसा है जो पिछले वर्षों के मुकाबले में बहुत अच्छा है। मैंने इसको पढ़ा है। इसमें प्रदेश की 12 करोड़ जनता के आर्थिक विकास के लिए व्यवस्था की गयी है और संकेत दिया गया है। मेरे ख्याल से पिछले 10 वर्षों से इस तरह का कोई संकेत हमें नहीं मिला था। वैसे तो किसी पर आलोचना की जा सकती है, किसी पर टिप्पणी की जा सकती है, लेकिन यह अभिभाषण इतना अच्छा है कि इसके कार्यान्वयन में सरकार द्वारा जो कार्यवाहियां होंगी उससे माननीय सदस्यों को पता चलेगा कि कितना विकास हुआ है और प्रशासनिक व्यवस्था में कितना सुधार हुआ है। यह बात सही है कि कुछ त्रुटियां रह जाती हैं, जिनके सम्बन्ध में मैं भी कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

(व्यवधान)

माननीय, अधिष्ठाता महोदय, मैं कुछ सुझाव आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी और उत्तर प्रदेश सरकार के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। मेरा विश्वास है कि इन पर प्रभावी ढंग से कार्यवाही की जायेगी। मान्यवर, फर्रुखाबाद जनपद से मैं विधान सभा क्षेत्र कमालगंज से निर्वाचित हुआ हूं। फर्रुखाबाद के बारे में सभी जानते हैं कि जितनी आलू की पैदावार पूरे देश में होती है उसका 10 प्रतिशत आलू फर्रुखाबाद में पैदा होता है। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि आलू जैसा खाद्यान्न सारी दुनिया के लिए इतना प्रभावी बन गया है कि अगर इसको खाद्यान्न से निकाल दिया जाय तो उसमें बिलकुल अधूरापन हो जायेगा। लेकिन मान्यवर, आज तक एक लम्बे समय से आलू के सम्बन्ध में चर्चायें होती रही हैं, कार्यवाहियां होती रही हैं, इसके लिए हिन्दुस्तान में कोई बड़ा कारखाना नहीं लग सका जिससे आलू की विभिन्न

चीजें पैदा की जा सकती थीं और बनायी जा सकती थीं। फर्रुखाबाद में सन् 1972-73 में आलू के लिए एक कारखाना लगाये जाने का प्रस्ताव था लेकिन न मालूम क्या हुआ कि आज तक इस कारखाने को लगाने की कोई कार्यवाही नहीं हो सकी। मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से यह बहुत नम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि आलू की विभिन्न चीजों के बनाने के लिए एक बड़ा कारखाना फर्रुखाबाद में लगाने की तुरंत आवश्यकता है। मान्यवर, हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर छठी पंचवर्षीय योजना के क्रियान्वयन में तमाम प्रकार की फैक्ट्री देश में व प्रदेश में लगी लेकिन आलू जैसे खाद्यान्न, जिसकी कितनी बड़ी उपयोगिता है, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया।

मान्यवर, अक्सर ऐसे मौके आये हैं जब आलू खेतों में खोदने को पड़ा रहा और उसकी मजदूरी और बोरे की कीमत नहीं निकल सकी। मैं तो उत्तर प्रदेश सरकार से आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि इसकी बाबत कोई तुरंत हाई पावर कमेटी नियुक्त कर दी जाय ताकि उसमें आलू पर आधारित किस प्रकार के कारखाने लग सकते हैं और कितनी लागत में लग सकते हैं और कहां-कहां लग सकते हैं, इस पर विचार हो सके। मान्यवर, यह बहुत आवश्यक है।

मान्यवर, इसके अलावा इसकी ढुलाई आदि की समस्याओं की बाबत भी सदन का ध्यान आकृष्ट करूंगा और मेरे विचार से यह समस्यायें लगभग हर वर्ष ही रहती हैं। मान्यवर, कभी रेलवे से पर्याप्त मात्रा में समय से आलू की ढुलाई के लिए रेलवे वेगन्स नहीं उपलब्ध हो पाते हैं और जिस कारण आलू की भरमार हो जाती है और उसकी कीमत गिर जाती है। और, इसी तरह से कभी वैगन्स मिल गये तो पर्याप्त रूप में उसकी बाजार नहीं मिला, ऐसी हालत में आलू की कीमत असीमित रूप से गिर जाती है। जैसे, इस बार फर्रुखाबाद के आलू का अच्छा बाजार नहीं मिला, उसकी कीमत असीमित गिरी।

मान्यवर, अतः यह निवेदन है कि आलू की ढुलाई के लिये रेलवे वैगन्स की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था रहनी चाहिये। मान्यवर, होता क्या है आलू की कीमत गिरने से किसानों को अपनी पैदावार का उचित मूल्य भी नहीं मिल पाता है। इसी के साथ-साथ शीतगृहों में किसानों को आलू रखने की कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय कृषि मंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि किसानों के हित में शीतगृहों में अतिशीघ्र आलू रखने की पर्याप्त व्यवस्था कर दी जाय और समुचित आदेश जारी किये जायं और इसी के साथ यह भी निवेदन है कि यह भी निर्देश दिया जाय कि शीतगृहों में आलू रखने का किराया न बढ़ाया जाय।

मान्यवर, इसी के साथ-साथ यह भी ध्यान आकृष्ट करूंगा कि बिजली की निरंतर आपूर्ति न होने के कारण भी शीतगृहों में आलू खराब हो जाता है। अतः यह भी निर्देश दिया जाय कि शीतगृहों को निरंतर विद्युत आपूर्ति बनी रहे। इसी के साथ ही साथ यह भी कहना चाहूंगा कि बिजली की अपूर्ति के बाबत जितने घंटे निर्धारित किये गये हैं, उत्तर प्रदेश में, उतने घंटे तो बिजली हर कीमत पर देना सुनिश्चित किया जाय। मान्यवर, होता यह है कि आदेशानुसार 6 घंटे बिजली मिलनी है और किस समय पर मिलनी है लेकिन, व्यावहारिक रूप में बिजली केवल दो घंटे मिली या अनियमित रूप से मिली। इन चीजों को गम्भीरता से नहीं लिया जाता है।

मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से अनुरोध करूंगा कि इसका कड़ाई

से पालन कराया जाय। इसके अतिरिक्त मान्यवर, मेरा यह भी निवेदन है कि जितने जिला अस्पताल हैं, उनमें तुरंत ही एक-एक जनरेटर की व्यवस्था कर देनी चाहिए, ताकि जो सीरियस मरीज हैं, बिजली के अभाव में उनको परेशानी न हो, उनका आपरेशन आदि हो सके। फर्रुखाबाद और फतेहगढ़ में तो यह आवश्यक है ही जनरेटर की व्यवस्था की जाय लेकिन, उत्तर प्रदेश के जितने जिला अस्पताल में इसकी व्यवस्था नहीं हैं, उसमें, स्पेशल बजट के माध्यम से जनरेटर की व्यवस्था वहां पर होनी चाहिए।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त।

श्री महरम सिंह--

इन्हीं शब्दों के साथ में आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्रीमती सरोज वर्मा--

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में बहुत सी महत्वपूर्ण बातों पर प्रकाश नहीं डाला गया है। मैं उन्हीं कुछ छूट गये मुख्य बिन्दुओं की तरफ आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं। उन्होंने अपने अभिभाषण में कहा है कि सरकार ने इस बात का ध्यान रखा है कि गन्ना विकास के साथ-साथ दूसरी फसलों का उत्पादन सन्तुलन न बिगड़े। लेकिन संतुलन किस तरह से न बिगड़े। संतुलन न बिगड़ने के लिए क्या सरकार ने कोई कानून बनाने के बारे में सोचा है, इसके बारे में सरकार ने कोई प्रकाश नहीं डाला है।

दूसरी बात अभिभाषण में कही गयी है कि खांडसारी व गुड़ के उत्पादन को भी समुचित प्रोत्साहन दिया जायेगा। प्रोत्साहन से क्या तात्पर्य है। प्रोत्साहन तो सरकार लगातार देती आ रही है। परन्तु आंकड़े कुछ और बोल रहे हैं। 1975-76 में 4 हजार 77, खांडसारी इकाइयों को लाइसेन्स दिये गये थे, जिसमें से 3 हजार 500 इकाइयां चलीं। लेकिन 8 साल के बाद 1983-84 में 2374 खांडसारी इकाइयों को लाइसेन्स दिये गये, जिसमें से 2041 इकाइयां चलीं।

मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहती हूं कि इस प्रकार का प्रोत्साहन खांडसारी इकाईयों को सरकार आगे भी देती रहेगी? यदि इस प्रकार का प्रोत्साहन देते रहे तो एक दिन सारी खांडसारी इकाईयां खत्म हो जायेंगी। यदि सरकार मेरा सुझाव माने और खांडसारी उद्योग को बढ़ावा दे तो खांडसारी इकाईयों को टैक्स के भार से मुक्त किया जाय। जिस तरह से गन्ना का रिसर्च होता है, किसानों को बताया जाता है कि आप गन्ने की पैदावार ज्यादा कर सकते हैं इस टेक्नीक को अपनाने में, उसी तरह से खांडसारी के लिए भी रिसर्च विभाग की स्थापना की जाय, जो किसानों को बतायें कि इस टेक्नीक को अपनाने में खांडसारी का उत्पादन बढ़ सकता है।

मान्यवर, सहकारी व सार्वजनिक क्षेत्रों में कुछ नई मिलें लगाने का सरकार ने प्रस्ताव किया है, बहुत खुशी की बात है। सरकार नये चीनी मिल लगाने जा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश गन्ना-बाहुल्य क्षेत्र है यहां पर सबसे ज्यादा गन्ना पैदा होता है। परन्तु इसके साथ ही साथ में यह भी कहना चाहती हूं कि मेरा जो निर्वाचन क्षेत्र छपरौली है, वहां पर बहुत दिनों से एक नई मिल लगाने हेतु किसानों की तरफ से मांग की जाती रही हैं लेकिन उसकी उपेक्षा की जा रही है। आखिर क्यों की जा रही है?

मेरठ में छपरौली में सबसे ज्यादा गन्ना पैदा होता है। हमारे यहां छपरौली में रमाला गन्ना मिल है, जिसकी रिकवरी 8.5 है। बुलन्दशहर में

अनूपशहर चीनी मिल हैं । ये दोनों मिलें एक साथ लगी थी लेकिन अनूपशहर का तो विस्तार हो चुका है परन्तु रमाला चीनी मिल का आज तक विस्तार नहीं हुआ है । इसलिए मेरा सुझाव है कि रमाला चीनी मिल का विस्तार किया जाय । रमाला चीनी मिल की पिराई क्षमता इस समय 1250 टन प्रति दिन है यदि इसका विस्तार किया जायेगा तो इसकी पिराई क्षमता 2500 टन प्रति दिन हो जायेगा । सरकार से आश्वासन चाहती हूं कि जो नई गन्ना मिलें बने उसमें छपरौली क्षेत्र के किसानों की भी बात सुनी जायगी, उनकी उपेक्षा नहीं की जायगी । एक तरफ तो सरकार किसानों के हितों की बात करती है लेकिन दूसरी तरफ करोड़ों रुपया गन्ना का बाकी है । 50 करोड़ आज भी बाकी है, छपरौली क्षेत्र में ही लगभग डेढ़–दो लाख बाकी है । एक तरफ महंगाई की मार दूसरी तरफ किसानों को सरकार की ओर से कोई सुविधा नहीं मिलती । न खाद मिलती है न बिजली, न पानी न सिंचाई की सुविधा । कहा जा रहा है कि गेहूं की फसल बहुत अच्छी हो रही है । खेतों में खड़े लहलहाते गेहूं बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन उसकी कटाई के लिए बिजली नहीं है ।

बिजली तो शहरों में, बड़े–बड़े उद्योगों में और कांग्रेस के बड़े–बड़े नेताओं के क्षेत्र में है । इसलिए मेरा सुझाव है कि अगर सरकार किसानों का हित चाहती है तो अविलम्ब शहरों, बड़े–बड़े उद्योगों की बिजली काटकर गांवों में दी जाय वरना तेज हवाओं के कारण आज यह लहलहाते गेहूं के खेत, जो तैयार हैं, उसके दाने सूख जायेंगे और पैदावार कम हो जायगी तथा हमारी सरकार को हर वर्ष की तरह आगे भी विदेशों से गेहूं मंगाना पड़ेगा ।

लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने की बात कही गई । लेकिन यह सरकार हथकरघा उद्योग को नहीं देख रही है । आज हमारे बुनकर कहां हैं, जो मेहनत की रोटी खाते थे, रिक्शा चलाने को मजबूर हो रहे हैं । क्यों ? कारण है उनका सूत महंगा हो गया, रंगाई के दाम बढ़ गये लेकिन जो माल तैयार होता है उसको कोई खरीदने वाला नहीं । इसलिए मैं सरकार से आश्वासन चाहूंगी कि उनके सूत को सस्ता कर तैयार माल खरीदने की गारन्टी दे । अगर इसकी उपेक्षा कर दी गई तो हिन्दुस्तान की हालत कभी सुधर नहीं सकती । सरकार को लघु उद्योग, कुटीर उद्योग में क्या दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, देखना चाहिए ।

सरकार गरीबों की गरीबी दूर करना चाहती है और इसके लिए कृतसंकल्प है । यह बात सुनने में बड़ी अच्छी लगती है । पिछले साल भी महामहिम राज्यपाल महोदय ने यही बात कही थी । बड़ी–बड़ी योजनायें थीं । 20 सूत्री कार्यक्रम था, रोजगार योजना थी । रोजगार योजना ने तो कमाल ही दिखा दिया । बेरोजगारों की तो बेरोजगारी दूर नहीं हुई, लाभ मिला किसको कुछ बैंकों के कर्मचारियों को, शासन के कर्मचारियों को और कांग्रेस के दलालों को, जो बीच में पैसा खाते हैं । सरकारी मशीनरी इस तरह की है कि इसके कितने ही उदाहरण आपको दें, कम हैं ।

श्री अधिष्ठाता––

माननीया सरोज जी, केवल आधा मिनट रह गया है ।

श्रीमती सरोज वर्मा––

सीतापुर में इमलिया ब्लाक में पारा गांवों के हरिजनों के नाम से बैंक से बहुत सा रुपया लिया गया लेकिन वह पैसा हरिजनों तक नहीं पहुंचा । कोई भी आदमी इस बात का पता लगा सकता है कि वह पैसा हरिजनों तक नहीं पहुंचा । आखिर वह पैसा कहां गया ? उस पैसे को कुछ लोग खा गये । अगर वास्तव में सरकार गरीबी को दूर करना चाहती है तो जनता को नारों से

नहीं बल्कि रोजगार से गरीबी दूर की जा सकती है। जो योजनायें, जो परियोजनायें सरकार चलाना चाहती है, यदि वह गांवों में लगें तो उससे जनता को कुछ फायदा हो सकता है ।

यदि सरकार कोई सुविधा देना चाहती है, पैसा देना चाहती है, कर्जे से देती है या फ्री देती है उस पैसे को जिसको देना हो उन लोगों की सूची गांव के प्रधान के घर में टंग जानी चाहिए । इस तरह से जिसको पैसा मिलना होगा उसी को मिलेगा और बीच में बेइमानी करने वाले लोग बेइमानी नहीं कर पायेंगे । जो बेइमानी करने वाले लोग हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिये ।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हो गया ।

श्रीमती सरोज वर्मा—

अन्त में मैं यही कहना चाहती हूं कि राज्यपाल के अभिभाषण में यदि इनको सम्मिलित कर लिया जायेगा, तो जनता का कुछ भला हो सकता है ।

श्री हीरा सिंह बिष्ट—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे राज्यपाल के अभिभाषण के समर्थन में बोलने का अवसर दिया । महामहिम राज्यपाल ने अपने सारगर्भित अभिभाषण में हमारी सरकार ने और प्रदेश ने जो प्रगति की है, उसका उल्लेख किया है । मान्यवर, यह प्रदेश गंगा और जमुना जैसी पवित्र नदियों का प्रदेश है । भारत का गौरव हिमालय पर्वत से निकल कर हमारे देश और प्रदेश को खुशहाली की ओर ले जाता है । इसी प्रकार हमारी प्रेरक गौरवमयी श्रीमती इन्दिरा गांधी, जो देश की एकता व अखण्डता के लिए शहीद हुई हिमालय की तरह अटल रहीं लेकिन झुकी नहीं । उनके विचार आज भी इन्हीं गंगा और यमुना की तरह से हमारे देश को विकास व खुशहाली की तरफ ले जायेंगे । हमारा देश हमेशा उनसे प्रेरणा लेता रहेगा ।

मान्यवर, हमारी सरकार ने, जो राज्यपाल का अभिभाषण है उसमें बहुत सी उपलब्धियां जो हमारे प्रदेश ने की हैं, उनका उल्लेख है । हमारी सरकार ने कृषि के क्षेत्र में अनुपम उपलब्धि की है । अनेक राजनीतिक विषमताओं और विपदाओं, दैवी आपदाओं जैसे कहीं अतिवृष्टि हुई तो कहीं सूखा पड़ा लेकिन इसके बावजूद भी हमारी सरकार ने साहसिक और सराहनीय कदम उठाने में कोई कमी नहीं रखी और खरीफ में 110 लाख टन खाद्यान्न का एक ऐतिहासिक रिकार्ड कायम किया जो अपने आप में एक मिसाल है । सरकार ने लगभग 76 सिंचाई की नई योजनाओं पर काम चलाया है जो पूरी होने पर हमारे प्रदेश के गांवों में कृषि के अधिक विकास में सहायक होंगी । इन योजनाओं से प्रदेश की प्रगति में अपने आप में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी ।

मान्यवर, हमारे प्रदेश में कृषि के विकास के साथ गन्ने के बहुत से क्षेत्र हैं जहां बहुत अधिक गन्ना पैदा होता है । उस गन्ने की खपत के लिए सरकार ने सराहनीय कार्य किया है । गन्ने का अधिकतम उपयोग किया गया है और सहकारी क्षेत्र में तीन मिलें निर्माणाधीन हैं । किसान को उसका अधिकतम मूल्य दिलाया गया है । हमारी सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र में भी काफी उन्नति की है । जो हमारे बेरोजगार नौजवान हैं, बेकार हरिजन हैं, मातायें हैं, बहनें हैं, उन सबकी आमदनी के लिए, उनके विकास के लिए, उनको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए अनेक प्रकार की योजनायें 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत चलाई हैं, जिनमें अनुदान व ऋण सुविधायें प्रदान की जा रही हैं । जिससे गरीबी की रेखा से नीचे लाखों परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार किया गया है ।

हमारे प्रदेश में एन0 आर0 ई0 पी0 और आई0 आर0 डी0 जैसी स्कीमों में करोड़ों कार्य दिवसों का सृजन करके हमारी सरकार ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। हमारी सरकार ने गरीबों, हरिजनों, निर्बल वर्ग के लोगों और पिछड़े वर्ग के लोगों की भूमि आबंटन व आवासीय व्यवस्था करके भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। छोटे-छोटे दुकानदारों और बेरोजगारों खेतिहर मजदूरों को अनुदान और बैंकों से ऋण दिलाकर समाजवादी व्यवस्था कायम करने के लिए हमारी सरकार ने बहुत ही महत्वपूर्ण काम किये हैं। प्रदेश में नहीं, देश में नहीं बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण पर बहुत जोर दिया जा रहा है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसकी शुरुआत करके इसका श्रीगणेश किया था, माननीय राजीव गांधी जी ने गंगा प्राधिकरण को निदेश देकर इसमें फैले प्रदूषण को दूर करने के लिए बहुत बड़ी योजना तैयार की है जिससे 6 बड़े जिले लाभान्वित होंगे। इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं।

मसूरी जो पहाड़ों की रानी है, वहां पर चन्द पूंजीपतियों ने खुदान करके इसे कुरूप करने का एक अभियान चलाया हुआ था। हमारी सरकार ने इन चूना खानों के पट्टों का नवीनीकरण नहीं किया है और नई खानें स्वीकृत की हैं क्योंकि इससे वनों का और खेती का तो विनाश हो ही रहा था साथ ही भारत का प्रसिद्ध पर्यटन केन्द्र मसूरी भी तबाही की ओर जा रही थी। पिछले हफ्ते में सुप्रीमकोर्ट ने मसूरी की आबादी की अधिकांश खानों पर माननीय मूल्यों की सुरक्षा के लिए प्रतिबन्ध लगाकर खानें बन्द कर के एक लोकहित का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। खनिजों का दोहन किया जाय विकास के लिए लेकिन जहां पर आबादी हो, कृषि हो, वन हो, वहां पर इस पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिये। क्योंकि इससे न केवल हरियाली बनी रहेगी अपितु बाढ़ नियन्त्रण, तापमान तथा जल स्रोतों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

देहरादून में 6 सीमेन्ट के कारखाने हैं, जिसमें शासन ने प्रदूषण नियन्त्रण यन्त्र लगाने के आदेश दिये हैं लेकिन इस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है जिससे वातावरण दूषित हो रहा है। समीप की आबादियों व कृषि पर कुप्रभाव पड़ रहा है। इस सम्बन्ध में मेरी मांग है कि सरकार प्रभावकारी कदम उठाये।

शिक्षा के क्षेत्र में अनुसूचित जाति और हरिजन जाति के बच्चों को 10वीं तक निःशुल्क शिक्षा देने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए हमारी सरकार बधाई की पात्र है। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम तथा प्राविधिक शिक्षा पर अधिक बल दिया जा रहा है जो समय की आवश्यकता है।

आज हमारे यहां आवश्यकता प्रदूषण को दूर करने के लिए वनीकरण की है। जहां एक ओर वनीकरण पर जोर दिया जा रहा है, वह ठीक है, किन्तु इसके साथ ही पर्वतीय क्षेत्र की अपनी समस्यायें भी हैं। देखा यह गया है कि स्वीकृत सड़कों का निर्माण करना है तो वन विभाग के नियम आड़े आते हैं। इन नियमों को सीमा तक शिथिल किया जाना चाहिए कि जहां पर वृक्ष नहीं हैं, वहां पर सड़कें बनाने के लिए सुविधा प्रदान की जाय तभी पहाड़ी क्षेत्रों का विकास सम्भव हो सकेगा। इसके साथ ही पेयजल की भी योजनायें चल रही हैं लेकिन उनको क्रियान्वित करने के लिए लक्ष्य को प्राप्ति नहीं हो पा रही है।

श्रम के सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहूंगा और सरकार को इस बात के लिए बधाई देना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने समय-समय पर मजदूरों की समस्याओं को निपटाने के लिए और औद्योगिक अशान्ति को दूर करने के लिए द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय वार्ता कराकर बहुत बड़ी उपलब्धि की है और कहा है कि कोई भी तालाबन्दी शासन की पूर्व स्वीकृति के नहीं होगी। कुशल और अकुशल श्रमिक और खेतिहर मजदूरों की मजदूरी में बढ़ोत्तरी करने का सुझाव सरकार को देना चाहता हूं।

कानून और व्यवस्था के सम्बन्ध में मैं कहना चाहूंगा कि श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या के बाद जब पूरे देश में और प्रदेश में हिंसा का वातावरण शुरु होने जा रहा था, उस समय सरकार ने बड़े साहस के साथ राजीव जी ने केन्द्र में और हमारी सरकार ने प्रदेश में, इस दौर को दबाया और हिंसा की आग को भड़कने नहीं दिया। इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। हमारी सरकार ने जो किया है उसमें समय भले लगा हो चाहे उसके लिए श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के भाई का बलिदान हुआ अनेक पुलिस जवान शहीद हुये हों लेकिन समाज में शान्ति व्यवस्था बनाने के लिए हमारी सरकार ने उचित और कठोर कदम उठाय है। जिससे बड़े-बड़े डाकू गिरोह व असामाजिक तत्वों का सफाया किया गया है।

श्री अधिष्ठाता--

अब आपका समय समाप्त।

श्री हीरा सिंह विष्ट--

यहां पर बैठे हमारे साथी जो बहुत लोकतंत्र और प्रजातंत्र की दुहाई देते हैं जो बहुत संसदीय मान्यताओं की बात करते हैं उन्हीं लोगों ने देश का काला इतिहास बनाया है जिसके कारण श्रीमती इन्दिरा गांधी को चिकमंगलूर से चुनाव लड़ना पड़ा और लड़कर जीतकर आने पर असंवैधानिक तरीके से लोक सभा से निष्कासित किया फिर भी ये लोग सत्ता से उन्हें नहीं हट सके।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप बैठिये, आपका समय समाप्त हो चुका है।

श्री मैनेजर सिंह--

माननीय अधिष्ठाता जी, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव पर संशोधनों के समर्थन में अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। मान्यवर, महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में माननीय श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या का जिक्र किया है। धन्यवाद के प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़े हुए उधर के काफी सदस्यों ने इस पर चर्चा की। श्रीमन्, वह दुखद घटना, वह शर्मनाक घटना देश के लिए चिन्ताजनक है। उस घटना से सारे देश को दुख था और आज भी दुख है। सम्भव है कि कुछ कांग्रेसी भाई जो बनावटी रूप से दुखी थे वे अब दिखावटी रूप से भी दुखी न हों। कांग्रेस के लोगों पर इस दुख का असर हुआ हो या न हुआ हो लेकिन इससे पूरे देश को दुख था यह बात मैं साधिकार कहता हूं। जनतांत्रिक दुनियां दुखी है तो ठीक ही है लेकिन महामहिम राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण के दौरान अपने तौर तरीके से अनावश्यक प्रशस्ति की है वे ब्रिटिश हुकूमत के एजेन्ट रहे हैं और प्रारम्भ से ही इस देश के विरुद्ध काम कर रहे हैं, कांग्रेस के द्रोही रहे हैं, अमनसभाई रहे हैं खुशामद करके नेहरु परिवार में अपना स्थान बना लिया है। अपने तौर तरीके से एवं व्यवहार से नेहरु परिवार के प्रति सदाभक्ति प्रदर्शित करते हैं।

मान्यवर, मैं यह नहीं मानता कि श्रीमती इन्दिरा गांधी के कारण देश का नाम विश्व में उज्जवल हुआ है। परम आदरणीय नेता पंडित जवाहर लाल नेहरु ने इस देश का नाम क्या दुनियां में उज्जवल नहीं किया था? क्या यह काम इन्दिरा गांधी ने ही किया है? यदि यह बात हमारे कांग्रेस के भाई कहते हैं तो मैं समझता हूं कि ये स्वर्गीय नेता पंडित जवाहर लाल नेहरु को तथा महात्मा गांधी को बदनाम करते हैं। अपमानित करते हैं।

मान्यवर, कैसे हत्या हो गयी। जो सरकार अपने प्रधान की रक्षा नहीं कर सकी, उस सरकार को आप कुशल सरकार कहते हैं? जो अपने प्रधान मंत्री की रक्षा न कर सके वह नालायक सरकार है उसे शासन में एक दिन भी रहने का अधिकार नहीं। अपने ही घर में

अपने ही लोगों के जरिये उसका कत्ल हो गया। यह बेते और सतवंत कौन था ? परिवार के सदस्य जैसा ही था। साथ बैठ कर खाना खाता था। मान्यवर, यह सोचने की बात है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी को जितनी गोलियां लगी वह सब कमर के ऊपर लगीं। किसको पता था कि वे आज बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहने हुई हैं। यह केवल सोनिया गांधी को पता था। यह बात तो सतवंत को घर के ही किसी से मालूम हुआ होगा। गोलियां उनके बंगले में ही चलीं। अपने घर में ही उनका खात्मा हो गया। कह दिया। जिस देश की सरकार अपने प्रधान मन्त्री की रक्षा न करे वह देश की रक्षा नहीं कर सकती।

अमेरिका में राष्ट्रपति श्री कैनेडी मार डाले गये वहां डिमोक्रेटिक पार्टी आज तक पावर में नहीं आ सकी। वहां की जनता ने उसे दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। निर्णय लिया कि जो सरकार अपने प्रधान की रक्षा नहीं कर सकती है वह देश की जनता की क्या रक्षा करेगी ? लेकिन हमारे देश में येनकेन प्रकारेण शासन को हाथ में रखना है, चुनाव तो इनके लिए एक मखौल है आप बने

(व्यवधान)

रहेंगे तो इसी प्रकार राज्य चलेगा। इन्दिरा गांधी की मृत्यु के नाम पर आप वोट लेना चाहते थे इससे बड़ी बेशर्मी की बात और क्या हो सकती है। आपके बड़े-बड़े नेता इसी बात को लेकर बाहर निकले और अपने भाषण में यही बात कहते रहे कि इन्दिरा गांधी के मरने से सहानुभूति की लहर आ गयी। आपकी प्रिय नेता और देश के प्रधान मंत्री की वर्बरीक मृत्यु हुई बुलद मृत्यु हुई लेकिन उस मृत्यु को आप भुनाना चाहते थे। माननीय इंदिरा गांधी की हत्या के नाम पर आपको कुछ कामयाबी मिली थी। भोली जनता से वोट लेना था जनता छली गई अब जनता इसको सुनने के लिए तैयार नहीं है इसलिए मित्रों मैं कहना चाहता हूं कि आज देश में क्या हो रहा है देखा समझा मिजोरम में आग लगी हुई है नागालैण्ड जल रहा है, आसाम में धुवां उठ रहा है, पंजाब जल कर राख हो गया है।

एक सदस्य—

बलिया में क्या हो रहा है।

श्री मैनेजर सिंह—

बलिया में भी वही हालत है जो हो रहा है वह आप देख रहे हो। उसी का परिणाम है कि कांग्रेस केवल एक सीट बलिया में बेईमानी से ले सकी। मैं कहना चाहता हूं कि देश बहुत वर्दनाक मोड़ पर पहुंच गया है। आपके कारण और आपके बड़े नेताओं के कारण। यह एक खतरनाक मोड़ है जिस पर अपने आप पर चिंतन करिये तभी देश सुधरेगा। जनतांत्रिक मूल्यों के लिए इंदिरा गांधी को प्रशस्ति कहते हैं। बात कहते हो क्या यही जनतांत्रिक भावना है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि एक इंदिरा गांधी जैसा पार्टी के नेता अपनी पार्टी के राष्ट्रपति के उमीदवार का पर्चा दाखिल करे और उसी के खिलाफ वोट डलवावे। क्या यही जनतांत्रिक मूल्य है इस पर यह कहा गया कि अन्तरात्मा की पुकार है। यही इनका जनतंत्र है। इसी सदन में विरोधी दलों के नेताओं की बैठक राष्ट्रपति के चुनाव के सम्बन्ध में हुई थी मैंने तब कहा चौधरी चरण सिंह वगैरह सभी विरोधी नेता उपस्थित थे, कि गिरी को वोट देना जनतंत्र के कफन में कील गाड़ना है। राष्ट्रपति के चुनाव में जो कुछ उस समय हुआ वह जनतंत्र के लिए खतरनाक घटना था जिस दिन अंतरात्मा की पुकार की आवाज उठी उसी दिन जनतंत्र इस देश में खतम हो गया। उस समय जो कुछ हुआ उसमें आप लोगों के साथ आपका विरोध पक्ष भी जिम्मेदार है (व्यवधान) आगे विरोध पक्ष में बैठे हैं उसमें भी दोषी हुये हैं।

इस तरह से जै-जैकार करना बंद करके सही बात कहिये । (व्यवधान)

मैं विषय पर ही कह रहा हूं जो अभिभाषण दिया है जिस पर आपने प्रस्ताव किया है उसमें राज्यपाल महोदय ने चुनाव की बात कही है । जो चुनाव हुए हैं उसके संबंध में भी एक बात कहना चाहता हूं । श्री आर0 के0 त्रिवेदी हमारे कोई रिस्तेदार नहीं हैं, यही लखनऊ के रहने वाले हैं, चुनाव आयुक्त आप लोगों ने ही बनाया है । वे कांग्रेसी परिवार के हैं उन्होंने क्या कहा है वह मैं बताना चाहता हूं उन्होंने कहा है कि--चुनाव आयोग सबसे अधिक इस बात से चिंतित है कि अधिकांश स्थानों में खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार में प्रशासन की ओर से न सिर्फ ढिलाई बरती गयी बल्कि कुछ जगहों में प्रशासन की साठगांठ भी पायी गयी ।

श्री अधिष्ठाता--

इस मसले पर नेता विरोधीदल की ओर से जो बातें कही गयी हैं उस पर मैं निर्णय दे चुका हूं मैं समझता हूं कि आप उसे छोड़ कर कोई नयी बात कहें ।

श्री मैनेजर सिंह—

मेरे लायक दोस्त हरदेव जी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

आप व्यवधान न डालें । वक्ता के समय में आप व्यवधान डालेंगे तो वह समय बोलने वाले को अतिरिक्त मिलेगा इसलिए आप समय का ध्यान रखें । आपको कुछ भी बोलना है तो आप अपने भाषण के समय स्पष्टीकरण करा लें । इसलिए कम से कम व्यवधान होना चाहिये ।

श्री मैनजर सिंह--

मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था कि मा0 हरदेव जी ने कहा कि चुनाव में गड़बड़ी हुई । श्रीमन्, हमारे यहां बलिया में अधिकारियों ने सत्ता पक्ष के सांठ-गांठ से 10-से 13 हजार फर्जी वोट प्रत्येक क्षेत्र में उन्होंने बढ़वाये । यही नही मतदान केन्द्रों को अंतिम समय तक वह बदलते रहे । मैं रसड़ा, जहां से हरदेव जी चुनकर आये हैं उसके विषय में थोड़ी चर्चा करना चाहते हैं । वहां के जनता पार्टी उम्मीदवार को एक गाड़ी को भी परमिट अधिकारियों ने नहीं दिया मान्यवर, आप इसकी जांच करवा लें । जबकि सत्ता पक्ष के सदस्यों की गाड़ियां चलती रहीं और पुलिस वाले की मदद से वोट डलवाते रहे जीप ट्रैक्टर पर कांग्रेसी वोटर लाते रहे । जिस गाड़ी पर हमारा उम्मीदवार जा रहा था उस को वहां के एस0 पी0 और दरोगा ने बंद कर दिया, यह ज्यादती की गयी और किसी प्रकार नाजायज तरीके से श्री हरदेव चुनकर आ गये हैं । लेकिन अगली बार नहीं आयेंगे । यह स्पष्ट कहना चाहता हूं ।

मान्यवर, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं आई0 आर0 डी0 और स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना की बात की गयी श्री लाल प्रताप सिंह ने कहा कि गरीबों का भला हुआ और 5 साल में गरीबी की रेखा के नीचे कोई नहीं रहेगा । यह बात मुख्य मंत्री जी नहीं कहते हैं, अभिभाषण में नहीं है लेकिन प्रस्तावक ने इस पर जोर देकर कहा । तो वह सब दरबारी हैं, राजभक्त हैं और बोलते समय होश में नहीं रहते हैं कि 5 साल में गरीबी नहीं रहेगी और कहते हैं सुझाव है कि आई0 आर0 डी0 और स्पेशल कंपोनेन्ट प्लान में जो पैसा दिया जा रहा है उसकी जांच करायी जाये ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य बहुत पुराने सदस्य हैं । इसमें मेम्बर के लिये दरबारी शब्द कहना उचित नही है ।

श्री मैनेजर सिंह--

मैं इस शब्द को वापस लेता हूं ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

माननीय, दरबारी शब्द को संसदीय मान लिया गया है और इसको अंग्रेजी में "कोरटियर" कहते हैं, चाहे तो आप डिक्शनरी देख लें ।

श्री अधिष्ठाता--

जिस तरह से इस शब्द को कहा है उसमें मैंने कहा है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

दरबारी शब्द संसदीय है ।

श्री अधिष्ठाता--

ठीक है, उचित होगा तो देख लेंगे ।

श्री बंशीधर राज--

माननीय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर श्री लाल प्रताप सिंह द्वारा रखे गये धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का अवसर दिया । माननीय, महामहिम राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण में चतुर्दिक विकास की ओर अपना ध्यान आकर्षित किया है और उसमें चाहे कृषि के उत्पादन के संबंध में हो या कृषकों के संबंध में हो या मिल मजदूरों या हरिजन भाइयों के संबंध में हो, चाहे उद्योगों के बारे में हो, चारों ओर सरकार की जो सफलतायें हैं और सरकार करना चाहती है उस ओर अपना ध्यान आकृष्ट किया है ।

मैं कहना चाहता हूं कि कृषि में विशेष ध्यान दिया गया है और जिसके कारण उत्पादन बढ़ा है । इसमें हमारे कृषक भाइयों का परिश्रम तो है ही परन्तु सरकार का सहयोग और जो नीतियां अपनायी गयी हैं उनका भी बहुत कुछ योगदान है । माननीय, कृषि में आप देखें । वह चाहे गेहूं का उत्पादन हो, चाहे वह धान का उत्पादन हो, काफी मात्रा में बढ़ा है और आज स्थिति यह है कि हमारा प्रदेश लगभग आत्मनिर्भर हो गया है । इन्हीं उत्पादन के सहारे खरीफ में 110 लाख मी0 टन की पैदावार करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है और रबीफसल में भी ऐसा ही उत्पादन हुआ है, खरीफ में 23.50 लाख व रबी में गेहूं की खरीद 21 लाख मीट्रिक टन की गयी है जो सिचाई की व्यवस्था की गयी है उसके कारण उत्पादन बढ़ा है । इस संबंध में अनेक योजनायें चलायी गयी हैं चाहे वह लघुवर्गीय हों चाहे वह मध्यमवर्गीय हों या अन्य कोई हों । लघु सिचाई योजना में विश्व बैंक परियोजना का विशेष हाथ रहा है, उससे गांव-गांव में सिचाई की सुविधाएं उपलब्ध हुई हैं तथा साथ ही साथ भूमि विकास बैंक के द्वारा भी खेत-खेत में पानी की व्यवस्था की गयी है । जो निश्चित ही सराहनीय है । मैं इस संबंध में निश्चित रूप से कह सकता हूं कि खेती की पैदावार बढ़ी है और प्रदेश की जनसंख्या भी बढ़ती जा रही है । जिसको दृष्टि म रखकर सरकार का ध्यान उद्योगों के विकास की ओर भी गया है । वह चाहे लघु उद्योग हों, चाहे मध्यमवर्गीय उद्योग हों हर जनपद को एक बड़ा उद्योग, गांव-गांव में छोटा उद्योग और हर कस्बों में उद्योग लगाने की जो हमारी सरकार की योजना है, उससे हमारे बेरोजगार भाइयों को निश्चित रूप से रोजगार मिलेगा और उद्योगों में वृद्धि होगी । यदि उद्योगों को बढ़ाया न होता तो निश्चित रूप से हम बेरोजगारी को दूर नहीं कर सकते हैं । साथ ही हम अधिक दिनों तक केवल खेती पर आधारित नहीं रह सकते हैं, इसके लिए भी उद्योगों के समुचित विकास की बड़ी आवश्यकता है । चाहे वह 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत हो, चाहे वह उद्योग विभाग के अधीन हो, चारों तरफ से छोटे-छोटे उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है तथा जो हमारे कुशल और अकुशल कारीगर हैं, बेरोजगार हैं और काम करना चाहते हैं उनके लिए भी शासन ने एक योजना बनाई है । उसके अन्तर्गत

उनको बैंकों से रुपया उधार दिलाया जा रहा है और उसके ब्याज से अनुदान मार्जिन मनी की गारन्टी दी जा रही है ।

यातायात की ओर भी यदि आप ध्यान दें, तो मान्यवर, सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा जो 15 सौ की आबादी के गांवों को पक्की सड़कों में जोड़ने की व्यवस्था की गई है, यह एक बहुत अच्छा कदम है । आर० एल० सी० पी० स्कीम के अन्तर्गत हजारों गांवों को जोड़ा जा रहा है, इस तरह से हर तरफ विकास हो रहा है । लेकिन हमारे विरोधी भाइयों को उसका अहसास नहीं हो रहा है ।

श्री विजय सिंह राणा--

आप तो सावन के अन्धे हैं ।

श्री बंशीधर राज--

यह तो आपको ही पता होगा कि कब के हो गये थे ।

श्री अधिष्ठाता--

आप दोनों का माध्यय में ही हूं, जो कुछ कहिए इधर ही मुखातिब होकर कहिये ।

श्री बंशीधर राज--

आप देखें क्षेत्र समितियों के माध्यम से भी गांवों के विकास की योजनाओं के द्वारा बड़ा सराहनीय कार्य हो रहा है । इसमें छोटे विकास खण्डों में 3 लाख रुपया और बड़े विकास खण्डों में जो 4 लाख 50 हजार रुपया दिया गया है, उससे गांव में छोटे मोटे रास्ते में बनेंगे, खड़ंजे बनेंगे और जब गांव में जो क्षेत्र समिति के सदस्य बैठेंगे और गांव के विकास की योजना बनायेंगे तो यह एक नई पहल होगी । यह एक नई योजना देकर शासन ने सराहनीय कार्य किया है ।

गन्ना किसानों के सम्बन्ध में भी अभी हमारे सदस्य कह रहे थे । उसके सम्बन्ध में भी मैं बताना चाहता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में 21 रुपया और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 22 रुपया प्रति क्विंटल का भाव दिया गया है । यह दाम बहुत अच्छे हैं । जो मूल्य दिये गये हैं उससे गन्ना किसानों को प्रोत्साहन मिलेगा । हमारे माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि सन् 1977-80 तक उस समय गन्ने की क्या दशा थी । आज जो हमने गन्ने का मूल्य दिया है उससे गन्ने का उत्पादन बढ़ा है । 5 चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र में खुली हैं जिनमें पेराई का कार्य शुरू हो गया है । यह काम भी कम सराहनीय नहीं है । इसके अलावा सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्र में चीनी मिलें लगाने की योजना है । गन्ना किसानों को उनके उत्पादन का निश्चित रूप से सही मूल्य मिलेगा । सन् 77-80 में गन्ने की इन्होंने क्या दुर्दशा की थी । गन्ना 2 रुपये, 3 रुपये कुन्टल भी कोई पूछने वाला नहीं था । हालत यह हो गयी थी कि खेतों में गन्ने को जलाया गया था । यह बातें ये लोग भूल गये हैं । यही नहीं जो गन्ना मिलों में गया था उसका भुगतान भी इन लोगों ने नहीं किया है । वह भुगतान हमने 1980 से लेकर 1984 में किया है ।

मान्यवर, इसी के साथ में कहना चाहता हूं कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत भूमि आवंटन का कार्य करके छोटे-छोटे किसानों को रोजी रोटी देने का काम किया जा रहा है वह काम निश्चित रूप से सराहनीय है । 20 सूत्रीय कार्यक्रम के माध्यम से गांव के गरीब लोग, लघु कृषक, सीमांत कृषक जो हैं उनकी जमीन में सुपत बोरिंग करने की योजना माननीय मुख्य मन्त्री जी ने की है और उनको 3 हजार रुपये अनुदान के रूप में दिये जायेंगे । यह काम निश्चित रूप से सराहनीय है । इसके साथ अन्यान्य योजनायें हमारे शासन ने दी हैं । निश्चित रूप से हमारी सरकार सराहनीय कार्य कर

रहीहैं । हमें आशा है कि माननीय राज्यपाल जी ने जो अपना अभिभाषण दिया है उससे निश्चय ही सफलता मिलेगी और प्रदेश का विकास होगा । इन शब्दों के साथ माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो माननीय लाल प्रताप सिंह जी ने धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं ।

*श्री सत्यपाल सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरे बहुत आग्रह के बाद आपने मुझे बोलने का अवसर दिया फिर भी मैं आपका आभारी हूं ।

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी सो रही हैं ।

हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)—

मैं सो नहीं रही हूं । बिल्कुल नहीं सो रही हूं । आप लोग सो रहे हैं ।

श्री सत्यपाल सिंह—

मान्यवर, जो राज्यपाल महोदय का अभिभाषण है जिसको उन्होंने दिया ही नहीं, जो लिखित अभिभाषण यह है, उसमें आमूल चूल परिवर्तन के लिये मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं । पहली बात तो यह है कि जितने भी सत्ता पक्ष के लोग इस धन्यवाद के प्रस्ताव पर बोलने के लिये खड़े होते हैं तो उस समय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को बहुत ही अच्छा और स्वागिष्ट बताने लगते हैं । लेकिन एक लाइन बोलने के बाद कहने लगते हैं कि इसमें यह यह चाहिये । नमक चाहिये, मसाला चाहिये या मिर्च चाहिये । तरह-तरह की मांग करने लगते हैं । इनकी हालत को देख कर मान्यवर, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण है वह बिल्कुल नमक, मिर्च हल्दी विहीन है और उत्तर प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य के लिये बिल्कुल प्रतिकूल है, बिल्कुल फीका है और इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है ।

मेरा आपसे यह कहना है कि जितने सत्ता पक्ष के लोग हैं वे अपनी कांग्रेस सरकार के कार्यकाल को स्वर्णिम कार्यकाल और जनता पार्टी के कार्यकाल को बहुत अंधकार मय समय बताते हैं । लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार की दुहाई देकर, अपनी नीति की दुहाई देकर सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग बतायें कि जनता पार्टी के जमाने में जनता पार्टी की सरकार ने नमक किस भाव पर दिया । 10 पैसे प्रति किलो नमक का भाव था लेकिन वह नमक आज 50 पैसे किलो बिक रहा है । उस समय हमारे प्रदेश के अन्दर दाल का भाव 3 रुपये और 4 रुपये था लेकिन आज दाल का भाव 7-8 रुपये है । सरसों का तेल उस समय 8-9 रुपये था आज सरसों के तेल का भाव 18 रुपये किलो है । जनता पार्टी के समय में डालडा 8-9 रुपये किलो था उसी को आज आप 20 रुपये किलो बिकवा रहे हैं । हमने खाद 75 रुपये प्रति बोरी पर जनता को दिया था लेकिन आप 112 रुपये बोरी बिकवा रहे हैं । जो हमने सीमेंट दिया था 28 और 30 रुपये बोरी आप आज 60 और 65 रुपये प्रति बोरी दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि सरकार ने गरीब जनता के लिए बहुत बड़ी सहूलियतें दिया हैं । यह तो गरीब जनता की आंख में धूल झोंक करके और बेईमानी के आधार पर यहां चुनकर आये हैं और सरकार में बैठे हैं ।

आपके गृह मन्त्री नर सिंह राव ने कहा था कि अब बहुत हिंसा हो चुकी है, बहुत गड़बड़ियां हो गयी हैं, उसको

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

रोका जाना चाहिए था। ऐसा मालूम होता था कि उन्होंने जान-बूझ करके यह हिंसा और गड़बड़ियां करवाई हैं। आप पुराने राज्यपाल का अभिभाषण पढ़िये और वर्तमान अभिभाषण भी पढ़िये। वर्तमान अभिभाषण में जो शुरुआत किया है, उसमें यह कहा गया है कि पहले समस्त निर्वाचित सदस्यों का स्वागत करता हूं और बाद में उन्होंने फिर जोर देकर नवनिर्वाचित एवं पुनर्निर्वाचित सदस्यों का स्वागत किया है। उससे ऐसा मालूम होता है कि इस बेईमानी के माहौल में जो लोग जीतकर आये हैं, वे विशेषकर स्वागत के पात्र हैं।

मान्यवर, जो सदस्य पहली बार चुनकर आये हैं या जो पुनः निर्वाचित हुए हैं या जिनसे जनता को पूर्ण आशा है, क्योंकि यह वह वर्ष था, यह वह घड़ी थी, यह वह समय था, जिसमें बेईमानी की पराकाष्ठा पर लड़े गये चुनाव के बाद जीत कर आये हैं, उनके लिए उन्होंने विशेष रूप से धन्यवाद दिया है। अब मैं महंगाई के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि जितनी जनता के सामान्य काम की चीजें हैं, सबकी कीमतें बढ़ा दी गयी हैं। क्योंकि यह केन्द्रीय बजट में कीमतें बढ़ा दी गयी हैं, इसलिए मैं इसे छोड़ रहा हूं। सबको पता है कि इस वर्तमान केन्द्रीय सरकार ने जनता के आम प्रयोग में आने वाली चीजों के दाम बढ़ाये हैं।

मान्यवर, भ्रष्टाचार की यह स्थिति है कि कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां पर बगैर रिश्वत दिये कोई भी काम चल सके। बगैर रिश्वत दिये कोई भी कार्यालय में काम होता ही नहीं है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने उत्तर प्रदेश के 13 आई० ए० एस० और 15 आई० पी० एस० अफसरों पर आरोप लगाया है। 28 अफसर जो उत्तर प्रदेश की सेवाओं में उच्च पदों पर बैठे हुए हैं और आज सारे प्रदेश के अन्दर इस बात का असन्तोष पैदा हो रहा है, इस बात के ऊपर बहुत बड़ी फिक्र पैदा हो रही है कि वह आखिर कौन से ऐसे अफसर हैं जोकि बड़े-बड़े सचिवों और कलक्टरों के पद पर बैठे हुए हैं, किसी का चरित्र साफ नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए इसमें नाम नहीं दिखाये गये हैं।

उत्तर प्रदेश की सरकार चाहती है कि इन पर मुकदमा न चले, बचाया जा सके। लेकिन केन्द्रीय सरकार चाहती है कि इन पर मुकदमा चले और उनके नाम बतलाये जायं। कम से कम 28 अफसरों के नाम बताये जायं, कौन से ये बेईमान अफसर हैं। इसमें ऐसे-ऐसे बड़े पुलिस अफसर हैं, आगरा के बहुत बड़े पुलिस अधिकारी हैं, वह डकैतों के गिरोह से मिले हुए हैं और हाई वे राबर्स तथा डकैतों से हिस्सा लेते हैं और कहने के लिए जनता की सेवा कर रहे हैं।

दूसरे पुलिस अफसर हैं जोकि थाने में इंचार्जी के पद के लिए रिश्वत लेते हैं। कानपुर में एक बहुचर्चित हत्या काण्ड के अन्दर एक ऐसे भी पुलिस अधिकारी हैं जिन्होंने लाखों रुपये लिया है और उन्होंने हत्यारों को बचाया। मान्यवर, मुझे कहना आपसे यह है कि इस सरकार ने पिछड़े वर्ग के लिए कुछ भी नहीं किया है। मान्यवर, पूरा अभिभाषण मैंने पढ़ा। जिसे जनता शासन ने रिजर्वेशन दिया था, फीस माफ की, वजीफा दिये थे, वह सारी सुविधायें वर्तमान शासन ने खत्म कर दी और मण्डल आयोग की रिपोर्ट को भी कूड़े की टोकरी में डाला जा रहा है। मान्यवर, इसके अलावा मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे जिले शाहजहांपुर, जो शहीदों की नगरी कहा जाता रहा है, आजादी की लड़ाई में बड़ा सहयोग रहा है इसका लेकिन मान्यवर, शाहजहांपुर में कोई भी ऐसा काम नहीं किया गया है, जिससे बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। मान्यवर, जिला शाहजहांपुर जिसका आधा हिस्सा गंगा नदी से कटा हुआ है, वहां पुलों

की समस्या विचाराधीन है । जयावपुर, विघना में पुलों का निर्माण होना चाहिए । मान्यवर, जो पोलाघाट बन रहा है वहां भी पुलों का निर्माण होना चाहिए ।

एक बात और कहना चाहता हूं । मान्यवर, उर्दू टीचर्स की बात इन्होंने कही थी । पांच हजार उर्दू टीचर्स नियुक्त करेंगे । लेकिन उर्दू टीचर्स के साथ धोखा किया गया है । एक हजार-- सताइस सौ टीचर्स जो जूनियर हाई स्कूल में थे उनको जोड़कर यह पूरा कर रहे हैं । उर्दू टीचर्स के साथ यह सरकार अत्याचार कर रही है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

[समय 2 बजकर 10 मिनट]

श्री जय नारायण तिवारी--

अधिष्ठाता महोदय, मैं श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर हो रही चर्चा के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, मित्रता की उपमा दूध और पानी के मेल से दी जाती है लेकिन कपट रूपी खटाई के पड़ने पर दूध फट कर सारहीन हो जाता है, यही स्थिति विरोधी पक्ष की नजर आ रही है । मान्यवर, महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण जो सरकार के चतुर्मुखी विकास की ओर ले जाने की दिशा दिखलाता है उसमें इन्हें कमी नजर आ रही है जो सरकार की तमाम-तमाम योजनाओं का सम्पादन कर रहा है । जिसने गरीब जनता को अपने पैरों पर, नौजवानों को अपने पैरों पर, विधवाओं को अपने पैरों पर खड़े होने का मौका दिया है ।

भारत की आत्मा गांव में देखी जाती है । भारत का किसान गांव में रहता है । हमारी सरकार ने किसानों के लिए फसल बीमा योजना जो चलाई है वह क्रान्तिकारी कदम है । यह कार्य किसानों का मसीहा कहे जाने वाले, किसानों के लिए लड़ने वाले, किसानों के नेता ने नहीं किया ...

(मेजें थपथपाई गईं ।)

मान्यवर, हमारी सरकार की स्पष्ट नीतियां हैं, हमारा एक स्पष्ट कार्यक्रम है, हमारी एक स्पष्ट पहचान है, लेकिन यह अपनी पहचान नहीं बना पाये ।

मान्यवर, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर हमारे सम्मानित नेता विरोधी दल ने कहा कि चुनाव में धांधली की गई, मान्यवर, मैं सदन के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि संसदीय इतिहास में बूथ कैपचरिंग जातिवाद एवं विघटन-कारी तत्वों को बढ़ावा किसने दिया है, यह विरोधी पक्ष के नेता बखूबी जानते हैं । मान्यवर, आज हमारी सरकार नौजवानों की है। जब हमारा नौजवान अंगड़ाई लेता है तो इतिहासकार को अपनी लेखनी बदलनी पड़ती है, दिशा बदलनी पड़ती है । आज हमारी सरकार नौजवानों को सही दिशा दिखा रही है ..

(मेजें थपथपाई गईं ।)

दूसरी बात मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं, सिंचाई के साधनों को लेकर सीमान्त कृषकों को बोरिंग की सुविधा हमारी सरकार ने दी है, यह एक क्रान्ति-कारी कदम है । उनको आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है । पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो आगे था ही लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश सोता और लड़खड़ाता हुआ कहलाता था, वह भी आज खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हुआ है । पूर्वी उत्तर प्रदेश अपने पैरों पर खड़ा होकर सुख की सांस ले रहा है । मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, इस ओर लेकिन हमारे विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों को कहीं भी विकास की कोई किरण नजर नहीं आ रही है ।

मैं कहना चाहता हूं कि अधिष्ठाता जी, आप शिक्षा को ही लीजिए । शिक्षा के

क्षेत्र में जो क्रान्तिकारी परिवर्तन हमारी नजर के सामने है, वह हमारे सम्मानित नेता, हमारे देश के नेता माननीय राजीव गांधी का प्रयास है। हमारे देश के नेता माननीय राजीव गांधी ने दल-बदल की प्रक्रिया को रोकने के लिए कानून बनाकर दलबदल रोकने का जो कार्य किया है, वह स्वागत योग्य है। माननीय राजीव गांधी के इस सही कदम का स्वागत करना चाहिये।

(घोर व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा--

माननीय अधिष्ठाता जी, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है।

श्री जय नारायण तिवारी--

दल बदल पर रोक लगाकर माननीय राजीव गांधी ने भ्रष्टाचार को समाप्त करने का कार्य किया है। हम सबको इसका स्वागत करना चाहिये। अल्पकाल के शासन में उन्होंने ....

(व्यवधान)

मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि माननीय राजीव गांधी ने अल्पकाल के शासन में यह सिद्ध कर दिया कि ईमानदार और कर्त्तव्यपरायण लोगों के लिए ही स्थान है पाप करने वालों के लिए उनके शासनकाल में कोई स्थान नहीं है। उन्होंने पाप करने वालों की जगह को खत्म कर दिया।

(घोर व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा--

कुछ सुनाई नहीं दे रहा है।

श्री अधिष्ठाता--

आप सब माननीय सदस्यों से निवेदन है कि माननीय सदस्य को भाषण करने दें।

श्री जयनारायण तिवारी--

ग्रामीण अंचलों में जो जनता बैठी है, वह आज एक आशा की किरण संजोये हुये है। किसी देश प्रदेश, किसी कस्बे और मुहल्ले, किसी गांव का विकास तभी होता है, जब उसको आवागमन के साधन से जोड़ दिया जाय। आज हमारी लोकप्रिय सरकार डेढ़ हजार की आबादी वाले गांवों को आवागमन के साधन से जोड़ने के लिये कृतसंकल्प है। तमाम सड़कों का जाल बिछ गया है। यह एक क्रान्तिकारी कदम है आप सिंचाई के साधनों को ले लीजिये तमाम नहरें, ट्यूबवेल लगाये गये हैं। आपने अपने शासनकाल में कभी नहीं किया। मैं कहना चाहता हूं जो जीवनोपयोगी चीजें हैं...

(घोर व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा--

कुछ सुनाई नहीं दे रहा है।

श्री अधिष्ठाता--

आप माइक से थोड़ा हटकर बोलें तो आपका भाषण सुनाई देगा।

श्री जय नारायण तिवारी--

मान्यवर, एक लीटर डीजल के लिये, लड़की की शादी में चीनी के लिये मिनिस्टर से लिखवाना पड़ता था, इनके शासनकाल में। आज इस प्रकार की चीजों की कोई दिक्कत नहीं है। हर चीज हर जगह उपलब्ध है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हो गया। आप भाषण समाप्त करें।

श्री जय नारायण तिवारी--

मान्यवर, अप इनसे कहें कि यह हमारी बात सुनें। इन शब्दों के साथ मैं अभिभाषण का समर्थन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अवधेश प्रसाद—

मान्यवर, मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं । महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण से शासन की नीतियों और कार्यक्रमों का पता चलता है । यहां तो महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण माननीय सदस्यों को उनके मुखारबिन्दु से सुनने का शुभ अवसर नहीं मिला, लेकिन आदरणीय सदन में जो एक दस्तावेज 17 पेज का मिला, उसको देखने से ऐसा लगा कि यह दस्तावेज प्रदेश के गरीबों, किसानों और मजदूरों की आशाओं और अकांक्षाओं के विपरीत है । यह दस्तावेज लगता है कि इसको कनफ्यूज मन से तैयार किया गया है और ऐसे लोगों के द्वारा तैयार किया गया है, जिनको इस सूबे की जनता की, किसानों की समस्याओं का कोई पता नहीं था । माननीय तिवारी जी जो आज नेता सदन के रूप में हैं जब विरोध में 1977 में यहां बैठते थे, अच्छी-अच्छी बातें करते थे, सुझाव देते थे । मैंने सोचा था कि चलकर उनको धन्यवाद दें । लेकिन जो दस्तावेज उनके द्वारा यह पेश किया गया है, उससे आशा के विपरीत कार्य हुआ है ।

श्री अधिष्ठाता—

अभिभाषण महामहिम का है, तिवारी जी का नहीं है ।

श्री अवधेश प्रसाद—

मान्यवर, सरकार की तरफ से कृषि के बारे में बहुत कहा गया है और यह भी कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में कृषि के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त की गई है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं कही गई है, जैसे बिजली के सम्बन्ध में उन तमाम नलकूपों के सम्बन्ध मे । हमारे सूबे में जो नलकूप बेकार पड़े हुये हैं, नालियां टुटी-फूटी पड़ी हुई हैं, पानी नहीं जाता है, सिंचाई नहीं होती है, उसका कोई ध्यान नहीं दिया गया है । बिजली के बारे में मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं शासन को, आपके माध्यम से, आज प्रदेश में तमाम ऐसे विद्युत गृह पड़े हुये हैं, जहां पर असामाजिक तत्वों का आवास होता है । मेरे निर्वाचन क्षेत्र सोंहावल में जो विद्युत गृह है, वहां असामाजिक तत्वों का बास होता है ।

गन्ना किसानों की बात कही गई है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि उधर के बैठे हुये तमाम माननीय सदस्यों ने यह बात कही है 21 रुपये और 22 रुपये क्विंटल के बारे में कहा है । मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि 1977 में 2 रुपये किलो चीनी थी और उस हिसाब से अब गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ाया गया है । लोक सभा चुनाव के दौरान चुनाव के पूर्व गन्ना मिल मालिकों पर से परचेज टैक्स माफ किया गया है और इस तरह से गन्ना मिल मालिकों से करोड़ों रुपये अर्जित किया गया और चुनाव में उसका खुलकर प्रयोग किया गया, इससे किसानों को कोई फायदा नहीं हुआ ।

सत्तापक्ष में बैठे हुए माननीय सदस्यों ने 20 सूत्री कार्यक्रम की तरफ चर्चा की है । मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 20 सूत्री कार्यक्रम ऐसा कार्यक्रम है, जिसका सत्ता में बैठे हुए माननीय सदस्य एक सूत्र भी नहीं जानते । मुझे जो देखने को मिला है 20 सूत्री कार्यक्रम, यह भ्रष्टाचार की जननी है, उससे कोई विकास नहीं हुआ । सत्ता में बैठे हुये सदस्यों की तरफ से जनता के विकास की बात कही गई है तो विकास असामाजिक तत्वों का हुआ है, सत्ता में बैठे हुये लोगों का विकास हुआ है, सूबे के किसानों और गरीबों का कोई विकास नहीं हुआ है । कानून व्यवस्था की बात कही गई है और यह कहा गया है कि इस सूबे में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी रही है ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कानून व्यवस्था की तरफ शासन का ध्यान दिलाना चाहता हूं । सरकार के लिए यह बड़े खेद की बात है कि एक

तरफ हमारे देश की प्रधान मन्त्री की हत्या होती है और दूसरी तरफ इन लोगों के द्वारा लूटपाट हुई। एक तरफ पूरा देश शोक से व्याकुल था, लेकिन दूसरी तरफ सत्ता में बैठे हुये लोग और जिम्मेदार लोगों को टेली-विजन जैसे संसाधनों द्वारा खून के बदले खून का नारा दे रहे थे। इसलिये हमारा सर शर्म से झुक जाता है। ऐसे समय जब प्रधान मन्त्री के दुख में देश डूबा था, ये सत्ता में बैठे हुए माननीय सदस्य ऐसी बात कह रहे थे। मैं कहता हूं कि जिस समय ये कानून और व्यवस्था की बात करते हैं, कानून व्यवस्था कितनी अच्छी है, इसका अन्दाजा आपको है। आप अपने प्रधान मन्त्री की हिफाजत नहीं कर सकते तो सूबे के और लोगों की हिफाजत कैसे कर सकते हैं। आपको शर्म आनी चाहिये।

मान्यवर, हरिजनों और अल्पसंख्यकों के बारे में महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कोई बात नहीं कही है। इस सूबे में कानून व्यवस्था जर्जर हो गयी है। इस सूबे में मुख्य मन्त्री के भाई की जान की हिफाजत नहीं है। प्रधान मन्त्री के निर्वाचन क्षेत्र रायबरेली में 13-13 हरिजनों को जिंदा जलाया जाता है, इससे अन्दाजा लग सकता है कि सूबे में कानून व्यवस्था कितनी जर्जर और खराब है। यही नहीं पिछली सरकार ने, मैंने तो सोचा था कि नारायण दत्त तिवारी जी अनुभवी हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन इन्होंने भी किया कुछ नहीं। सूबे में किसान, मजदूर और हरिजनों व महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। बागपत में किस तरह से माया त्यागी के साथ बर्बर व्यवहार हुआ। महिलाएं जिनकी समाज में मान्यता है, जिनके बारे में कहा गया है कि 'यत्र नार्यस्तू पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता' कौन सी ऐसी संस्कृति और देश है, जहां बहनों, स्त्रियों के साथ ऐसा व्यवहार होता हो। यह सब देख कर सर शर्म से झुक जाता है।

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में उन तमाम सड़कों की चर्चा की है। सदन में सत्ता पक्ष के लोग हैं उन्होंने सड़कों के बारे में बहुत कुछ कहा। लेकिन खाद्यान्न के बदले निर्माण की योजना सन् 77 में हमने शुरू की थी, वह अब अधूरी पड़ी है। ज्यों की त्यों सड़कें पड़ी हैं। जिस तरह बहुत से माननीय सदस्य मंत्रि-मन्डल में नहीं आ पाए हैं उसी तरह से इन सड़कों का भी हाल है। बड़े-बड़े बोर्ड टंगे हैं लेकिन कोई देखने सुनने वाला नहीं है। इन शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सुरेन्द्र कपिल--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर माननीय लाल प्रताप सिंह जी द्वारा रखे गये धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में जो उत्तर प्रदेश के चौमुखी विकास की बात कही है। वह बिलकुल सत्य है और इसको जो लोग आलोचना कर रहे हैं वह बिलकुल बेआधार और बेबुनियाद है।

मान्यवर, तीन दिन से बराबर एक बात सुनने में आ रही है कि उत्तर प्रदेश के अन्दर चुनाव में धांधलेबाजी हुई है और यह सरकार उसके बल पर जीत कर आयी है। यह सर्वविदित है कि हिन्दुस्तान ही नहीं, दुनिया के अन्दर किस राजनीतिक दल ने किस तरह से मतदान पर कब्जा करने व दलबदल की गन्दगी शुरू की है और वह किस नेता ने शुरू की है। हमारे पास इसके प्रमाण मौजूद हैं कि हिन्दुस्तान के अन्दर अगर जनता के मतदान के हक-हकूक छीने गये हैं तो उसका श्री गणेश छपरौली की कांस्टीटुएन्सी से हुआ है। जब कि सारे हिन्दुस्तान के अन्दर 8 बजे मतदान शुरू होता है तो उस समय छपरौली का मतदान खतम हो जाया

करता है । इसके बारे में वहां का हर नागरिक जनता है ।

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, एक व्यवस्था का सवाल है । क्या जो लोग यहां पर मौजूद नहीं हैं, उनके बारे में माननीय सदस्य को बोलने का अधिकार है ?

श्री अधिष्ठाता--

किसी का नाम नहीं लिया गया है ।

श्री सुरेन्द्र कपिल--

मैंने किसी आदमी के बारे में नहीं कहा है । किसी का नाम नहीं लिया है । लेकिन मेरे पास तथ्य हैं और वे बिलकुल सत्य हैं कि छपरौली कांस्टीटुयेन्सी उत्तर प्रदेश के अन्दर है और अगर किसी मतदान में जनता के हक-हकूक छीनने की बात की गई है तो वह छपरौली में हुई है । यह बड़े आश्चर्य की बात है कि उस पार्टी के लोग इस तरह की बात यहां पर कहते हैं । यह इस बात का प्रमाण है कि अगर यह सरकार उसमें कोई धांधलेबाजी करती तो शायद पिछली दफे जितने आप लोग बैठे थे, उससे आधे भी यहां पर न बैठते और स्थिति यह होती कि आज जो आपके नेता विरोधी दल हैं, वे न होकर राजेन्द्र सिंह जी नेता विरोधी दल होते ।

कानून व्यवस्था की जहां तक बात है, मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की सरकार हमेशा निष्पक्ष रही है । हमने निष्पक्ष मतदान कराया है । अगर यह बात कभी हुई है तो वह सन् 77 और सन् 80 के चुनाव में हुई होगी । हमारे ऊपर आरोप लगाये जा रहे हैं और चिल्ला-चिल्ला कर कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के अन्दर कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है ।

मान्यवर, सबके सामने इस बात का तथ्य मौजूद है कि उत्तर प्रदेश के अन्दर त्योहारों के अवसर पर इस कांग्रेस सरकार के समय में कभी भी हिन्दू मुस्लिम दंगे नहीं हुये हैं । यह शर्म की बात है कि यह कहा जाय कि यहां हिन्दू मुस्लिम दंगे इस सरकार ने कराये हैं । हमारे पास सबूत मौजूद हैं । सन् 77 से सन 80 तक जब जनता पार्टी की सरकार यहां पर थी उस समय यह दंगे यहां पर हुये थे ।

(व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

(श्री कमाल यूसुफ मलिक के खड़े होकर कुछ कहने पर)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय राणा जी, माननीय कमाल यूसुफ साहब, कृपया उनको बोलने दें । आपको बीच में टोकने का अधिकार नहीं है । कृपया बैठें ।

(व्यवधान)

मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप वरिष्ठ मेम्बर हैं और उसी नाते से एक निवेदन करूंगा कि आप बोलने वाले को तरफ इंगित करके, कोई बात न करें । आप मुझ सम्बोधित करें । यह कोई व्यवस्था का सवाल नहीं है । इससे उनका बोलने का समय और बढ़ गया ।

श्री सुरेन्द्र कपिल--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं जो बात कह रहा हूं वह तथ्यों के आधार पर कह रहा हूं उससे बाहर नहीं कह रहा हूं । किसी भी दंगे के बारे में जांच के उपरान्त इस कांग्रेस पार्टी का कोई हाथ नहीं पाया गया और जब अलीगढ़ में दंगा हुआ था...

श्री फजलुल बारी--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का सवाल है

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय सदस्य ने अभी कहा था कि किसी भी जांच रिपोर्ट में ऐसी बात नहीं है, कांग्रेस का नाम नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता--

आप वरिष्ठ मेम्बर हैं, जब आप बोलेंगे, तो उसका जवाब दे दिया जायेगा । यह कोई व्यवस्था की बात नहीं है ।

श्री फजलुल बारी--

आप मौका दें, तो बोलूं ।

श्री सुरेन्द्र कपिल--

मान्यवर, 77-80 में जिस वक्त अलीगढ़ में दंगा हुआ था और जांच में वहां की जनता पार्टी के अध्यक्ष का हिन्दू मुसलमान दंगा कराने में हाथ पाया गया था जो उस समय गिरफ्तार भी हुए थे और जिस वजह से यहां प्रदेश के एक गृह उप मन्त्री श्री आरिफ मोहम्मद खां ने इस्तीफा दिया था । उन्होंने इस्तीफा देते हुए कहा था कि मैं मन्त्री पद पर नहीं रहूंगा क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी का हाथ साम्प्रदायिक दंगो में है ।

(व्यवधान)

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का सवाल है ।

माननीय अधिष्ठाता जी, यह माननीय सदस्य, सहारनपुर पिछली बार भी विधान सभा में सदस्य थे । मैं उन्हें एजुकेट करने के लिये नहीं खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, जनता पार्टी एक जिम्मेदार पार्टी है और जनता पार्टी के पदाधिकारी अलीगढ़ में जो उस समय रहे होंगे, वे एक जिम्मेदार व्यक्ति रहे होंगे । अलीगढ़ के सम्बन्ध में रिपोर्ट भी शासन के पास होगी । जनता पार्टी के किसी अध्यक्ष, किसी भी पदाधिकारी या किसी सामान्य सदस्य को भी इंगित नहीं किया गया है । साम्प्रदायिकता फैलाने का काम तो यह लोग करते हैं ।

श्री अधिष्ठाता--

यह कोई व्यवस्था का सवाल नहीं है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, अलीगढ़ की रिपोर्ट जो सदन में आनी थी, उसको इस सरकार ने वापस ले लिया । आप व्यवस्था दें कि किसी जिम्मेदार पार्टी के किसी जिम्मेदार पदाधिकारी का नाम इन्होंने कैसे लिया । यह कार्यवाही का अंग नहीं बनना चाहिये ।

श्रीमती कमला साहनी--

कैसी जिम्मेदार पार्टी पिछली बार तो चुनकर सवा तीन सौ आये थे, अब केवल 18 ही चुनकर आ पाये हैं ।

श्री अधिष्ठाता--

आप लोग बैठें ।

(व्यवधान)

श्री कमाल यूसुफ मलिक--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का सवाल है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

जब जांच रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई, जांच रिपोर्ट सरकार ने वापस ले ली तो माननीय सदस्य को कैसे पता चला कि इसमें इस बात का संकेत है ?

श्री अधिष्ठाता--

आपने यह व्यवस्था की बात उठायी है कि यह आरोप उसमें नहीं है ।

माननीय सदस्य ने किसी जनता पार्टी के व्यक्ति का नाम या अधिकारी का नाम नहीं लिया है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री सुरेन्द्र कपिल--

मान्यवर, मैंने किसी का नाम नहीं लिया है....।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

कृपया आप सभी लोग बैठ जायें। माननीय सदस्यों से मैं एक बात कह दूं कि कोई भी सदस्य बराहरास्त बात न करें। माननीय श्री ओझा जी आप भी कोई बराहरास्त बात न करें। आप हमारे माध्यम से बात करें।

(अत्यधिक शोर)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, जब रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई और वह अखबारों में नहीं छपी और न ही इस आदरणीय सदन में आई तो फिर कैसे माननीय सदस्य को यह मालूम हुआ....।

(अत्यधिक शोर)

*कुंवर रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, श्री ओझा जी ने एक व्यवस्था का सवाल उठाया। वह रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई, और इस आदरणीय सदन के अन्दर नहीं आई तो फिर माननीय सदस्य इस प्रकार की अनर्गल बात न करें। मैं चाहूंगा कि जो बात उन्होंने कही है, उसे कार्यवाही से निकाल दें।

श्री अधिष्ठाता--

उन्होंने यह कहा कि मैं अपनी निश्चित जानकारी के बल पर कह रहा हूं। मैं फिर भी इसे देख लूंगा।

(अत्यधिक शोर)

(श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री कमाल यूसुफ मलिक, श्री राम गोविन्द चौधरी आदि कई सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये श्री बेनी प्रसाद डायस की मेज पर खड़े होकर बोलने लगे। बाद में श्री राम सरन, श्री रेवती रमण सिंह व श्री शतरुद्र प्रकाश के प्रयास से अपने अपने स्थान पर वापस चले गए।)

(व्यवधान)

*श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, मुझे बड़ा अफसोस है कि सदन में उत्तेजना हुई। मैं आप पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता लेकिन आप नियमों को देखें साफ व्यवस्था है कि अगर कहीं कोई आरोप लगाना हो तो उसकी सत्यता, तथ्य पटल पर आ जाने चाहिए। जहां तक मैं समझ पाया हूं इन्होंने अलीगढ़ का नाम लिया, आपको जानकारी है कि अलीगढ़ इन्क्वा-यरी होते-होते बीच में वापस ले ली गई थी। और मैंने कहा था कि इन्क्वायरी इसलिए वापस ले ली गई क्योंकि, गोल्डेन टैंक का नाम तो आप को भी याद होगा। मान्यवर, होना तो यह चाहिए था कि जब आपके पास इसकी सत्यता का कोई प्रमाण नहीं आया तो आपकी पीठ से उसी समय इन्हें रोक दिया जाता क्योंकि उसकी पुष्टि कहां से होगी कि जनता पार्टी ने, राजेन्द्र गुप्त ने या कांग्रेस ने ऐसा किया।

जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और उसके राष्ट्रीय नेता या किसी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सामान्य कार्यकर्ता का भी अगर नाम लिया जायगा तो स्वाभाविक है कि पीड़ा होगी । अतः मैं चाहूंगा कि आप इस पूरी कार्यवाही को देख लें और इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि जानबूझ कर किसी व्यक्ति को बदनाम करने के लिए सदन में अपने वाक् स्वातंत्र्य का दुरुपयोग किया गया है । इसलिए मेरा अनुरोध है कि इसे कार्यवाही से निकाल दिया जाय ।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--

सदन में जो उत्तेजना पैदा हुई उसके लिए मुझे अफसोस है । मैं बैठे-बैठे नहीं सुन पाया कि किसी व्यक्ति पर या नेता पर कोई आरोप लगाया गया है नाम लेकर । नियमों में यह है कि आरोप तब लगाये जायें जब प्रमाण हो, नियमानुसार आप को जानकारी दी जाय । माननीय कपिल ने शायद किसी नेता या व्यक्ति का नाम नहीं लिया है....

(व्यवधान)

यदि नाम लिया गया है तो वह कार्यवाही का अंग नहीं होगा और उसमें आरोप लगाया गया है, इसको आप देख लें और यदि कोई आपत्तिजनक बात हो तो उसे कार्यवाही से निकाल दें ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

मैं किसी वर्ग, किसी पार्टी के सदस्य के नाम पर इस पीठ पर नहीं बैठता । जब यहां बैठता हूं तो निष्पक्ष रूप से काम करता हूं । गुप्त जी, ओझा जी, संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि उनके भाषण को देखकर, नाम से या पद से भी आपत्तिजनक होगा तो निकाल दिया जायगा । माननीय कपिल जी, आप अपने भाषण को अभिभाषण के परिपेक्ष्य में जारी रखें ।

श्री सुरेन्द्र कपिल--

हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने कानून और व्यवस्था बनाने के लिए ...

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता--

आप लोग सदन के पुराने सहयोगी होते हुए भी जब विपक्ष का कोई साथी खड़ा होता है तो विपक्ष के लोग और जब सत्ता पक्ष की पार्टी का कोई साथी खड़ा होता है तो सत्ता पक्ष के लोग खड़े हो जाते हैं । जब किसी पार्टी का कोई सदस्य खड़ा होता है तो वह स्वयं सारी पार्टी का प्रतिनिधित्व करता है इसलिए मैं आशा करता हूं कि ऐसा व्यवहार स्वयं न करें ।

श्री सुरेन्द्र कपिल--

हमारी सरकार ने प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाने में जो मेहनत की है उसके सफल परिणाम रहे । मुहर्रम और बसहरा इकट्ठे पड़े उसको भी कंट्रोल किया गया ।

(व्यवधान)

श्रीमन, हमारे राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में जो उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास की बात की है वह बिल्कुल सत्य है । कृषि क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में और विद्युतीकरण के क्षेत्र में जितनी उपलब्धि हमारी सरकार की रही है, वह कभी नहीं रही । जो अगली योजनायें उन्होंने दी हैं कृषि के उत्पादन के लिए और सिंचाई के लिए, सराहनीय हैं, उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए । कृषि में जो हमारी उल्लेखनीय प्रगति हुई है उसके लिए हम राज्यपाल महोदय का धन्यवाद करते हैं ।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय केवल दो मिनट रह गया ।

श्री सुरेन्द्र कपिल--

जो कटौती मेरे समय में बीच में हो गई, वह तो आपको देना चाहिए ।

श्री अधिष्ठाता--

कटौती के बाद ही में आपको दो मिनट का समय दे रहा हूं ।

श्री सुरेन्द्र कपिल--

कांग्रेस सरकार ने जो योजनायें शुरू की हैं वह वास्तव में किसानों के लिए प्रशंसात्मक हैं । अभी तक जो लोग अपने को किसानों का मसीहा कह कर किसानों को लूटते रहे उन लोगों के लिए यह सरकार मार्गदर्शक है कि जो कहे वह कर के दिखाये । कांग्रेस की सरकार जो कहती है वह करके दिखाती है । मान्यवर, 20 सूत्रीय कार्यक्रम की प्रगति किसी से छिपी नहीं है । ग्रामीण विद्युतीकरण की योजना किसी से छिपी नहीं है । जनता को सस्ता न्याय दिलाने की बात कही गई जो बहुत सराहनीय कदम है । उत्तर प्रदेश के लोगों को सस्ता न्याय सुलभ कराने के लिए पहले से जो जसवन्त सिंह आयोग चल रहा है वह प्रशंसनीय है उसमें त्वरित गति से कार्य किया जाय तथा प्रदेश के पश्चिमी जिलों में उच्च न्यायालय की खण्डपीठ शीघ्र बनाई जाय । मान्यवर, मैं इन शब्दों के साथ श्री लाल प्रताप सिंह द्वारा रखे गये धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । जय हिन्द ।

*श्री बेनी प्रसाद—

मान्यवर, आपको बहुत-बहुत शुक्रिया आपने मुझे बोलने का मौका दिया । यह जो राज्यपाल का अभिभाषण है इसको मैं रद्दी की टोकरी लायक भाषण मानता हूं । जो देश और प्रदेश की समस्या है उसका इसमें कोई जिक्र नहीं किया गया है । महंगाई से ही बेकारी बढ़ती है और बेकारी से गरीबी । गरीबी का जिक्र तो किया गया, लेकिन इसे कैसे खत्म कर रहे हैं, इसका कोई जिक्र नहीं है । इस समय हमारे प्रदेश को और देश की बड़ी ही दयनीय स्थिति है । इसके मूल को देखा जाय तो वह है महंगाई, जो कि दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़ रही है, लेकिन हमारी सरकार की दृष्टि उस ओर बिल्कुल नहीं है । गत वर्ष सरकार ने राष्ट्रीय उत्पादक संगठन को यह आश्वासन दिया था कि यदि विकास दर को तेज करना है तो मूल्य ह्रास नियमों, निवेश छूट और नये उद्योगों को कर मुक्त प्राविधानों की ओर अधिक ध्यान देना होगा । सरकार के उक्त आश्वासन से राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का स्पष्ट रूप से पर्दाफाश होता है ।

हमारे देश में 80 प्रतिशत से ज्यादा लोग खेती पर आश्रित हैं । जो सामान इस देश के उद्योगपति पैदा करते हैं, उनकी उत्पादित वस्तुओं पर महंगाई बढ़ रही है, दूसरी ओर यहां का किसान जो उत्पादन करता है, उस पर महंगाई बिल्कुल नहीं बढ़ी है । गेहूं है, उसका दाम पिछले वर्ष 1 रु0 प्रति क्वि0 बढ़ा, गन्ने का मूल्य पिछले साल बढ़ा ही था । अभी मैंने रिपोर्ट पढ़ी है, "छठी योजना की समीक्षा", उसके अनुसार पिछले 3 वर्षों में थोक भावों में 33 प्रतिशत महंगाई बढ़ी है और उपभोक्ता मूल्यों में महंगाई बढ़ी है, 50 प्रतिशत । यह तो कारखाने से उत्पादित वस्तुओं की महंगाई है । दूसरी ओर, गेहूं, गन्ना और आलू की महंगाई नहीं बढ़ी है । इससे मालूम होता है कि 80 प्रतिशत जनता जो सामान पैदा करती है, उसकी चीजों के दाम नहीं बढ़ रहे हैं बल्कि जो सामान चन्द पूंजीपति पैदा करते हैं, उनके दाम बढ़ रहे हैं ।

पिछले तीन वर्षों में जो महंगाई बढ़ी है, उसके कुछ आंकड़े मैं प्रस्तुत कर रहा हूं । मिट्टी के तेल में 45 प्रतिशत, इस्पात में 80 प्रतिशत, कोयले में 55 प्रतिशत, रेलभाड़े में 100 प्रतिशत और बिजली

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

की दरों में 11 प्रतिशत से 72 प्रतिशत तक बढ़ोत्तरी हुई है । इस महंगाई में जो केन्द्रीय बजट आया है और उसकी वजह से जो महंगाई बढ़ी है, वह शामिल नहीं है । इससे साबित होता है कि यह किसानों के दुश्मन कहलाने के लायक हैं ।

यह जो जीत कर आये हैं, ये इन्दिरा गांधी की मृत्यु पर जनता की सहानुभूति होने की वजह से जीतकर आये हैं । श्री नारायण दत्त तिवारी जी यहां पर नहीं हैं नहीं तो मैं उनसे कहता कि आपके यहां दो मंत्री हैं, जिनको कि गोल्ड मैडल मिलना चाहिए । एक साहब ने तो जैसे सामान खरीदा जाता है, वैसे ही उम्मीदवारों को खरीद लिया और निर्विरोध चुनकर आ गये । दूसरे साहब 1 लाख 22 हजार वोट से जीते हैं । दुर्भाग्य से ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता पहुंच गयी है जो लोकतंत्र का मजाक उड़ाना चाहते हैं । आप बेईमानी से "बूथ कैप्चरिंग" से जीतकर आ गये हैं, लेकिन आगे जो भी चुनाव होंगे, प्रदेश का किसान महसूस कर रहा है और उसने लोक सभा से विधान सभा के चुनाव में काफी परिवर्तन भी किया है, वह महसूस कर रहा है कि अगली बार अगर हिंसा, गुण्डागर्दी और बेईमानी का सहारा लिया तो इस देश में खून-खराबी से चुनाव होंगे ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय बेनी प्रसाद जी, आप अपने भाषण को राज्यपाल के अभिभाषण तक सीमित रखें और उत्तेजनात्मक बातें न कहें ।

श्री बेनी प्रसाद--

यदि इस प्रकार से प्रदेश की ऊंची कुर्सियों पर बैठे हुए लोग लोकतंत्र का मजाक उड़ायेंगे, तो इस प्रदेश को कोई ताकत रोक नहीं सकती । यदि आप इसी तरह से शासन करते रहे तो वह दिन दूर नहीं जब चुनाव हिंसा से भरपूर होंगे । आप चुनावों के नतीजों को बेईमानी से बदल रहे हों और साथ ही इतने अहसान फरामोश हों । अभी शासन में आये हुए चन्द ही दिन हुए हैं, जिसके बोट से आप जीत कर आये हैं उसकी ही गरदन केन्द्र में बजट पेश करके दबा दी । बजट लाकर आपने अपने वोटरों का ही गला दबा दिया है । यह जनता आपको माफ नहीं करेगी ।

प्रदेश में किसानों की फसल तबाह हो रही है, आलू सड़ रहा है, आपके शीतगृहों में उसके रखने के लिए जगह नहीं है । आपने किसानों के गन्ने के दाम को नहीं बढ़ाया और न उसका बकाया ही दिया है । आज भी प्रदेश में गन्ना किसानों का 1 अरब से अधिक रुपया बकाया है चीनी मिलों पर । चालू सीजन में ही गन्ने का 20 प्रतिशत से अधिक मूल्य चीनी मिलों पर बकाया है । प्रदेश के किसानों का पैसा बड़े-बड़े सेठों की तिजोरियों में बन्द है और किसानों को पैसा नहीं मिल रहा है । आपकी सरकार किसानों की दुश्मन है ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप में हिम्मत करो कि जिस किसान के वोट से जीत कर यहां आये हो, उसकी सेवा करना, उसकी रक्षा करना अपना कर्तव्य समझो । यह लोकतंत्र है, आप तो बस एक नेता की गुलामी स्वीकार किये हो । लोकतंत्र गुलामी का नाम नहीं है । यहां देश के 80 फीसदी लोगों की उपेक्षा हो रही है । जो लोग उधर बैठे हैं उनके स्वाभिमान को मैं ललकारना चाहता हूं । जिस तरह से किसानों के साथ ज्यादती हो रही है, किसानों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की उपेक्षा हो रही है और पूंजीपतियों द्वारा तैयार की जा रही वस्तुओं के दामों में वृद्धि हो रही है, यह हमारे मुल्क की बदकिस्मती है ।

आज हमारे देश को आजादी मिले हुए 37 साल हो गये । इससे शर्म की और कोई बात नहीं हो सकती है कि

हमसे बाद में जिन देशों को स्वतंत्रता मिली वो आज दुनिया की ताकत बन गये हैं। चीन हमसे बाद में आजाद हुआ और जिस समय वह आजाद हुआ वह हमसे गयागुजरा देश था लेकिन आज आपका देश उससे गयागुजरा हो गया है। यह दशा इसकी आपके नेताओं के कारण हुई है। आपके नेताओं ने अमीरों को और अमीर बनाया और गरीबों को और ज्यादा गरीब कर दिया है। यह बात ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है।

आप लोकतंत्र की स्वस्थ परम्परा डालिये। आपके अब तजुर्बेकार नेता नहीं रह गये हैं। पहले के नेताओं ने भले ही अमीर परिवारों में जन्म लिया हो परन्तु वे राष्ट्रीय आन्दोलनों में पूज्य महात्मा गांधी के साथ बराबर भाग लेते रहे थे। उन्होंने आजादी की लड़ाई स्वयं लड़ी थी। लेकिन जिन लोगों के हाथ में आज ताकत है, जो देश की हुकूमत चला रहे हैं, उन्होंने गरीबी को देखा नहीं है और न उन्हें शासन चलाने का कोई अनुभव है। उन्हें तो अनुभव है विदेश में होटल चलाने का, हवाई जहाज उड़ाने का। जिन्होंने गरीबी देखी ही नहीं है वे इस देश के नेता नहीं हो सकते हैं। जिन लोगों के आप वोट लेकर आये हैं, आप उनकी सेवा कीजिए, आप उनके शत्रु न बनें। इसके साथ ही मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

*श्री किशन सिंह तड़ागी—

अधिष्ठाता महोदय, 16 मार्च को जो राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ और उस पर जो धन्यवाद प्रस्ताव आया है उसका मैं समर्थन करना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जब कोई माननीय सदस्य पहली बार बोले तो उसे थोड़ा प्रोत्साहित करना चाहिये।

श्री किशन सिंह तड़ागी—

मान्यवर, मैं धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए यह कहना चाहता हूं कि जो अभिभाषण राज्यपाल महोदय ने दिया है उससे सही माने में लगता है कि हमारी सरकार द्वारा किये गये कार्यों से चारों तरफ प्रगति हुई है और हमारा प्रदेश दिन प्रति दिन आगे बढ़ता चला गया है। जहां तक खाद्यान्न का सवाल है वह हमारे यहां काफी हुआ है और हमारा प्रदेश इस मामले में सैल्फ-सफिसेन्ट हुआ है। तो इससे प्रतीत होता है कि हमारी सरकार ने अनाज उत्पन्न करने के लिए अधिक सिंचाई का प्रबन्ध किया है, अच्छे बीज किसानों को दिये हैं और काश्तकारों ने उनका उपयोग किया है। तो इससे हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति भी अच्छी हुई है जो आंकड़ों से सिद्ध होता है और जिससे उत्तर प्रदेश आगे बढ़ता जा रहा है। लोगों को खाने का सामान आसानी से उपलब्ध कराया गया है यह इस बात से ही साफ है कि अब राशन की दुकानों में कोई क्यू नहीं लगानी पड़ती है, लोगों को अब क्यू में खड़ा नहीं होना पड़ता है।

सिंचाई के लिए भी सरकार ने काश्तकारों को पानी उपलब्ध कराया है तथा उनकी पैदावार जो है उसको बेचने के लिए भी सुविधा प्रदान की है। उनके खाद्यान्न को क्रय करने के लिए क्रय केन्द्र उपलब्ध कराये गये हैं, जहां पर वह अपना गेहूं, धान या दूसरे उत्पादन बेच कर पूरा पैसा प्राप्त कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि खाद्यान्न जब क्रय केन्द्रों में पहुंचता है तो वहां पर बोरियों का इंतजाम भी होना चाहिये तथा उनको भेजने के लिए भी इंतजाम होना चाहिये ताकि खाद्यान्न वहीं पर पड़े रह कर बरबाद न होने पाये।

जहां तक हमारे पहाड़ों का सवाल है हमारे यहां से बहुत सी नदियां निकलती हैं जैसे गंगा, जमुना, शारदा आदि जो सारे देश को पानी देती हैं लेकिन वहां के लोगों को पीने के लिये पानी और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध नहीं हो पाता है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां लोगों के पीने के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

पानी की व्यवस्था करनी चाहिये चाहे वह लिफ्ट करके किया जाय या किसी और तरह से किया जाय। लोगों को पीने के लिए पानी उपलब्ध होना चाहिये इसी प्रकार सिंचाई की सुविधा भी लोगों को मिलनी चाहिये।

इसके अलावा हमारे प्रदेश में गन्ना भी काफी मात्रा में हुआ है और हमारी सरकार ने काश्तकारों की सुविधा के लिए मिलें खोली हैं ताकि किसान अधिक से अधिक गन्ना पैदा कर सकें। उसके लिए पिछले साल ही 5 नयी मिलें सरकार ने चलाई हैं। यही नहीं आगे भी गन्ने की फसल होने जा रही है जिसके लिये सरकार और मिलें लगाने जा रहा है जिससे किसान अपने गन्ने को मिलों तक पहुंचा सकें और उसका उचित दाम ले सकें। मान्यवर, पिछले साल देखा गया है कि मिल मालिक जब गन्ने का दाम नहीं दे पाये तो सरकार ने बैंकों से गन्ने का रुपया अदा किया है।

मान्यवर, स्वास्थ्य के बारे में कहा गया कि बीमारियां अधिक फैल रही हैं और लोग पीड़ित हो रहे हैं। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जबसे कांग्रेस सरकार आयी है तबसे बीमारियों पर कंट्रोल हुआ है और उम्र का एवरेज पहले से बढ़कर दूना हो गया है। यानी व्यक्ति की उम्र पहले से बढ़ गयी है। इसका कारण है कि जगह-जगह पर मेडिकल कालेजेज, अस्पताल और इसके साथ-साथ जगह-जगह पर होम्योपैथी अस्पताल और आयुर्वेदिक अस्पताल खोले गये हैं और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में खोले गये हैं जिसके कारण आदमी वहां जाकर अपना इलाज करा सकते हैं। इससे मृत्यु दर कम हुई है क्योंकि पहले डिलीवरी के समय प्रायः बच्चा-स्त्री मर जाया करती थीं, किन्तु अब उस पर कंट्रोल किया गया है और मारटेलिटी का प्रतिशत कम हुआ है। पहले हैजा, चेचक का प्रकोप काफी होता था लेकिन अब उस पर कंट्रोल हुआ है। इससे साबित होता है कि जो मेडिकल कालेजेज और अस्पताल खुल रहे हैं उससे बीमारियों पर कंट्रोल हुआ है।

मान्यवर, अब मैं आपके माध्यम से सड़कों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि जगह-जगह सड़कों का जाल बिछा है जिससे लोगों को आने जाने में सुविधा है। अभी-अभी जैसा बताया गया है और महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भी कहा गया है कि 6 हजार किलोमीटर की सड़कों के लिये धन का प्रबन्ध किया गया है। यही नहीं पक्की सड़कें बनायी गयी हैं और पहाड़ों में 128 किलोमीटर सड़कें जानवरों के चलने लायक बनायी गयी हैं।

मान्यवर, विरोधी दल के नेता ने कल कहा था कि हमारे जो मुख्य मंत्री हैं वह नैनीताल और काशीपुर में कार्य करते हैं तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो हमारे विरोधी पक्ष के सदस्य हैं वह हमारा साथ दें और सरकार को साथ दें और जहां सड़कें नहीं हैं, जो पिछड़े क्षेत्र हैं वहां सड़कें बनाने का योगदान सरकार को वह दें।

मान्यवर, सरकार ने एक साल पहले वृद्धा पेंशन और विधवाओं के लिये पेंशन का प्रबन्ध किया है। आज से कुछ दिन पहले विधवाओं की देखरेख के सम्बन्ध में कहा गया कि जिनकी देखरेख कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, इसके साथ ही वृद्धावस्था में खाने पीने का प्रबन्ध नहीं हो पाता है तो सरकार ने उसके लिये भी प्रबन्ध किया है। आने वाले समय में एक लाख विधवाओं को और एक लाख वृद्धावस्था के लोगों को पेंशन देने का कार्यक्रम रखा है जिसमें इनको पेंशन दी जायेगी।

मान्यवर, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि कांस्ट्रक्टिव कार्य जो हों उसमें वह हमारी सरकार को सहयोग दें जिससे आपका, हमारा और सारी जनता का हित होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूं कि जो सामान आवश्यक वस्तुएं हैं वह भी सही लोगों को उपलब्ध हो रही है वह चाहे सीमेन्ट हो, कोयला हो, चीनी हो या मिट्टी का तेल हो । आजकल के युग में जबतक सरकारी और विपक्षी लोग मिलकर कार्य नहीं करेंगे, तब तक हमारा प्रान्त तरक्की नहीं कर पायेगा । मैं इन्हीं शब्दों के साथ, धन्यवाद का जो प्रस्ताव है उसका समर्थन करता हूं । धन्यवाद ।

(श्री जनर्दन प्रसाद ओझा का नाम पुकारे जाने पर, तथा श्री मुहम्मद आजम खां के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता—

आपके दल के ज्यादा से ज्यादा सदस्यों को मौका दिया गया है, अब आप बैठें ।

(व्यवधान)

श्री कमाल यूसुफ मलिक—

फेंके हैं गुल औरों की तरफ, बल्कि समर भी ऐ खाना बरअन्दाज चमन कुछ तो इधर भी ।

श्री अधिष्ठाता—

मैं यही कह सकता हूं कि दल के हिसाब से जो बैठें हैं, जिसकी-जितनी संख्या है उसके हिसाब से ही मैं इसके लिए चलूंगा ।

[समय 3 बजकर 15 मिनट]

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे मौका दिया । महामहिम राज्यपाल ने जो वक्तव्य दिया है, जो अभिभाषण दिया है, उस पर मैं संशोधन का प्रस्ताव रखना चाहता हूं । मान्यवर, महामहिम ने कुछ ऐसे ही कहा जैसे कि कोई व्यक्ति मृत्यु शैय्या पर पड़ा हो, दम तोड़ने के करीब हो, तो वह अपने परिवार जनों और परिजनों को बुलाकर अपने किये कराये पर उपदेश देते हुए उन्हें सान्तवना देता है कि बेटा तुम्हारे लिए मैं बहुत कुछ कर चुका हूं । इनके लिए भी केन्द्र सरकार ने फतवा दे दिया है कि तुमको जाना है । तो मृत्यु शैय्या पर पड़े राज्यपाल का यह अभिभाषण हमारे और उत्तर प्रदेश की जनता के गले के नीचे नहीं उतर रहा है उन्होंने भूतपूर्व प्रधान मंत्री की शहादत पर अफसोस प्रकट किया, लेकिन सबसे ज्यादा अफसोस तो हमे इस बात का है कि उनकी शहादत के लाभ को पोलेटिकल रूप में कैच करने का प्रयास इस सरकार ने किया है । सरकार के लिए यह बड़े लज्जा की बात है कि वह अपने प्रधान मंत्री की रक्षा भी नहीं कर सकी और वह सरकार देश और प्रदेश की जनता की क्या रक्षा कर सकती है । इससे भी बड़ी अफसोस की बात यह रही है कि जो रिपोर्ट आई है, जो जासूसी कांड हुआ है, उसमें देश की अस्मत, देश की प्रतिष्ठा को बेचने का काम उनके ही सचिवालय यानी प्रधान मंत्री सचिवालय ने किया है । इस पर भी विचार होना चाहिये ।

श्री सुरेन्द्र कपिल—

श्रीमन्, क्या यह इनके अधिकार क्षेत्र में आता है, ऐसा कहना ? यह राज्यपाल के अभिभाषण पर कह रहे हैं या राष्ट्रपति के अभिभाषण पर ?

श्री अधिष्ठाता—

चूंकि आपने व्यवस्था के सवाल में एक ऐसा सवाल उठाया था ...

श्री शतरुद्र प्रकाश—

यह इस बात का मौका देते हैं...

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

आप जो कहें, उन शब्दों को समझा कर कहें ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मैं किसी अन्ध को अन्धा नहीं कहूंगा, सूरदास कहूंगा ।

जन-स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)—

मैं आपसे यह संरक्षण चाहता हूं कि आप यह निर्दिष्ट कर दें कि भविष्य में इस सदन में संसद की कार्यवाही की भी चर्चा की जायेगी, अन्यथा माननीय सदस्य ने जो बिन्दु उठाया है, उससे राज्यपाल के अभिभाषण का कोई भी सम्बन्ध नहीं है ।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

श्रीमन्, यह किस नियम में बोल रहे हैं? आप यह बताइये कि क्या कोई भी आदमी बीच में खड़े होकर बोलने लगेगा ? इनका व्यवस्था का प्रश्न तो नहीं था ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

मैंने अध्यक्ष पीठ से संरक्षण मांगा था ।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

किस बात का संरक्षण मांगा था ?

श्री राम सरन—

मान्यवर, मेरा निवेदन सुन लें । पिछले तीन दिनों से बहस चल रही है। बहुत से माननीय सदस्य बोल चुके हैं । उधर के एक दो माननीय सदस्यों के मैं नाम ले सकता हूं, उन्होंने अपने पूरे भाषण में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा नहीं की बल्कि प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की गाथा गाते रहे । कल माननीया कुदसिया बेगम बोल रहीं थीं । बार-बार टोकने के बाद भी बोलती रहीं । उस वक्त त्रिपाठी जी ने प्वाइंट आफ आर्डर नहीं उठाया । लोकपति त्रिपाठी जो सीनियर आदमी होते हुए, पार्लियामेंटरी पद्धति हमें सिखायें यह हमें अच्छा नहीं लगता । यह अपने उन लोगों को सिखायें जो अनाप-शनाप बोलते रहते हैं । हमारे ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं, यह नहीं चलेगा ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय राम सरन जी, मेरे ख्याल से इस पक्ष और उस पक्ष के माननीय नेताओं ने बात एक ही कही है सिर्फ शब्दों में फर्क है । मेरा कहना है कि जो अभिभाषण है उस पर जो चर्चा में आप हिस्सा ले रहे हैं उसके रिफरेंस में ही कोई बात आप कहें तो इससे उसका वजन बढ़ता है और भाषण कुछ रूप अख्तियार करता है । मैं फिर निवेदन करूंगा कि अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव है या जो संशोधन के प्रस्ताव हैं उनकी हिमायत में अपना भाषण दें तो उसका अच्छा असर होगा ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, व्यवस्था के नाम पर सदन का समय चला जायेगा ।

श्री अधिष्ठाता—

जो समय जायगा, हम भाषण करने वाले सहयोगी साथी को उसका समय देंगे ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मैंने मान्यवर, कहीं संसद की कार्यवाही का संदर्भ नहीं दिया । मैंने किसी व्यक्ति का संदर्भ नहीं दिया। मैंने किसी पदाधिकारी का संदर्भ नहीं दिया । मैंने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का संदर्भ दिया है । मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने प्रदेश के बहुत बड़े भू-भाग जिसको हम पूर्वान्चल कहते हैं जिसके विकास की कल्पना बराबर सरकारों ने किया है उस सम्बन्ध में एक शब्द भी इस अभिभाषण में नहीं है । पूर्वान्चल तो आजादी की लड़ाई का प्रतीक रहा है । गुरबत और गरीबी का प्रतीक रहा है ।

मैं आपके मध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि पूर्वान्चल के लड़के लाठी लेकर कब तक पहरा देते रहेंगे। कब तक बाम्बे के होटलों के पत्तल साफ करते रहेंगे और कब तक देहरादून और नैनीताल में रिक्शा चलाते रहेंगे। उनकी बेरोजगारी और बेकारी को कौन दूर करेगा। पूर्वान्चल के रीजनल इम्बैलेंसेज को दूर करने के लिए आर्थिक विकास में समान स्तर पर लाने के लिए राज्यपाल महोदय ने एक शब्द भी नहीं कहा है। मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की घोर भर्तसना करता हूं। मान्यवर, कृषि के लिए आवश्यकता है खाद की, पानी की, बिजली की। मैंने इसी सदन में पिछली बार एक प्रश्न उठाया था। उसका जवाब मिला कि 47 जिलों में सब स्टैंडर्ड गेहूं का बीज दिया गया है।

मैं मान्यवर, आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि इसका जिक्र इसमें क्यों नहीं किया गया कि उन 47 जिलों के कौन से अधिकारी थे जिन्होंने रद्दी बीज सप्लाई किया। उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी इसका इसमें कोई जिक्र नहीं है। किसानों को रद्दी बीज की जगह पर कौन सा बीज दिया गया इसका इसमें कोई जिक्र नहीं है। 7 करोड़ रुपये के आइसोप्रोटान इस सरकार ने खरीदा जिसका इस्तेमाल नहीं हुआ और वह गोदामों में पड़ा सड़ रहा है। जब उस आदमी से 22 लाख रुपये का कमीशन मांगा गया तो वह ट्रेन में हार्ट फेल होने से मर गया। यह मामला सदन में उठा था। तो इतने बड़े भ्रष्टाचार के बारे में एक शब्द भी इसमें नहीं कहा गया है। जो सरकार किसान को खाद नहीं दे सकती, जो सरकार किसान को पानी नहीं दे सकती, जो सरकार किसान को बिजली नहीं दिला सकती जो सरकार उसकी उपज का दाम नहीं दिला सकती वह सरकार किसानों की बात करे इससे ज्यादा गुस्ताखी और शर्म की बात क्या हो सकती है। हमने अपेक्षा की थी कि नयी सरकार कुछ करेगी कुछ सीखेगी। पार्लियामेंट में रावणी बहुमत पाने के बाद विधान सभा के चुनाव में यह पिटी लेकिन उससे इन्होंने कोई नसीहत नहीं ली।

गन्ना किसानों की बातें की गयीं। गन्ना किसान को आपने क्या दिया। गन्ने का उत्पादन घटा है यह आपके आंकड़े कहते हैं। गन्ने की कीमत घटी है लेकिन भ्रष्टाचार बढ़ा है। कारपोरेशन के नियंत्रण में जितनी भी चीनी की मिलें हैं उनमें रिकवरिंग लास हुआ है। करोड़ों रुपयों का लास हुआ है। फिर भी आप गन्ना और शुगर इंडस्ट्री की बातें करते हैं। शर्म आनी चाहिये कारपोरेशन के नियंत्रण में चलने वाली मिलें मुनाफे तो क्या बराबरी पर भी नहीं चल रही हैं और करोड़ों रुपयों का घाटा है।

आई० ए० एस० और पी० सी० एस० अफसरों के खिलाफ सी० बी० आई० की रिपोर्ट है। 28 लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप हैं, स्पष्ट आरोप हैं लेकिन आज उनके नियंत्रण में प्रदेश के कारपोरेशन चल रहे हैं। मेरी मान्यता है, मैं बराबर कहता आ रहा हूं कि मामूली से मामूली सार्वजनिक कार्यकर्त्ता इन आई० ए० एस० और पी० सी० एस० अधिकारियों से ज्यादा अच्छा रहेगा निगमों का अध्यक्ष बनाने के लिये। अगर किसी प्रशासकीय अधिकारी को इन निगमों का अध्यक्ष बना देते हैं, तो हम जाकर उनसे सलाम करेंगे, इससे ज्यादा गैरत और शर्म की बात और कौन सी हो सकती है?

बेरोजगारों के लिए कौन सा काम आपने दिया है। आज एक भी उधर बैठे हुए लोगों में से कोई भी व्यक्ति बताये कि बिना भारी पैमाने पर पैसा लिए, जिन बेरोजगारों को जिला उद्योग अधिकारी और बैंक के लोगों ने ऋण दिया है, मेरा आरोप है कि गोरखपुर जिले में 5-5 हजार रुपये बेरोजगारों से लिया गया है। यह काम भी राजनैतिक दबाव और चुनाव के ऐन मौके पर किया गया है, जिससे उसका राजनैतिक लाभ चुनाव में उठाया जा सके।

अन्त्योदय जैसी एक भी योजना का जिक्र अगर महामहिम राज्यपाल महोदय ने किया होता, तो हम निश्चित ही उनकी तारीफ करते । आप 1977 को बार-बार याद करते हैं, लेकिन अन्त्योदय योजना, उपभोक्ता की वस्तुओं को सस्ते दाम पर बिकवाना, कोटा परमिट को खत्म करना आदि जनता पार्टी की योजनाओं को आप भूल जाते हैं।

महामहिम राज्यपाल ने इस प्रदेश की 11-12 करोड़ जनता के जीवन स्तर को उठाने के लिये किसी योजना का भी जिक्र नहीं किया । प्रदेश में जो प्राइमरी स्कूल खुले हुए हैं, 80 फीसदी स्कूल ऐसे हैं, जिनके पास भवन नहीं है, छप्पर नहीं है, पेड़ के नीचे बच्चे पढ़ रहे हैं । स्कूल खोले जाने की चर्चा महामहिम राज्यपाल ने किया है, लेकिन वर्तमान वित्तीय वर्ष में एक भी प्राइमरी स्कूल पूरे प्रदेश में नहीं खोले गये । विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रही है और महामहिम राज्यपाल शिक्षा के विस्तार की बात करते हैं । पंडित जी (श्री लोकपति त्रिपाठी) अस्पताल खोलने की बात चलायी है, लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि वे कितने अस्पताल खोलने जा रहे हैं । प्रदेश की जनसंख्या को देखते हुए और पजाब और हरियाणा आदि प्रदेशों की तुलना में उनकी संख्या कितनी है ? यदि आप तुलना कीजिए, तो शर्म से सरकार का माथा झुक जायेगा ।

मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहूंगा 531·6 करोड़ रु0 का इस विद्युत बोर्ड का घाटा है और जो व्यक्ति भ्रष्टाचार के आरोप में महाराष्ट्र सरकार ने निकाला था, उसे विद्युत परिषद् का यहां अध्यक्ष बना दिया है । मेरे नवजवान साथी ने उर्दू और अल्पसंख्यकों की चर्चा की । मैं पूंछना चाहूंगा कि राज्यपाल महोदय ने एक शब्द भी इस संदर्भ में नहीं कहा । चुनाव के बीच उर्दू और अल्पसंख्यकों की चर्चा करने वाले लोगों को, सरकार के प्रतिनिधि महामहिम राज्यपाल ने एक शब्द भी इस दिशा में नहीं कहा ।

प्रदेश में सिक्खों के खून से होली खेली गयी । मुसलमान का खून तो वैसे भी सस्ता मान लिया गया है । मैं जानना चाहूंगा कि क्या सतवन्त सिंह पूरे सिक्ख समुदाय का कोई प्रतिनिधि था, कि नहीं ? यदि नहीं, तो पूरे समुदाय के साथ बर्बरतापूर्वक आचरण किया गया, उसके सन्दर्भ में राज्यपाल महोदय ने एक शब्द भी नहीं कहा । यदि एक सतवन्त सिंह के आचरण से पूरे समुदाय के विरुद्ध ऐसी कार्यवाही करने की इजाजत यह सरकार दे सकती है, तो मैं जिम्मेदारी के साथ यह जानना चाहूंगा को कि महात्मा गांधी के हत्यारे नाथू राम गोडसे की बिरादरी के साथ उस समय क्यों नहीं कार्यवाही की गयी ? इस बीच प्रदेश में प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं रही । हजारों सिक्खों का कत्ल हुआ । करोड़ों की सम्पत्ति लूटी और जलाई गयी । हजारों लोग बेघरबार हुए । मेरे शहर घुघली में एकमात्र सिक्ख परिवार को घर में से निकाल कर उसमें कांग्रेस (आई) का कार्यालय खोला गया और कांग्रेस (आई) का झंडा लगाया गया और प्रशासन खामोश वह सब देखता रहा । यह अपेक्षा थी कि राज्यपाल महोदय निश्चित ही दो शब्द इस सम्बन्ध में दुःख प्रकट करेंगे, लेकिन उन्होंने एक शब्द भी इस सम्बन्ध में नहीं कहा । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि यह सरकार विशेष वर्ग के लोगों की सरकार है । यह सरकार अकलियत की नहीं है । मान्यवर, जो सिख वर्ग यहां रहता है क्या उनके जान माल की हिफाजत करना सरकार का काम नहीं है । क्या उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए ।

मान्यवर, उर्दू के सवाल को ले लीजिए चुनाव में भाषण देते हैं, अधिष्ठाता जी, आप भी भाषण देते होंगे । उर्दू के सम्बन्ध में एक भी शब्द नहीं कहा गया । जनता पार्टी ने अकलियत कमीशन

नाई थी उसको खत्म करने का काम इस सरकार ने किया है ।

मान्यवर, एक युवा शक्ति की बात कही गई । तो माताजी का शब्द इस्तेमाल किया गया था, एक महिला के लिए । मैं समझता हूं कि यह शब्द वापस ले लें । मान्यवर, एक भी शब्द बेरोजगारों के लिए नहीं कहा गया है । राज्यपाल का अभिभाषण केवल एक औपचारिकता है । मान्यवर, जो इस प्रदेश की ज्वलन्त समस्यायें हैं उन पर एक शब्द भी नहीं कहा गया है । जहां तक अकलियतों की जान-माल का सम्बन्ध है उस पर एक भी शब्द नहीं कहा गया है ।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हो रहा है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, देश की ज्वलन्त समस्याओं के बारे में कुछ नहीं कहा गया है यह इनकी दायित्वहीनता का सबूत है । मान्यवर, राज्यपाल, मृत्यु की शैय्या पर पड़े हुए, चिता के सामने बैठे हुए से एक व्यक्ति अपने परिवार को उपदेश देता है, वैसे ही यह उपदेश दे कर चले गये ।

श्री पूरन सिंह--

मान्यवर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के समर्थन में धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया । मान्यवर, राज्यपाल महोदय ने अपना अभिभाषण दिया, उसमें हर तरीके से चाहे वह कृषि से सम्बन्धित हो चाहे शिक्षा से सम्बन्धित हो चाहे सिंचाई से सम्बन्धित हो, चाहे उद्योग से सम्बन्धित हो, हर तरीके की नीति का निर्धारण इसमें किया गया है जो तरक्की आने वाले दिनों में होनी है उस पर बखूबी विस्तृत रूप से कहा है । मैं इस प्रदेश विकास पुरुष मुख्य मन्त्री पंडित केनारायन दत्त तिवारी व उनके मन्त्रिमन्डल के सदस्यों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने स्वर्गीय प्रधान मन्त्री इन्दिरा जी के दिशा-निर्देशन में, जो उन्होंने पूर्व में दिखाई थी, उस पर कार्य करने का संकल्प लिया है ।

मान्यवर, स्वास्थ्य के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं और इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि स्वास्थ्य और इंजीनियरिंग जैसी कठिन शिक्षा, जो अंग्रेजी में दी जाती थी आज हमारी सरकार ने उसे हिन्दी में देने की व्यवस्था की है । इसलिए हमारी सरकार बधाई की पात्र है । वन संरक्षण की बात अभिभाषण में कही गयी है कि संरक्षण होना चाहिए । मान्यवर, मैं विनम्रता के साथ एक सुझाव देना चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्र जहां से मैं चुन कर आया हूं । वहां 60 प्रतिशत से 70 प्रतिशत तक बना है वहां वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत काम करने में कठिनता आ रही है । मुझे निवेदन करना है कि जो जनहित और लोकहित के कार्यों हेतु विधान पेश होते हैं उनके लिए वन अधिनियम का सरलीकरण किया जाए मेरे क्षेत्र में आज भी माताओं और बहनों को 4-4, 5-5 किलो मीटर से पानी अपने सिर पर लाना पड़ता है । माननीय राजीव जी के निर्देशन से वहां के विकास के लिए हमारी सरकार ने काफी पैसा मुहय्या कराया है । लेकिन वहां पर जल की व्यवस्था दो विभागों के हाथ में है । एक तो जल संस्थान और दूसरा जल निगम ।

मैं इस सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि दोनों संस्थाओं को तोड़ कर एक संस्था बना दी जाय । एक ही संस्था को योजना लगाने से लेकर पानी सप्लाई करने और रखरखाव करने की व्यवस्था सौंपी जाय । एक बात जो परोक्ष रूप से जनता के हित में है कहना चाहता हूं पर्वतीय क्षेत्र इस प्रदेश का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है । पर्वतीय क्षेत्र के विकास के लिए काफी पैसा दिया जा रहा है लेकिन वहां जो कर्मचारी या

अधिकारी जाते हैं, वह केवल इसलिये वहां नहीं रह पाते हैं कि उनके आवास की व्यवस्था नहीं है। मैं इस सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि पर्वतीय क्षेत्र के विकास कार्य के लिए जहां रुपया दिया जा रहा है वहीं कर्मचारियों और अधिकारियों के आवास की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वहां के विकास कार्य में द्रुतगति से कार्य हो सके।

इस लोकप्रिय सरकार ने हमारे पिछड़े और निर्जन पर्वतीय क्षेत्र की देखभाल के लिए एक पर्वतीय विकास मंत्रालय की व्यवस्था की है। वहां एक वरिष्ठ मन्त्री के अन्तर्गत दो कनिष्ठ मन्त्रियों की नियुक्ति की जाय। जिसमें एक कुमायूं मण्डल के लिए और एक गढ़वाल मण्डल के लिये जिम्मेदार हो और वहां के कार्यों का द्रुतगति दी जा सके। पर्वतीय क्षेत्रों में जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं वह दो विभागों के अन्तर्गत कार्य कर रहे हैं एक तो पर्वतीय विकास मन्त्रालय के अन्तर्गत और दूसरा अपने मूल विभाग के अन्तर्गत। जिस कारण उनके ऊपर मानसिक दबाव रहता है जो लोग वहां कार्य कर रहे हैं उनको इस प्रकार का प्रलोभन भत्ता दिया जाय और उनकी सेवायें मूल विभाग को छोड़ कर पर्वतीय विकास मन्त्रालय के अन्तर्गत आ जाय ताकि कर्मचारी मन से अपना काम कर सकें।

यातायात के लिये आज शासन से बहुत सी बातें इस प्रदेश में कही गई हैं। इतनी सड़कें बनाई जायेंगी, इतनी बसें खरीदी जायेंगी। पर्वतीय क्षेत्र में न तो रेल मार्ग है, न जल मार्ग है और न वायु मार्ग है। वहां पर सारा विकास, सारे खाद्यान्न का ढुलान सड़क मार्ग से होता है। मेरा सरकार से निवेदन है कि पर्वतीय क्षेत्र में अधिक से अधिक मोटर मार्ग बनाये जायं वहां की विषम परिस्थिति को देखते हुये, नई से नई बसें वहां चलाई जायं। उनकी संख्या बढ़ाई जाय।

मैं अन्तिम निवेदन करना चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्र में शिक्षा पर बहुत पैसा खर्च किया जा रहा है। लेकिन वहां पर प्राइमरी पाठशालाओं में एक असन्तुलन है। कुछ शिक्षक प्राइमरी पाठशालाओं में परिषद् के अन्तर्गत काम कर रहे हैं और कुछ राजकीय सेवाओं के अन्तर्गत काम कर रहे हैं। अजीब विडम्बना है जो परिषद् सेवा का हेड-मास्टर है उसको 4 सौ रुपये वेतन मिलता है जो परिषद् का सहायक अध्यापक है उसको 365 रुपया वेतन मिल रहा है लेकिन जो राजकीय सेवा के अन्तर्गत सहायक अध्यापक उस हेड मास्टर के साथ काम कर रहा है उसको साढ़े चार सौ रुपया वेतन मिलता है। यह मानसिक व आर्थिक असन्तुलन की बात है। हेडमास्टर को 4 सौ रुपया सहायक अध्यापक को साढ़े चार सौ रुपया दिया जाय इस विषमता को समाप्त किया जाना चाहिए। आपने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये धन्यवाद देता हूं। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। जयहिन्द।

श्री मुहम्मद आजम खां--

मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा गालिब के एक शेर से शुरू करता हूं--

गो हाथ में जुम्बिश नहीं आंखों में तो दम है,
रहने दो अभी सागरोमीना मेरे आगे ॥

मुझे, उस थके हुए मफलूज शख्स के बारे में कुछ भी नहीं कहना है।

मान्यवर, वजीरे आजम ने शासन में आने पर कहा कि हम एक साफ सुथरा इन्तजामियां मुल्क को देंगे। जहां किसी के साथ कोई इम्तेयाज नहीं बरता जायेगा। मान्यवर, कैसा साफ सुथरा इन्तजामियां वह मुल्क को देंगे यह मैं बता दूं अपनी मां के कत्ल के बाद उन्होंने कहा कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो जमीं हिलती है।

हिन्दुस्तान के वजीरे आजम ने इक्तेदार में आते ही हिन्दुस्तान के करोड़ों अवाम से अपनी मां की मौत का इन्तकाम लिया। सिर्फ एक पेड़ गिरा था नतीजे में तकरीबन 25 हजार बेगुनाह सिख कत्ल कर दिये गये। शैतान नंगा होकर सड़कों पर नाचने लगा। अरबों रुपये की इमलाक लूटी और जलाई गई। बेशक इन्दिरा गांधी का कत्ल एक वहशियाना खेल था। जम्हूरी ताकतें सोचेंगी कि जम्हूरियत के फैसले बैलेट से होंगे या बुलेट से। मैं जम्हूरियत पसन्द ताकतों से कहता हूं कि इसे बर्रे सगीर की तीन बड़ी शख्सियतों का इबरतनाक अन्जाम हुआ, पाकिस्तान में भुट्टो साहब को फांसी बंगलादेश में शेख मुजीबुर्रहमान का कत्ल और अपने ही मुहाफिजोन के हाथों इन्दिर गांधी का सफ्फाकाना कत्ल एक सवालिया निशान है। आज नहीं तो कल मुअर्रिख वक्त सिर्फ इन्दिरा गांधी के कत्ल को ही नहीं बल्कि इस कत्ल के असबाब की भी तारीख तहरीर करेगा। काश हमारी बात सुन ली गई होती और वह गुजरे हुए पांच साल जिसमें हमने इसी सदन में चीख-चीख कर कहा था कि रोको फिरकापरस्ती, हिन्दू मुस्लिम दुश्मनी इस मुल्क को तबाह कर देगी।

इस हुकूमत ने हिन्दू, मुसलमान, सिखों के बीच नफरत की जो दीवार खड़ी की है वह जहर है। याद करें ताकत में बैठे हुए इन्सानियत का इस्तेहाल करनेवाले को 1980 मुरादाबाद की ईदगाह में वह नन्हे-नन्हे हाथ जो एक महीने रोजे रखने के बाद दरगाहे खुदावन्द में अपने मालिक से दुआ मांगने गये थे। कौन जानता था रंगीन लिबास में मजलूम ये नन्हे जिस्म पी0ए0सी0 और पुलिस की गोलियों से खून में नहा दिये जायेंगे। कौन सरकार थी उस वक्त कौन था इक्तेदार में, वही कांग्रेस जो आज इक्तेदार में है जिसने मेरठ मअलीगढ़, टांडा (फैजाबाद), इलाहाबाद, मऊनाथ भंजन में गरीब अखिलयत की जिन्दगी की सांसें तंग कर दी हैं।

जनाब, अफसोस तो यही है कि इस घर को आग लग गई घर के चिराग से मेरे अजीज आप तो उस मादरेदरसगाह के तालिबे इल्म हो जिसे बारहा इस हुकूमत ने लहूलुहान किया है। मुझे तो उम्मीद यह थी कि आप एतराज करेंगे अपने साथी की तकरीर पर मगर अफसोस आप जैसे मिल्लत फरोश ही कौम को खून के आंसू रुला रहे हैं। बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जायेगी, लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे। अजीज साथियों, नफरत का यह माहौल रुकना चाहिए। मैं दुखी जजबात में कहां-कहां गुजर गया मगर याद रखिये जजबात सिर्फ दरों दीवार में नहीं होते या फिर नपुंसक या हीजड़ों में नहीं होते।

मैं उर्दू के सिलसिले में कुछ कहना चाहता हूं। उर्दू का नाम लेकर आपने उर्दू वालों का वोट तो हासिल कर लिया और ईमानदारी या बेईमानी से हुकूमत भी बना ली। उर्दू टीचर्स का लालच देकर आपने पूरे सूबे के सामने एक सवाल खड़ा कर दिया है। साथ ही उर्दू को दूसरी सरकारी जुबान बनाने की बात भी आपने कही थी मगर इस बार अपनी मैनीफेस्टो से उसे उड़ा दिया। हमने पिछले सेशन में आपकी हुकूमत के एक पुराने वजीर जिन्होंने मेरी रिहाइशगाह पर हमला भी कराया था उर्दू की लगी तख्ती और फर्नीचर तुड़वाया था जहां मैंने पहले से भी बड़ी तख्ती का प्रोपोजल था कि उर्दू को आठवें दर्जे तक लाजमी बना दिया जाये हमने लिखकर भी दिया और ऐवान में भी उस बयान का खैरमकदम किया था मगर अफसोस बदनियत हुकूमत ने उसे भी मंजूर नहीं किया। पिछली बार, बार-बार उर्दू का बिल सदन में लाया गया मगर वह अपनी मौत मर गया इसलिए कि उसकी मौत आप चाहते थे।

आजादी 37 सालों में गरीब मजदूर मेहनतकश किसान जब भी फिरकापरस्ती के नाम पर मारा गया है तो हुकूमत में

लोग इस तरफ के नहीं बल्कि उस तरफ के हुआ किये हैं ।

हम मांग करते हैं कि उर्दू को दूसरी जबान करार दिया जाय या न दिया जाय लाजिमा है इसको आठवें तक लाजमी कर दिया जाय । मान्यवर, अपने ही मुल्क की एक कौम को फिरकापरस्त कह कर नाइंसाफी की जाती है । मसाएल का जिक्र करने वालों पर उगलियां उठाई जाती हैं । किसी की जुर्रत नहीं है मेरे ऊपर उंगली उठा सके । इस मादरे वतन पर सनेब वाले 70 करोड़ लोगों में जो इवतदार पहले शख्स का है वही मेरा है किसी की हिम्मत नहीं है कि मेरी वफादारी के लिये सोच भी सके ।

मान्यवर, मैं जिस शहर रामपुर से आता हूं वह बहु ही पिछड़ा हुआ और गरीब शहर है । वह नवाबों का शहर है राजीव गांधी ने स्वच्छ प्रशासन की बात कही थी उसी ने पिछली बार मेरे खिलाफ एक स्मगलर को टिकट दिया था और यह बुरी तरह हारा थ । इस बार उसी स्मगलर को टिकट दिया गया, इस बार भी तकरीबन उसकी जमानत जब्त हो गयी । जब स्मगलरों को टिकट देंगे, नवाबों को टिकट देंगे तो समाज और मुल्क का क्या होगा ? आपका गरीब से क्या रिश्ता है, रिश्ता है स्मगलरों से, पूंजीपतियों से, गुन्डे बदमाशों से और यही बेइमान और समाज के दुश्मन आपके इलेक्शन म काम आते हैं । मैंने अपने इलेक्शन म वोटों की गड्डियां पकड़ी हैं । आप तो वोटों की बेइमानी करते हैं, नीतियों की बेइमानी करते हैं और सरकार बना लेते हैं ।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि मैं जिस गरीब शहर से चुन कर आया हूं जहां गली कूचे में गरीबी पलती है उसमें कुछ दिन पहले मोदी जीरोक्स नाम का एक कारखाना लगाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में एक जरूरत शख्स नारायण दत्त तिवारी हैं । प्रदेश में कोई भी कारखाना लगे तो वह उनके मेदे में चला जाय नैनीताल में लग जाये । कोई भी विकास का काम होगा तो नैनीताल में होगा । आप पता करें तो मालूम होगा नैनीताल में कोई और कारखाना लगाने के लिये जमीन तक नहीं मिलेगी और कुछ दिनों के बाद ढूढ़े से मजदूर नहीं मिलेगा । प्रदेश में कोई भी कारखाना लगेगा तो नारायण दत्त तिवारी के नैनीताल में लगेगा । रामपुर के लिए एक कारखाना 1979 में लगने की बात हुई थी लेकिन वह पहुंच गया हरिद्वार में ।

मान्यवर, मोदी जीरोक्स कारखाना फोटोस्टेट कापियों के लिए मशीन बनाने के लिये है, उसमें 250, 300 टेक्निकल आदमियों को लिया जाना है वह कोने से 250 आदमी लिये जाएंगे, जिनके लिये मुख्यमंत्री यहां से चिट्ठी लिखकर देंगे । हमारा रामपुर शहर गैरदस्तकार का शहर है । हमको यहां रेल और हवाई जहाज बनाने वाला कारखाना नहीं चाहिये । हमारे यहां खाद के कारखाने लगें, कपड़े और शक्कर के कारखाने लगें या इसी तरह के और कारखाने लगें जिनमें हमारे यहां के गैर दस्तकार लोगों को जिनके हाथों में कोई हुनर नहीं है मगर पेट है, को काम मिल सके, तो काम चलेगा । आजादी से कब्ल गुलाम हिन्दुस्तान में पहले 1947 से पहले वहां पर 11 छोटे-बड़े कारखाने थे, लेकिन अब सिर्फ एक बचा है । अब वहां के लोग चाकू भी नहीं बनाते हैं,

(इस समय 3 बजकर 50 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

कांग्रेस सरकार ने वहां के सारे कारखाने खत्म करके उन्हें महरूमियत की जिन्दगी गुजारने पर मजबूर किया है ।

मान्यवर, मुझे अभी अधिष्ठाता महोदय, और दो मिनट का समय दे गये हैं । मैं आपकी तवज्जह एक और बात की तरफ दिलाना चाहता हूं कि अरबी के मदारिस के मामले में इस प्रदेश के अन्दर सौतेलेपन का बर्ताव व्यवहार किया

गया है और आज तक उनके लिये कोई जाब्ता तैयार नहीं हो सका है । उनकी मजीद मुलाजिमत के लिये कोई इन्तजाम नहीं किया गया । एक तरफ तो आपने यह पाबन्दी लगा दी है कि अरबी स्कूलों में कोई अध्यापक नहीं रखा जायेगा और दूसरी तरफ उनके लिये आज तक आपने कोई जाब्ता तैयार नहीं किया है । मैं मांग करता हूं कि या तो आप इस पाबंदी को हटा दें या अपने एजूकेशन डिपार्टमेंट को यह निर्देश दें कि वे इनका जाब्ता तैयार कर दें ।

बुनकरों का मामला है । आपकी सरकार के बारे में क्या कहें । यह कहते हैं कि हम बुनकरों के मसीहा हैं । लेकिन उनको सस्ते दाम पर सूत नहीं मिलता है कोई छूट नहीं मिलती । उनको सस्ते दाम पर सूत दिया जाय । बजाय इसके उनके कन्धों पर जुआ रख दिया गया है टैक्स का बोझ लाद दिया है जिससे वो उस बोझ तले दब जायें । मान्यवर, इन अल्फाज के साथ के जो अभिभाषण पढ़ा गया और जैसा कि मैंने अर्ज किया था कि मैं उस दिन मौजूद नहीं था । रिवायत यह रही है कि यह अभिभाषण इस खादिम आजम खां को दे दिया जाता था ताकि मैं इसे फाड़ दूं क्योंकि वे जानते हैं कि जो कुछ अभिभाषण में लिखा हुआ है उसमें झूठ, धोखा, फरेब के अलावा कुछ नहीं है । चूंकि मैं नहीं था, मैंने उसे फाड़ा नहीं, और जब मैंने फाड़ा नहीं तो हुआ ही नहीं लिहाजा वह अभिभाषण पढ़ा हुआ नहीं माना जाये ।

इसलिए मैं इस अभिभाषण को जिसमें इस सूबे में रहने वाले कमजोर मजदूर, किसान या वह आदमी जो गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं रिक्शा चलाते हैं, वह 80 साल का बूढ़ा सड़क पर रिक्शा चलाते दम तोड़ गया है । नहीं जिन्दा रह सकता, पत्थर तोड़ने वाले वह गरीब मजदूर जो 7 रुपये रोज की मजदूरी पाते हैं, बीड़ी बनाने वाला है जो उत्तरी प्रदेश में 4 रुपये रोज मजदूरी पाकर जिन्दा नहीं रह सकता । महिलाओं की इज्जत थानों में लूटी जाती है वह मुल्क जहां की वजीरे आजम एक महिला रही हो और इस मंत्रिमंडल की एक महिला मंत्री हों, सोती रहें मेरे जगाने पर भी वह न जागे तो इस नकारे मंत्रि-मंडल से हम क्या उम्मीद करें । इसी के साथ मैं गर्वनर एड्रेस की जबरदस्त मजम्मत करता हूं ।

श्री लोकपति त्रिपाठी--

अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, तीन दिन से इस सदन में महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है और हम उसे सुन रहे हैं । श्रीमन्, दुख तो यह है कि जब हमारे नेता विरोधी दल ने इस अभिभाषण पर अपना वक्तव्य प्रारम्भ किया उस समय से अब तक किसी भी माननीय सदस्य ने उन बिन्दुओं पर कोई आघात नहीं किया और जब आघात नहीं किया तो इसके मायने यह है कि उन्होंने इसका समर्थन किया ।

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर नेता विरोधी दल ने जो श्रीमन्, संशोधन दिया है, उसको जरा सुन लें । उत्तर प्रदेश में और लोकसभा में चुनाव हुए, उसके परिणामस्वरूप वह विपक्ष वहां विराजमान है और यह पक्ष यहां विराजमान है । मान्यवर, राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश और लोकसभा के चुनाव पर इस प्रदेश की जनता को अपना साधुवाद दिया और उन अधिकारियों को सम्मान दिया, जिन्होंने उस चुनाव को कराया । हमारे नेता विरोधी दल ने उस सम्पूर्ण प्रक्रिया को ही समाप्त कर दिया। जिस प्रक्रिया के ऊपर विश्वास नहीं है, जिसे आप स्वतः ही समाप्त कर रहे हैं तो फिर इस सदन में बैठकर उसका उपहास क्यों कर रहे हैं । उन्होंने अपना संशोधन दिया है "हाल में हुए प्रदेश में लोक सभा एवं विधान सभा चुनावों में प्रदेश में अनेक स्थानों पर मतदान केन्द्रों पर जबरन कब्जा किये जाने का उल्लेख नहीं किया गया ।"

क्या कोई ऐसी संसदीय प्रक्रिया है जिसके अन्तर्गत कहीं अगर कोई गलत कार्य हुआ हो, एक तो हुआ नहीं, हुआ तो क्या उसकी चर्चा की जायेगी महा-महिम के द्वारा ? हमारे यहां हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि जो बात बुरी हो, उसको न सुनो ।

श्री राम गोविन्द चौधरी--

न बोलो तो छुपा जाओ ।

श्री लोकपति त्रिपाठी--

आप पहले अपनी दाढ़ी साफ करा दीजिये तो बुद्धि जागृत हो जायेगी ।

हमारे धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि बुरी बात को सुनना ही नहीं चाहिये, उसको देखना ही नहीं चाहिये और न उसे बोलना चाहिये । और, यहां मान्यवर, न देखो, न बोलो, न सुनो, तो करेगा कौन । वही करेगा जिसकी नींव ही इस पर पड़ी हुई हो । आप मुझे बाध्य कर रहे हैं । 1 अप्रैल, 1967 मुझे याद है । इस स्थान पर सम्मानित चन्द्रभानु गुप्त जी विराजमान थे । यहां राज्यपाल का अभिभाषण था । चौथा दिन था । माननीय जगदीश शरण जी अध्यक्ष थे । माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मतदान होने की प्रक्रिया होने वाली थी और यहां से कुछ व्यक्ति इसे(फ्लोर की तरफ इशारा करते हुए) पार करते हुए उधर चले गये। क्यों गये ? 1 जुलाई, 1979 को देश के सामने कोई इश्यू नहीं था । जनता पार्टी के उप प्रधान मंत्री थे, उन्होंने अपना ही सिम्बल कन्धे पर हल लिये हुए किसान, उन्होंने ही अपना झंडा दिया था, जिससे जनता पार्टी का गठन हुआ था । उस जनता पार्टी के उप प्रधान मंत्री पहले चले गय, तो कहां गये, किसी नीयत पर नहीं गये, किसी उद्देश्य पर नहीं गये, इसलिये नही गये कि जनता पार्टी की सरकार देश में गलत काम कर रही है, इसलिये नहीं गये थे, बल्कि इसलिये गये थे कि प्रधान मंत्री वह हों । इसलिये क्लोर क्रास किया था कि मुख्य मंत्री होना था । और, मान्यवर, यही नहीं 67 में नाम रह गया जनता कांग्रेस ।

एक सदस्य--

भजनलाल का भी जिक्र कीजिये ।

श्री लोकपति त्रिपाठी--

पहले दादा की बात सुनो, भजनलाल तो उनके पोता हैं । मान्यवर, 1967 में जन कांग्रेस, 1969 में भारतीय क्रांतिदल, 1974 में लोकदल, 1977 में जनता पार्टी, 1980 में जनता (एस) और 1985 में दमकिपा बना दी गई । आप जो कहते हैं कि आप हमेशा अपने नेता प्रधान मंत्री की बात कहते हैं । वह हम इसलिए कहते हैं कि उन्होंने हमें एक मार्ग दर्शन दिया । उनका कहना है कि अगर समाज को भ्रष्टाचार से बचाना है या समाज से भ्रष्टाचार को मिटाना है तो सबसे पहले राजनीति से भ्रष्टाचार को मिटाना होगा । इसीलिए उन्होंने दल-बदल कानून को पेश किया ।

श्री राम सरन--

मान्यवर, माननीय श्री लोकपति त्रिपाठी जी बोल रहे हैं । जिस तरह से वह भाषण कर रहे हैं क्या उसी तरह से मुझे भी कल भाषण देने की आज्ञा देंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी --

मान्यवर, मैंने किसी का नाम नहीं लिया । मैंने तो घटनाओं को जिक्र किया । मान्यवर, आप भी 1969 में कांग्रेस के सदस्य रहे हैं । मुजफरनगर में एक शैलेश चन्द्र काण्ड हुआ । एक विधायक जो चुनाव लड़ रहा था, उसे घर में ले जाकर और बन्द करके उसे भालों से कूचकर मार दिया । और वह प्रस्ताव कर रहे हैं कि महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण मे इसकी चर्चा होनी चाहिए थी । यशवन्त नगर में पोलिंग बूथ पर कब्जा किया गया, इस पर चर्चा होनी चाहिए, ऐसा वह कहते हैं । यह तो कोई परम्परा नहीं रही है । अब

आप आगे देखें । इसमें लिखा है "यह उल्लेख नहीं किया गया है कि वर्तमान मंत्रिमण्डल से न तो प्रदेश को स्वच्छ प्रशासत मिला और न ही प्रदेश का समुचित विकास होगा ।" स्वच्छ प्रशासन क्या है । वह स्वच्छ प्रशासन है जो मंत्री यहां बैठा रहा हो, जिसके पास सहकारिता का विभाग रहा हो । 1980 में लोक सभा का चुनाव लड़ा रहा हो, और उसके मंच पर डाकू बैठे रहते हों वह स्वच्छ प्रशासन है ?

श्री विजय सिंह राणा--

शायद आप बच्चा पाठक की बात कह रहे हैं, जिसके घर से 26 लाख रुपये की चोरी हो गयी है ।

श्री लोकपति त्रिपाठी--

मान्यवर, मुझे एक अंगूठा की कहानी याद आ गई । बादशाह अकबर और बीरबल का किस्सा सुना था । एक बार बादशाह अकबर बीरबल से पूछते हैं कि भाई दरबार में यह कैसे पता लगेगा कि हमारे नव-रत्नों में हर रत्न बहुत बढ़िया है और हर रत्न चरित्रवान और ईमानदार है । इस पर उसने कहा कि यह पता लगाना तो बहुत आसान चीज है । दूसरे दिन यह सूचना भेजी गई कि बादशाह की अंगूठी कहीं गिर गयी है जो कोई भी पाये, वह दे दे । उस अंगूठी पर सील थी । दो दिन बीत गये मगर अंगूठी किसी भी रत्न ने वापस नहीं की । बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा कि भाई दो दिन हो गये हैं अंगूठी नहीं मिल । इस पर बीरबल ने कहा जहांपनाह अंगठी तो मिल गयी है । इस पर उन्होंने कहा कि कहां है । बीरबल ने कहा कि आलंजाह जिसकी दाढ़ी में तिनका है, उसके पास है । वहां एक नवरत्न बैठा था, जिसकी दाढ़ी भी थी । यह सुनकर उसने तुरन्त अपनी दाढ़ी में हाथ लगाया और अंगूठी मिल गयी । इसी प्रकार इनकी दाढ़ी में भी तिनका है । जहां बैठे हैं, वहां माननीय जयराम वर्मा जी बैठते थे और आपके बगल में चरण सिंह जी । जहां माननीय सदस्य बैठे हैं वहां भूतपूर्व विजय बहादुर सिंह जी बैठते थे, उन्हीं के बगल में शतरुद्र जी के भूतपूर्व मित्र । मान्यवर, विधान सभा की प्रोसीडिंग्स के शब्द-ब्र- शब्द सुना दूं उसमें क्या कहा गया था, एक महीना चला था और यही सिद्ध किया गया था कि उत्तर प्रदेश का विरोध पक्ष इसी तरह की अनर्गल प्रचार किया करता है । मैं तो कहता हूं कि इस प्रदेश के सदन में तो मुझे कोल भाइयों का दामाद बना दिया । आप तो एक दल के नेता हैं, आपको पश्चाताप होना चाहिए ।

(हंसी-व्यवधान)

अभी उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का विकास नहीं होता । क्या विकास की सीमा रखी है, क्या मापदण्ड रखा है, क्या मानक बना रखा है ।

बात उठती है आलू से, मैं आलू से ही विकास की स्थिति बता देता हूं । 1967 में कितने कोल्ड स्टोरेज थे 167 और अब 1985 में 706 हैं । आज 3 लाख 34 हजार हेक्टेयर भूमि में आलू की खेती होती है और इस वर्ष 60 लाख टन आलू पैदा हुआ । उत्तर प्रदेश में आलू की स्वयं खपत 14 लाख टन है और भण्डारण की क्षमता है 24 लाख टन । उत्तर प्रदेश से आलू जो बाहर भेजना है वह हमको 22 से 24 लाख टन भेजना है जिसके लिए रेलवे से वैगन उपलब्ध करा लिया है । 1202 वैगन आलू आ चुका है । पी0 सी0 एफ0 द्वारा आलू की खरीद की जा रही है । इस समय 706 कोल्ड स्टोरेज हैं और हर कोल्ड स्टोरेज को डीजल जेनरेटर दिया जा चुका है । हमारी भंडारण क्षमता 22 लाख टन है । इसी उत्तर प्रदेश में 1969 में 167 कोल्ड स्टोरेज थे । आलू का उत्पादन 1969 में 14 लाख मैट्रिक टन था । इसी उत्तर प्रदेश में किसानों को आलू की सही कीमत नहीं उपलब्ध होती थी । कोई ऐसी योजना नहीं थी जिससे उनकी कीमतों को सुरक्षित किया जा सके ।

उत्तर प्रदेश में 1969 में 15 हजार बिजली के पम्पिग सेट थे और 1 लाख 60 हजार डीजल के इंजन थे जो आज 15 लाख हैं। 1969 में पांच हजार नलकूप थे जो आज 25 हजार हैं। अगर नलकूप बनाने के कारखाने न होते तो यह सामान कैसे बनते। बिजली का उत्पादन 250 मेगावाट था जो 1985 में 1800 मेगावाट है। इस समय 750 चल रहा है। दस्तकारी में भी 1969 में मदोही में कारपेट का उत्पादन 39 करोड़ का था, आज कारपेट उद्योग से गांव-गांव में कालीन बनाने का काम हो रहा है और साढ़े तीन सौ करोड़ रुपये का कारपेट का उत्पादन हो रहा है। यह कहते हैं कि श्रीमती इन्दिरा गांधी का नाम मत लीजिये, हम कैसे उनका नाम न लें। आज उन्हीं की वजह से कारपेट उद्योग ने इतनी प्रगति की है।

मैं माननीय विरोध पक्ष के सदस्यों को यह याद दिलाना चाहता हूं और उनका अभिवादन करते हुए साग्रह अनुरोध करना चाहता हूं कि देश में प्रजातंत्र की सही स्थापना तभी होगी जब विरोध पक्ष सत्ता पक्ष का सम्बन्ध हिन्दी का 36 न रहे वरन हिन्दी का 63 रहे जिससे देश का हित होगा। इन शब्दों के साथ मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूं और राज्यपाल के अभिभाषण का समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष—

यदि माननीय सदन की अनुज्ञा हो तो 4·20 बजे से विधेयक ले लिये जायं ?

श्री राजेन्द्र गुप्त—

यह सुझाव है कि अब विधेयकों पर चर्चा कर ली जाय।

श्री राम औतार दीक्षित—

मैं इससे सहमत हूं।

(किसी अन्य सदस्य द्वारा कोई आपत्ति न किये जाने पर यह निर्णय हुआ कि 4·30 बजे से विधेयक ले लिये जायं।)

[समय 4 बजकर 15 मिनट]

श्री अकबर हुसैन बाबर—

माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर मैं कुछ सुझाव रखना चाहता हूं। इस अभिभाषण में, इस प्रान्त में जो हजारों मजदूर बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके विषय में कोई चर्चा नहीं की गयी है। इनके अलावा छोटे-बड़े कारखाने बन्द हैं उनका कोई जिक्र नहीं है। कल से लगातार एक बात की चर्चा हो रही है—स्वर्गीय प्रधान मन्त्री की हत्या की, निर्मम हत्या की। विशेषतौर से सत्ता पक्ष की ओर से बराबर यह सवाल उठाया जा रहा है, लेकिन किन परिस्थितियों में प्रधान मन्त्री की हत्या हुई और देश की अखंडता और एकता को खतरा पैदा हुआ, उसकी चर्चा नहीं है राज्यपाल के अभिभाषण में।

जातिवाद का वह भयंकर दानव, जिसने स्वर्गीय प्रधान मन्त्री की हत्या करा दी और पुलिस के लोग, जो जातिवाद के सम्मुख, अपने कर्तव्य को भूल गये, हमारे प्रदेश में भी वही दानव मंडरा रहा है। सत्ता पक्ष में बैठे मन्त्री लोगों ने एक-एक जिले में जाति के नाम पर नौकरों की फौज पाल रखी है, जाति के गोल बने हुए हैं सूबे भर में और यह जातिवाद कहीं ब्राह्मण को उठाता है और कहीं ठाकुर को उठाता है। इनको मन्त्री लोग पाले हुए हैं। वोटों की वर्षा हुई, कहा जाता है कि 1 लाख 22 हजार वोट गिर गये हैं। वह मशीन बन हुए हैं जिनको इन्होंने पाल रखा है और पूरे सूबे भर में जिन्हें अपने स्वार्थों के लिये इस्तेमाल किया जा रहा है।

मेरे जिले में, बगल के जिले में, रवीन्द्र नाथ तिवारी जी के जिले में "बूथ कैपचरिंग" की बात जो कही गयी है कि ऐसा नहीं हुआ है, तो अनेकों लोग पीटे गये, दर्जनों बन्द कर दिये गये और सबसे भयंकर यदि किसी ने प्रचार किया है तो वह डिप्टी एस0 पी0 हैं, जिनको संरक्षण प्राप्त है, वह जिले में

जातिवाद का प्रचार कर रहे थे। जो स्थिति पैदा हुई कि आज भी चुनाव समाप्त होने के बाद भी विपक्ष के एक-एक आदमी से बदला लिया जा रहा है, पिटाई हो रही है और गांव जलाये जा रहे हैं। सत्ता पक्ष के लोग इत्मीनान से बैठे हुए यह समझ रहे हैं कि ये सब वे करवा रहे हैं और बूथ कैपचरिंग कर रहे हैं और यह भूल रहे हैं कि यही भावना थी, जिसने प्रधान मन्त्री की हत्या करवा दी और सतवंत सिंह और बेअंत सिंह को पैदा किया था। मैं यह बताना चाहता हूं कि यहां पर भी सत्ता पक्ष में सैकड़ों भिंडरांवाला बैठे हुए हैं।

(विपक्ष से सदस्यों द्वारा मेजों की थपथपाहट।)

मान्यवर, बहुत बात होती है यहां पर आचरण की। मान्यवर, मुझे इजाजत दीजिये कहने की कि इन सबों के अन्दर एक महिला बैठी हुई है जिन्होंने अपने पति को केवल लैन्ड एक्वीजीशन का पैसा लेने के लिए, उनको मुर्दा दिखा दिया।

हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)--

मान्यवर, मैं स्पष्टीकरण करना चाहती हूं।

श्री अकबर हुसैन बाबर--

मान्यवर, मैं किसी को इल्जाम नहीं दे रहा हूं।

श्रीमती स्वरूप कमारी बख्शी—

मान्यवर, मेरा इनके ऊपर चार्ज है कि ये महिला विरोधी हैं। मान्यवर, मेरे पति की जो भी जायदाद है, मैं उसकी तो मालकिन हूं ही। मेरा इनके ऊपर चार्ज है कि ये महिला विरोधी हैं। ये महिला के बारे में ऐसे अपशब्द बोल रहे हैं, इनको अपने शब्द वापस लेने चाहिये, मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि इसको कार्यवाही से निकलवा दें

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य कृपा करके अपना भाषण जारी रखें।

श्री स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, मैं इसका घोर विरोध करती हूं और इन पर चार्ज लगाती हूं कि ये अपने भाषण में अनर्गल शब्द बोल रहे हैं जो कि सत्य से परे हैं, यह इनको शोभा नहीं देती है कि ये महिलाओं के बारे में ऐसी बात करें।

श्री अध्यक्ष—

आप अपनी बात कहिये। इधर-उधर लांछन लगाने से कोई फायदा नहीं है।

श्री अकबर हुसैन बाबर—

राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में मुस्लिम वक्फ बोर्ड के बारे में कुछ भी नहीं कहा है जिसे कि 14 वर्षों से चरागाह बना रक्खा है। 14 नवम्बर को बना बोर्ड का ट्रस्ट और आज तक उसका नोटीफिकेशन नहीं हो पाया है ताकि सत्ता पक्ष के लोग वहां पर बने रहें।

मान्यवर, राज्यपाल के अभिभाषण में उन लाखों लोगों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है जो जानवरों की तरह अपना जीवन बसर कर रहे हैं। जो लोग मजदूरी करते हैं, जो लोग खेती करते हैं और लाखों टन अनाज पैदा करके देश के लोगों को खिलाते हैं। जब उनका बुढ़ापा आता है तो उनके बेटे और बहुएं भी उनको कोई नहीं पूछता है। उनकी पेन्शन की कोई व्यवस्था इस प्रदेश में नहीं है और न इसका जिक्र राज्यपाल के अभिभाषण में किया गया है।

बार-बार यहां कहा जा रहा है कि हमने हाई स्कूल तक लड़कियों की शिक्षा मुफ्त कर दी है। बंगाल का जिसका जिक्र यहां हुआ था, वहां पर 12वें दर्जा तक बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती

है । यहां पढ़े-लिखे हजारों बच्चे बेकार घूम रहे हैं जिनको उनके मां-बाप ने बड़े अरमानों से पढ़ाया था और आज वे बेरोजगार हैं । उनकी लड़कियां फूलन बन रही हैं और बेटे मानसिंह बन रहे हैं । उनके लिए बेरोजगारी भत्ते का प्रबन्ध नहीं किया गया है । हमारी सरकार न उन्हें रोजगार देने में सक्षम है और न भत्ता ही ।

मान्यवर, यहां बराबर हरिजनों का जिक्र किया जाता है । मैं इस सम्बन्ध में चन्द उदाहरण रखता हूं कि सन 1980 में पूरे प्रदेश के अन्दर हरिजनों के साथ अत्याचार हुए । केवल उत्तर प्रदेश में ही 4,279 घटनाएं घटित हुई हैं । अभी बंगाल का जिक्र किया गया था जबकि वहां बंगाल में मात्र इस प्रकार की 33 ही घटनाएं हुई थीं । मान्यवर, पूरे देश में 1981 में 14,300 हरिजन उत्पीड़न की घटनायें हुईं उसमें से केवल उत्तर प्रदेश में 3,865 घटनायें हरिजन उत्पीड़न की हुई और पश्चिम बंगाल में मात्र 23 घटनायें हुई । 1982 में मान्यवर, पूरे देश में हरिजन उत्पीड़न की 15,504 घटनायें हुई उसमें से उत्तर प्रदेश में अकेले 3,997 घटनायें हुई और पश्चिमी बंगाल में केवल 17 घटनायें हरिजन उत्पीड़न की हुई । यह सरकार हरिजनों की बड़ी लम्बी चौड़ी बातें करती है लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी सरकार की है जबकि अभी तक उनको संरक्षण नहीं दिया जा सका है ।

श्री अध्यक्ष—

आप दो मिनट और ले सकते हैं । (श्री अकबर हुसैन बाबर बैठ गये ।) अब मद संख्या 20 लेते हैं ।

## उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1985

ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मन्त्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1985 पर विचार किया जाय ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

कल भी यही क्राइटेरिया होगा ?

श्री अध्यक्ष—

आप लोगों ने ही यह तय किया है । माननीय मंत्री जी को बोलने दीजिये ।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मान्यवर, 7 अक्तूबर, 1977 को उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977 पास हुआ था जब आप लोगों की यहां पर सरकार थी तब जिला परिषदों को भंग किया गया था और उसमें प्राविधान किया गया था कि जिला परिषदों के अध्यक्षों के सारे अधिकार जिलाधिकारी में निहित होंगे । उसके अनुसार एक साल के अन्दर चुनाव होने थे लेकिन वह आज तक नहीं हो पाये और प्रति वर्ष एक-एक साल के लिए समय बढ़ता चला जा रहा है । यह संशोधन जो पेश किया गया है इसमें यह अवधि एक वर्ष के लिए यानी 31 मार्च, 1986 तक के लिए बढ़ाई जा रही है क्योंकि मौजूदा अधिनियम में जो प्राविधान हैं उसके अनुसार 31 मार्च, 1985 तक चुनाव होने हैं जो संभव नहीं है । हालांकि

जिला परिषदों के चुनाव कराने की प्रक्रिया 1983 में ही प्रारम्भ कर दी गई लेकिन कतिपय कारणों से चुनाव 31 मार्च तक कराना संभव नहीं हो पायेगा। उधर लोक सभा के चुनाव हुए फिर विधान सभा के चुनाव हुए और अब समय बहुत कम है, इसलिए मान्यवर, यह एक साधारण सा अधिनियम पेश किया गया है जिसमें एक वर्ष का और समय मांगा गया है। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि इस अधिनियम को सर्वसम्मति से पास करें।

*श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अलाक लिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1985 को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

इसको प्रवर समिति में भेजने के कारणों को बताने से पहले कुछ कहना चाहता हूं। अभी माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी ने कुछ बातें कही। माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी में बुद्धि का प्राबल्य है लेकिन वह धर्मशास्त्र के ज्ञाता हैं। मैं ज्ञाता तो नहीं हूं किन्तु पाठक जरूर हूं। मैंने जो पढ़ा है कि बुद्धि का प्राबल्य बड़ा खतरनाक होता है और उसका परिचय भी दे दिया। इस संदर्भ में अपने तर्क से इस बुद्धि प्राबल्य से ग्रसित सरकार को समझा पाऊंगा कि नहीं इससे शंकित होकर कह रहा हूं।

मान्यवर, इन्होंने प्रदेश की प्रगति का आंकड़ा आलू के उत्पादन का आंकड़ा देकर बता दिया। लेकिन आलू के उत्पादक काश्तकार के पारिश्रमिक का आंकड़ा बताते तो पता चलता कि क्या प्रगति हुई। इसलिए मैं आपके माध्यम से इनको बताना चाहता हूं और तर्क देना चाहता हूं प्रवर समिति को देने का किन्तु यह बुद्धि प्राबल्य के कारण समझ पायेंगे कि नहीं इसमें मुझे शंका है।

मान्यवर, प्रवर समिति में देने का प्रस्ताव मैंने रखा है उसका कारण क्या है। मैं सरकार की सहायता करना चाहता हूं और इन्होंने यह चुनाव जीता विधान सभा का और बहुमत में आये इसलिये सरकार में हैं यदि विरोध पक्ष बहुमत में आता तो उधर बैठता, इन्होंने चुनाव जीता, अपना घोषणा-पत्र प्रकाशित किया और जगह-जगह भाषण दिया था उसमें जनता को आश्वासन दिया था कि लोकसभा और विधान सभा के चुनाव के तत्काल बाद ग्रामीण तथा नगर क्षेत्रीय, स्थानीय निकायों में चुनाव करा देंगे। हमें उम्मीद थी कि यह कार्यकर्ताओं से बात करके आये हैं कि जिला परिषदों के चुनाव की तैयारी करें। लेकिन हम यहां देख रहे हैं और मंत्री जी सरल बता रहे हैं और एक साल की फिर अनुमति ली जा रही है। तो इस सरकार के प्रति यह आशंका जो मेरे मन में है उसकी पुष्टि होती है। सरकार जो जनतंत्रीय संस्थायें हैं उनका महत्व जानबूझकर घटा रही हैं।

मान्यवर 1977 का नाम लिया, हमने किया था, क्योंकि देश में जनादेश बदल था, लेकिन उसके बाद एक साल लेकर चले गये। चुनाव का मौका नहीं मिल। 1977 के बाद कितने साल बीत गये हैं, हर साल एक-एक साल लेते चले गये। चुनाव की वर्ष 1983 से प्रक्रिया प्रारम्भ हुई और ग्राम सभाओं, क्षेत्रीय समितियों, ब्लाक प्रमुखों और जिला परिषद् के सदस्यों का चुनाव हो गया है, अब केवल कोआप्शन और नामांकन बचता है। उस प्रक्रिया में जितने दिन लगते हैं उतने दिनों का संशोधन तो हमें स्वीकार है किन्तु उसके एक दिन भी अधिक की अनुमति देना मैं समझता हूं कि सदन अपनी दलीय कठोरता के कारण कहेगा लेकिन सभी सदस्य चाहते हैं कि चुनाव तत्काल हो जायं। चुनाव न होने से

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

नौकरशाही के हाथों में प्रशासन की व्यवस्था है जिससे नुकसान होत हैं। उसके कारण हैं कि जिन भावनाओं से शून्य होकर जो प्रशासन किया जा रहा है उसके सम्बन्ध में मैं केवल दो उदाहरण –एक स्थानीय और एक प्रदेश स्तर का दूंगा। स्थानीय उदाहरण, मैं चूंकि सीतापुर से चुनकर आता हूं तो वहां का दूंगा।

सीतापुर में बेलदार और मेट काम कर रहे हैं जिनको 9 रुपये दैनिक मजदूरी मिलती है। शासन और प्रशासक से बात किया तो मालूम हुआ कि सरकार की ओर से प्रत्येक जिले के लिये न्यूनतम मजदूरी जो घोषित हैं उससे 9 रुपया कम है। दैनिक मजदूर 20 सालों से काम कर रहे हैं लेकिन मेरे चर्चा के बावजूद परिणाम शून्य है। उनकी कोई बात सुनने वाला नहीं है और उनका शोषण हो रहा है।

दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं श्री संजय सिंह नहीं हैं। मुझे उनके इलाके के एक व्यक्ति का पत्र मिला है, वह पत्र मैं उनको दे दूंगा। उनकी बात सुनें आपके पड़ोस का जिला है। जिला परिषद में पंचायत विभाग द्वारा वर्ष 1971 से पेन्शन कर्मचारियों को नहीं मिल रही है जबकि नियम बना है कि 1971 से शिक्षा विभाग में पेन्शन दी जायेगा, लेकिन जिला परिषदों में कार्यरत शिक्षा कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिल रही है। इसके सम्बन्ध में मैं प्रश्न भी कर चुका हूं और जब एक साथ काम करने वाले लोग जिनको शिक्षा विभाग से अलग किया गया है, वेतन भी एक था, सब कुछ एक था, वह पेंशन पाते हैं और अन्य दूसरे नहीं पाते हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसे आज मात्र 181 आदमी जीवित हैं, शेष मर गये हैं। अगर यह लाभ दे दिया गया तो केवल 181 आदमियों को लाभ होगा यानी इन पर नाम मात्र का व्यय आएगा। लेकिन अनेक बार बात करने के बाद, अनेक बार लिखने के बावजूद इतने कम लोगों को पेंशन नहीं मिल पायी है। इसलिए अब संक्षेप में मैं अपनी बात कहूंगा, एक शासकीय संशोधन आ जाए, तब भी हमें संतोष होगा हमारे एक साथी ने संशोधन किया है, उसके बाद हम इसके लिए तीन महीने का समय देने के लिए तैयार हैं। मैंने इसीलिए प्रवर समिति में जाने का प्रस्ताव रखा है। जिला परिषदों को सही तरीके से चलाने के हम भी पक्षधर हैं, जो कि हमारी विकेन्द्रित शासन व्यवस्था में स्थानीय निकायों को अपने ताकत भर कार्य करने का मौका मिलना चाहिए। इसमें जिले के लोगों को सही रूप में कार्य करने का अवसर मिलता है।

मैंने केवल 30 दिन की बात कही है, इसमें कोई दल की बात नहीं है। तत्काल चुनाव कराने की आवश्यकता है। सब लोग दलगत भावना के ऊपर उठकर हम लोग दलगत भावना से ऊपर उठकर इस बात का फैसला करें कि कोई नियम कोई व्यवस्था इसमें बाधक नहीं होगी कि जो हमारी विकेन्द्रित शासन व्यवस्था का अंग है, उनके चुनाव होंगे और वह पूरी तरह से कार्य करेगी। मैं व्यवहारिक बात कहना चाहता हूं, आपने ऐलान किया था, उसमें प्रतिपक्ष के हाथों में बहुत ज्यादा जिला परिषदें जाने वाली नहीं हैं। जिला परिषद् के अध्यक्ष निर्वाचित होने चाहिए, जनप्रतिनिधि होने चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री हरिश्चन्द--

मान्यवर, यह विधेयक रखते समय इस बात पर बल दिया गया है कि 1977 के अधिनियम में एक साल के लिए समय लिया गया था, साथ ही साथ यह भी कहा गया कि जिला परिषद् का संगठन जब तक पूरा न हो जाए। मैं मान्यवर, इस पर बल देकर कहना चाहता हूं कि वह समय था जब ये ग्राम सभाओं के और न क्षेत्र समितिन के चुनाव हुए थे और न जिला परिषद सदस्यों के चुनाव हुए थे। उस समय

से इस समय की स्थिति बिलकुल भिन्न हो गई है और उन बातों को कहकर अब इससे नहीं निकला जा सकता है। इस समय जिला परिषद् को संगठित करने के लिए सारी कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है, संगठन करीब पूरा हो चुका है। यदि शासन का यह कहना है कि समय चाहिये तो आखिर उसे वास्तव में कितना समय चाहिए। ग्राम सभाओं के चुनाव हो गये हैं, क्षेत्र समितियों का गठन हो गया है, जिला परिषद् के सदस्य चुन लिए गये हैं। वह चुन तो लिए गये हैं, लेकिन वह अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं।

जिला परिषद् के अध्यक्षों का चुनाव न होने के कारण यह सब हो रहा है। और इस कार्य को पूरा करने में केवल 2/1 महीना लग सकता है। इसलिए केवल यदि समय चाहिए तो एक वर्ष का समय सर्वथा अनुचित है, दो महीने का मैक्सीमम समय पर्याप्त होगा। दो महीने का समय तो दिया जा सकता है, इस बीच जिला परिषद् के अध्यक्ष का चुनाव करके इसका कार्य पूरी तरह से शुरू किया जा सकता है। यह जिला परिषद् स्वायत्तशासी संस्था है और महात्मा गांधी के कथन तथा अशोक मेहता समिति तक में इस बात का उल्लेख है कि इसमें जनता को इस बात का अवसर दिया जाता है कि वह अपनी व्यवस्था अपने आप संगठित रूप से नियमों के अन्तर्गत करती रहेगी। इस जनता को अनेक वर्षों से उसके जनतान्त्रिक अधिकारों से वंचित करके रखे हुए हैं और एक वर्ष के लिए पुन उन अधिकारों का हनन किया जा रहा है।

माननीय, मेरा निवेदन है कि यह विधेयक वापस इस संशोधन के साथ लिया जाना चाहिये कि 2 महीने के अन्दर जिला परिषदों के अध्यक्ष का निर्वाचन करवा कर जिला परिषद् को संगठित किया जायगा जिससे स्वायत्तशासी संस्थाओं के जरिये जनहित के काम को जनप्रतिनिधि सम्पादित कर पायें। माननीय, उत्तर प्रदेश के जनहित में होगा कि इस विधेयक को इस रूप में स्वीकार न करके वापस लिया जाय और 2 महीने का संशोधन स्वीकार किया जाय।

श्री मित्रसेन—

माननीय अध्यक्ष जी, अभी राजेन्द्र गुप्त जी ने एक संशोधन रखा है उसी पर बल देने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। उसी के समर्थन में मुझे यह कहना है कि हमारी ग्राम सभायें, न्याय पंचायतें, जिला परिषदें, क्षेत्र समितियां इस लोकतन्त्र की रीढ़ हैं। ग्रामीण जनता की छोटी से छोटी समस्यायें जो हैं और जो हमारा जनतांत्रिक इकाइयां हैं इनके जरिये ही उनका दूर करने का अवसर मिलता है। विधान सभाओं में हमारी जनता की मूल भावनाओं और जो उनकी दैनिक समस्यायें हैं वह नहीं उठायी जा सकती हैं। जिला परिषद के गठन की, जिसकी प्रक्रिया पूरी हो गयी थी उसके चुनाव न कराना इस बात का द्योतक है कि या तो इनके दल के अन्दर कुछ कठिनाइयां हैं या जिला स्तर पर कांग्रेस व सत्तारूढ़ दल के अन्दर कुछ विवाद हैं या इनको इस बात की बराबर आदत बनी हुयी है कि हमारी जनतांत्रिक शक्तियां नौकरशाही के हाथों में सौंपे रहें।

श्रीमन्, हम लोगों ने विधान सभा में सवाल किया कि क्षेत्र समितियों और जिला परिषदों और स्थानीय निकायों के चुनाव कब तक हो जायेंगे तो हम लोगों को मालूम हुआ कि यह आश्वासन समिति में गया हुआ है। जिसके कारण न तो सवाल का जवाब मिलता है और न चुनाव होता है। हमारा निवेदन यह है कि जो सत्तापक्ष इतने बहुमत के साथ बैठा है उसको जिला परिषदों का चुनाव कराने में कौन सी दिक्कत है। कौन सी कठिनाई है जो चुनाव नहीं करा पा रहे हैं। अगर नहीं करा पा रहे हैं तो इसके पीछे, इस लुका-छिपी कोई न कोई जनतन्त्र के मूल्यों पर चोट करने की कोशिश की जा रही है। इसलिये प्रदेश की जनता की जो भावनाएं

हैं, उसकी जो आस्था कांग्रेस संस्था में, सत्तारूढ़ दल के प्रति थी वह धीरे-धीरे उठती चली जा रही है ।

इसलिये मैं इस संशोधन पर बल देते हुये आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमने इस बिल में देखा कि 31 मार्च का समय दिया हुआ है लेकिन जो हमारे सामने एजेंडा है उसके लास्ट में दिया हुआ है कि यह जून के पहले कराना सम्भव नहीं है तो 1 वर्ष का समय मांगा जा रहा है । हम लोग यह यह समय देने के लिये तैयार नहीं है । जैसे हमारे माननीय सदस्य गुप्ता जी ने कहा उससे मैं सहमत हूं कि 3 महीने का समय दिया जाना चाहिये और उसके बाद जिला परिषदों का गठन न करना, हमारी लोकतांत्रिक और जनतांत्रिक पद्धतियों पर हमला है और नौकरशाही के हाथों में सत्तारूढ़ दल का खेलना है । इन शब्दों के साथ मैं अपने संशोधन पर बल देते हुये चाहूंगा कि इन्हें एक साल की अनुमति न दी जाय ।

श्री रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, लोक सभा के चुनाव हो सकते हैं और विधान सभा के चुनाव हो सकते हैं लेकिन जिला परिषदों के चुनाव कराने में यह सरकार क्यों कतराती है । लगता है कि मान्यवर, जो मंत्री चुनाव कराने की घोषणा कर देते हैं कि चुनाव होंगे और अमूमन वह एक साल का समय मांगते हैं लेकिन एक साल में वह मंत्री चले जाते हैं और चुनाव नहीं हो पाते हैं । तो मैं चाहूंगा श्याम सूरत उपाध्याय जी से, वह इलाहाबाद के मन्त्री हैं, इस चुनाव को बजाय एक साल का समय लेने के क्योंकि एक वर्ष का समय बड़ा खतरनाक समय है, तीन महीने का समय मांग लें । मान्यवर, तमाम जिला परिषदों के चुनाव नहीं हो सके, लखनऊ में इतनी भीड़ लगी रहती है, उसका कारण यह है कि स्थानीय निकायों के हमारे चुनाव नहीं हो पा रहे हैं । मैं चाहूंगा कि बार-बार यह समय बढ़ाने से मंत्री पद को भी यह खतरा बढ़ा है, उस खतरे को टालें ।

आज जिला परिषद में एक-एक साल से वहां के कर्मचारियों को तनख्वाहें नहीं मिली हैं और इतनी खस्ता हालत में हो गयी हैं, बार-बार कलेक्टर को सुपुर्द कर दिया जाता है, जितने विकास के कार्य हैं, जो जिला परिषद के द्वारा सम्पादित होते हैं, वह नहीं हो पा रहे हैं । जनतंत्र की दुहाई देने वाले लोग आज के रवैये में परिवर्तन करने के बजाय एक साल का समय मांगने के तीन महीने का समय मांग लें और आज इस सदन में मन्त्री जी घोषणा कर दें कि तीन महीने के अन्दर चुनाव करा दिये जायंगे । मान्यवर, जब लोक सभा और विधान सभा के चुनाव की प्रक्रिया 1 महीने में पूरी हो सकती है, तो इसकी प्रक्रिया क्यों नहीं पूरी हो सकती है ? तो मेरा आग्रह है कि तीन महीने के अन्दर चुनाव होने चाहिये, एक साल के अन्दर नहीं ।

श्री राम गोविन्द चौधरी--

मान्यवर, यह जो विधेयक माननीय मंत्री जी ले आये हैं, यह विधेयक लोकतंत्र विरोधी एवं जनतंत्र विरोधी विधेयक है । इसको तत्काल वापस ले लेना चाहिए । श्रीमन, सत्ता पक्ष के लोग बार-बार इस बात की दुहाई देते हैं कि हम लोकतांत्रिक तरीके से और जनतांत्रिक तरीके से सरकार को चलाते हैं तथा प्रदेश में चमन-अमन की स्थिति लाना चाहते हैं । लोक सभा और विधान सभा के चुनाव में ही अखबारों और रेडियो प्रसारण में भी इस बात को कहा गया था कि अब तत्काल जिला परिषद एवं स्थानीय निकायों का चुनाव करा दिया जायगा ।

श्रीमन्, जब चुनाव लोक सभा और विधान सभा के होने वाले थे तथा जब चुनाव चल रहे थे और जब कांग्रेस पार्टी के लोगों ने अपने दल के अधिकांश लोगों का टिकट काट दिया था और जब

इनको इस बात का अन्देशा हो गया कि यही लोग हमारे दल का विरोध करेंगे तो इस बात को बचाने के लिए चुनाव के बीच में ही बार-बार इस बात को प्रचारित किया गया, रेडियो पर और अखबारों में तथा व्यक्तिगत लोगों से भी कहा गया कि तत्काल विधान सभा के चुनाव के बाद हम जिला परिषद का चुनाव और स्थानीय निकायों का चुनाव करायेंगे, इसलिए कि इनके ही दल के जो असंतुष्ट लोग थे, उन्हें जिला परिषद के चेयरमैन बनाने को लालच दी गयी थी, क्योंकि इनके ही दल के लोग इनका विरोध चुनाव में न करें। जब चुनाव बीत गया और इनकी सरकार बन गयी तो फिर एक साल के लिए चुनाव टालना चाहते हैं।

श्रीमन, चुनाव के बाद एवं माननीय मुख्य मन्त्री बनने के बाद मुख्य मन्त्री अपने निर्वाचन क्षेत्र में गये और वहां पर एक जन सभा में भी उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम तत्काल जिला परिषदों थानीय निकायों का चुनाव करा देंगे। श्रीमन, उसी मुख्य मंत्री के नेतृत्व में मंत्री जो काम करते हैं और ये बिल ले आये हैं कि इसी विधान सभा में एक साल का समय दे दिया जाय। श्रीमन, जिस प्रदेश के मुख्य मंत्री और जिस प्रदेश में सदन के नेता का काम एवं वक्तव्य गैर जिम्मेदाराना हो उसी का मंत्री उसके निदेशों का पालन न करता हो, वह एक साल का समय मांगता हो यह बात प्रदेश की जनता के मन में क्या स्थिति उत्पन्न करेगी? इसलिए इस बात को बचाने के लिए माननीय मंत्री जी को इस बिल को वापस ले लेना चाहिए। श्रीमन, सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं कि जनता पार्टी के शासन काल में जिला परिषद को भंग कर दिया गया था। ठीक है जिला परिषद को जनता पार्टी के शासन काल में भंग कर दिया गया था इसलिए कि सत्ता पक्ष में बैठने वाले लोगों को एकदम से उखाड़ कर फेंक दिया था। इनको भंग तो कर दिया था लेकिन जनप्रतिनिधियों की एक समिति बना दी गयी थी और जनप्रतिनिधियों के हाथों में उसको सौंप दिया गया था। लेकिन अब कलेक्टर के हाथों में यह काम सौंप दिया गया है, जबकि कलेक्टर के जिम्मे पहले से ही इतना काम है कि वह इस काम को नहीं कर सकता है। वह केवल जिला परिषदों के वाहनों का दुरुपयोग करने के लिए काम करता है। आज आप निरीक्षण करा लीजिए किसी भी एजेंसी से। मैं चुनौती देकर कहना चाहता हूं कि सत्ता पक्ष के लोग किसी भी एजेंसी से जो भी काम हो रहा है, उसका निरीक्षण करा लें। वह पैसा खाने के लिए कलेक्टर और जिला परिषद के जो अधिकारी हैं उनको जो सड़क, भवन, पुल आदि बनाने के लिए दिये गये हैं उनको वह बेकार स्थिति में बनाते हैं। सारा पैसा लूट कर तिजोरी में रख लेते हैं। सारे विकास का पैसा जनहित में खर्च न हो कर उनकी थैलियों में जा रहा है। जनता के हित की जनता के विकास की बात आप करते हैं, जो जनता के हित के लिए धन दिया जाता है उसको प्रशासनिक अधिकारी भ्रष्टाचारी तरीके से अपनी थैली में भर रहे हैं। जनता का शोषण हो रहा है। आप एक साल का समय मांग रहे हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप प्रदेश का त्वरित विकास चाहते हैं, तो जिला परिषदों के चुनाव कराइये। जिला परिषद प्रदेश के विकास का एक अहम भाग होते हैं। मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं जो माननीय रेवतीरमण सिंह जी ने भी कहा एक कारण है चुनाव न कराने का। मान्यवर, 1977 से हम देख रहे हैं जो मन्त्री जिला परिषद के चुनाव की घोषणा करते हैं कि तत्काल चुनाव कराया जायगा उनको मंत्रिमंडल से हटा दिया जाता है। चुनाव न कराना जनता के हित में नहीं है। चुनाव न कराना जनता के हितों की उपेक्षा करना है। मान्यवर, एम0 एल0 ए0 का चुनाव हो गया, एम0 पी0 का चुनाव हो गया। दो महीने का

समय बीच में रहा है उसमें जिला परिषद का चुनाव हो सकता था आपमें अगर हिम्मत है और जनता का हित चाहते हैं तो आप चुनाव कराइये। इन्हीं शब्दों के साथ जो माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने संशोधन का प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

माननीय उपसभापति महोदय, इस विधेयक पर जो माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने संशोधन का प्रस्ताव रखा है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय उपसभापति महोदय, आज यहां दो रूप देखने को मिलते हैं। जिला परिषदों के माध्यम से हमारे जिलों का काफी विकास होता है। जिलों के विकास में काफी हाथ जिला परिषदों का होता है और उन्हीं के माध्यम से निर्माण कार्य भी होते हैं। माननीय उपसभापति महोदय, कल्याणकारी कार्य जनप्रतिनिधि की देख-रेख में रहेंगे वह जितने ही सुचारु रूप से होंगे प्रशासनिक अधिकारी के माध्यम से कोई कार्य सुचारुरूप से नहीं हो सकता है।

माननीय उपसभापति महोदय, यह जिला परिषद के चुनाव का समय एक-एक वर्ष करके निरंतर बढ़ाते जाते हैं। माननीय उपसभापति महोदय, हमने पिछली बार भी कहा था कि जन-प्रतिनिधियों की एक समिति बना दी जाय। जो भी कल्याणकारी कार्य होते हैं उन पर नियंत्रण जन प्रतिनिधि का होना चाहिए। मैं कर्नाटक गया था वहां पर स्वर्गीय डा० मनोहर लोहिया के शिष्य एक नजीर साहब हैं जिन्होंने जिला परिषद का ऐक्ट पास करा दिया और उसमें रेवेन्यू से लेकर कलेक्टर और पुलिस तक के सारे अधिकार जिला परिषद में निहित कर दिया। आप बार-बार जिला परिषदों को प्रशासनिक अधिकारियों के हाथों में सौंप रहे हैं श्यामसूरत जो आप तरह ओजस्वी व्यक्ति हैं प्रोफेसर साहब की तरह से आप तो अड़ जाइए के तीन महीने में हम जिला परिषदों एवं स्थानीय निकायों का चुनाव करा देंगे। माननीय उपसभापति महोदय, चुनाव इसलिए जरूरी है कि जब तक जन-प्रतिनिधि जिला परिषद में नहीं बैठेंगे हमारी जो जनकल्याणकारी योजनायें हैं उनका पूरा होना सम्भव नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं गुप्ता जी के संशोधन का समर्थन कहता हूं।

*प्रमोद कुमार--

दो बातें इस विधेयक के विरोध में कही जा रही हैं। एक तो यह कि जो मंत्री घोषणा करता है वह चला जाता है। जो मंत्री घोषणा करता है वह जाता है कि नहीं यह तो मैं नहीं जानता हूं। लेकिन जो जनता द्वारा चुनी हुई संस्थाओं को भंग करता है वह जरूर चला जाता है, यह मैं जानता हूं।

माननीय उपसभापति महोदय, इन्होंने सन 1977 में चुनी हुई जिला परिषदों को भंग किया। लोकतंत्र को अजीब विडंबना है पाप यह करें और भरे हम। जो चुनी हुई जिला परिषदें थीं उनको इन्होंने भंग किया। हम तो इनके पाप को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधान के चुनाव हो चुके हैं, प्रमुखों के चुनाव हो चुके हैं हम तो चुनाव में इनको इसलिए समय देना चाहते हैं कि इनको हार्टअटैक न हो जाय। लोक सभा में यह धराशायी हो चुके हैं, विधान सभा में किसी तरह से इनकी सांस चल रही है, जिला परिषद में भी अगर यही हाल हुआ इसकी पुनरावृत्ति हुई तो यह लोग ढूढ़ने से भी नहीं मिल सकेंगे। हम तो इसलिए दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं।

(व्यवधान)

जो समय मांगा गया है वह उचित है जल्दबाजी करने की बात नहीं है जो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक वर्ष का समय मांगा गया है उसमें यह नहीं लिखा है कि एक वर्ष में चुनाव करायेंगे। जैसे ही स्थिति सामान्य होगी तुरन्त चुनाव करा दिये जायेंगे और जो गलती और जो पाप इन्होंने किया है उसको दूर करके, निर्वाचित स्थान पर पहुंचा कर सामान्य प्रक्रिया सम्पन्न करेंगे।

श्री कौशिक रमाशंकर--

मान्यवर, 10 अगस्त, 1977 का हवाला दिया जा रहा है। 10 अगस्त, 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार थी तो जिला परिषदों को भंग किया गया और यह कहा गया कि जिला परिषदों के चुनाव कराये जायेंगे। उस समय जो परिस्थितियां थी वह बिल्कुल भिन्न परिस्थितियां थी। पूरे भारत वर्ष में जो जनता का आदेश था, उसके पूर्व जो सत्ता पक्ष में दल था, उसके विपरीत जनादेश था। हम चाहते थे कि जिला परिषदों को भंग करके चुनाव करायें और संसदीय परम्पराओं और जनतांत्रिक मूल्यों को बढ़ायें। सब लोग जानते हैं और उधर बैठने वाले प्रोफेसर साहब भी बैठे हुये हैं, अगर उनको बोलने की छूट होती उनका मत है कि जब तक चौखम्भा राज्य स्थापित नहीं होगा जनतांत्रिक मूल्य और परम्परायें आगे नहीं बढ़ सकेंगी। प्रोफेसर साहब की निश्चित रूप से यह राय होगी। लेकिन वह स्वतंत्र नहीं हैं बोलने के लिये।

खाद्य तथा रसद मन्त्री (श्री वासुदेव सिंह)--

मैं स्वतंत्र हूं। मुझ पर कोई बन्धन नहीं है। जो मेरा विचार है वह है लेकिन शासन का दृष्टिकोण अपनी जगह सही है।

श्री कौशिक रमाशंकर--

जब तक चौखम्भा राज्य नहीं होगा, समस्या का निराकरण नहीं होगा और जनतांत्रिक मूल्यों की रक्षा हम नहीं कर सकते हैं। यह कांग्रेस पार्टी के लिये शर्म की बात है कि दो वर्ष हो गये जिला परिषद् के सदस्य चुने गये, दो वर्ष से चुने हुये सदस्य अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। ऐसी मिसाल इतिहास में कहीं नहीं मिलेगी। विधान सभा का सदस्य चुना जाय, लोक सभा का सदस्य चुना जाय या और किसी संस्था का चुनाव हो जाय और चुना हुआ प्रतिनिधि दो वर्ष तक बैठा रहे और वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन न करें। इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है?

मान्यवर, जैसा रेवतीरमण सिंह ने कहा लोक सभा के चुनाव समय से पहले हो गये, विधान सभा के चुनाव समय से पहले हो गये, जिला परिषद् के चुनाव में ऐसी कौन सी अड़चन है कि एक वर्ष का समय मांग रहे हैं? एक वर्ष के समय की क्या आवश्यकता है? इससे ऐसा लगता है कि इनकी नीयत साफ नहीं है। मन की बात को छुपाना चाहते हैं। सिर्फ कहते ही हैं। मंत्री जी को साफ कहना चाहिये कि इनकी नीयत साफ है या नहीं, वरना कोई कारण नहीं है। दो माह के अन्दर-अन्दर इन चुनावों को कराया जाना चाहिए। इन शब्दों के साथ मान्यवर, यह जो संशोधन आया है सरकार के संशोधन अधिनियम के ऊपर, उस संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब समय बढ़ाने के लिए सरकार पुनः संशोधन ले आयी है। श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने अपना भाषण करते समय ही बड़े अच्छे लहजे में कहा कि 77 में जिला परिषद को हमने भंग कर दिया था। यह सही है लेकिन हमने एक-एक साल का समय कभी नहीं बढ़ाया। अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट आनी थी और यह निश्चय था कि अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद

उसमें जो सुझाव दिये गये थे उसके अनुरूप संशोधन कर तुरन्त चुनाव कराये जाते ।

माननीय, अशोक मेहता कमेटी रिपोर्ट आ गई है 1980 में आप लोग पीठासीन हो गये न तो आप लोगों ने संशोधित किया और न ही अभी चुनाव करा रहे हैं । अभी हमारे प्रमोद तिवारी साहब ने कहा है कि लोक सभा के चुनाव और विधान सभा के चुनाव को देखते हुए हम लोगों पर रहम कर जिला परिषद् का चुनाव नहीं कराने जा रहे हैं । माननीय, लोक सभा के चुनाव नतीजे को देखने के बाद विधान सभा के चुनाव जब चल रहे थे तो माननीय मुख्य मन्त्री जी घोषणा कर रहे थे कि इसके तुरन्त बाद जिला परिषद् के चुनाव करा दिये जायं ।

(मेजों की थपथपाहट)

निश्चित रूप से विधान सभा के नतीजे को देखने के बाद इनके पैर के नीचे से जमीन खिसक गई और इनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि यह जिला परिषद् के चुनाव करायें । इसलिए यह एक साल का समय फिर बढ़ा रहे हैं । जो संशोधन आया है और उसमें जो संशोधन माननीय राजेन्द्र कुमार जी ने दिया है, मैं उसका समर्थन करता हूं ।

श्री राज किशोर--

माननीय, यह जिला परिषद् अल्पकालिक संशोधन विधेयक के बारे में जो चर्चा चल रही है और सत्तापक्ष से यह दलीलें दी जा रही हैं कि चुनाव जनता पार्टी ने सन् 1977 में भंग कर दिया है तो हम जो लोग इसको आगे बढ़ाने के लिए समय मांग रहे हैं वह न्यासंगत है । अगर किसी ने अपनी आंख फोड़ ली तो इसका मतलब हम भी अपनी आंख फोड़ लें । आप कहते हैं कि हम जनतंत्र की जड़ों को मजबूत करते हैं और आप चुनाव भाषण में गला फाड़-फाड़ कर कहते थे कि नगरपालिका का, नगर निकायों का, जिला परिषदों का चुनाव शीघ्र करायेंगे वह नहीं कर रहे हैं । आपने झटपट चुनाव का एलान कर दिया समय के पहले ही लोकसभा और समय के पहले ही झटपट आप एलान कर दिया कि विधान सभा के चुनाव होंगे । जबकि जल्दी ही एक अनहोनी घटना हो गयी थी । इन चुनावों से आपको पता चल गया कि यह महंगा पड़ रहा है और अब पता चल रहा है कि जिला परिषदों के चुनाव और महंगा पड़ जायेंगे इसलिए आप जनतंत्र की जड़ें काटने के लिए आरूढ़ हो गये हैं । तकाजा यह है कि सत्तापक्ष के लोग सोच-समझकर बातें करें और जब आपने एक चुनाव कराया तो नैतिकता यह कहती है और यह तकाजा है कि आप फौरन चुनाव का ऐलान करायें कि हम परिषदों का चुनाव करायेंगे और कवाल टाउन के जो चुनाव पड़े हुए हैं, वह भी चुनाव करायेंगे । आपके पक्ष में तो सब हवा है ही, आप क्यों भाग रहे हैं । क्या देश में गड़बड़ होने वाली है । कौन सी ऐसी चीज हो गयी है, कौन सी ऐसी घटना हो गयी है कि आप घबड़ाते हैं ।

जनतंत्र की हिफाजत आप करना चाहते हैं, हम भी करना चाहते हैं । लेकिन इस सरकार की दो जीभ है, एक कहती है यह काम करेंगे, दूसरी कहती है नहीं होगा । जब तक ये दो जीभें रहेंगी, काम बनने वाला नहीं है । आप सत्ता पक्ष के लोग हैं, बार-बार जनतंत्र की दुहाई देते हैं, चुनाव करने के लिये कटिबद्ध हैं, तो मेहरबानी करके तत्काल चुनाव कराने की व्यवस्था करावें । समय आपके माकूल है । तीन महीने का जो माननीय सदस्य ने समय दिया है, वही काफी है । आप तो सार्वभौम सत्ता हथियाए बैठे हैं । चोर, बेइमान आपके पास, गुण्डे आपके पास बूथ कैप्चरिंग वाले आपके पास, बदमाश आपके पास, लठैत आपके पास, डाकू आपके पास, सब कुछ तो आपके पास, है, तो आइये मैदान में, फैसला हो

जाय । कुरुक्षेत्र में उतर जाइये, फैसला हो जाय, वहीं न्याय हो जायगा । इसलिये आपको 3 माह से ज्यादा समय न लेना चाहिये ।

*श्री सूर्य प्रताप शाही--

मान्यवर, अभी थोड़ी देर पहले माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने, जो बड़े प्रशासनिक अनुभवी हैं, उन्होंने सन् 77 के जनादेश से अपनी तुलना की । मान्यवर, लोकतांत्रिक परम्पराओं पर चलने की बात है । जब जनतांत्रिक परम्पराओं की स्थापना की बात खड़ी होती है तो मान्यवर, यह बात समझ में नहीं आती कि सत्ता पक्ष के लोग भागने क्यों लगते हैं । सात साल के इस अंतराल के बीच दो बार लोक सभा के चुनाव हुए, विधान सभा के चुनाव हुए और अब विधान सभा के चुनाव के बाद जिला परिषदों के रूप में सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्था के चुनाव की बात हो रही है तो सत्ता पक्ष भाग रहा है । वह बात समझ में नहीं आती । पिछले 7 वर्षों के काल में आपके प्रशासनिक अधिकारी, जिला परिषद् की जिन सिद्धान्तों और मूल्यों के लिये स्थापना की गयी थी, उन सारे मूल्यों का हनन कर रहे हैं । जिला परिषद् के कर्मचारी उनके घरों पर काम कर रहे हैं । मुझे पता है कि मेरे यहां के जिला परिषद् के एक भूतपूर्व कलेक्टर का बनारस में बंगला तैयार हो गया । जिला परिषद् के इंजीनियर बनवाने गये थे । इस तरह से जनता के फन्ड का दुरुपयोग नौकरशाही कर रही है ।

इसलिये मेरा निवेदन है कि जिला परिषदों के लिये चूंकि सारी शुरू की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, इसलिये 31 मार्च से पहले चुनाव करा दें तो ठीक रहेगा । वैसे माननीय गौरी शंकर भैया ने जो संशोधन दिया है तीन महीने के लिये, वह समय काफी है, उसमें तो आप आसानी से चुनाव करा ही सकते हैं । आप सक्षम हैं, लेकिन शायद आप डरते हैं कि अब बूथ कैप्चरिंग नहीं हो पाएगी । आप श्री गौरी शंकर भैया का तीन महीने का प्रस्ताव स्वीकार करके, एक साल का समय न ले करके तीन महीने में चुनाव करा दें ।

*श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी--

माननीय अध्यक्ष जी, यह जो एक साल तक चुनाव न कराने की बात जो यह मांग रहे हैं, मैं इसकी मुखालिफत करता हूं । पांच साल से ये बराबर एक-एक साल का वादा कर रहे हैं और धीरे-धीरे पांच साल हो गया ।

कौन सा दिन आयेगा जब ये चुनाव करायेंगे ।

मुझे एक शेर याद आ गया--

तेरे वादे पर कोई कहां तक जिये,
अब कर कोई ऐसा बहाना, जब मेरी आस टूट जाय ।

इससे ज्यादा जम्हूरियत का गला घोंटने वाली और कौन सी बात हो सकती है कि पार्लियामेन्ट और असेम्बली के चुनाव वक्त से पहले कराये गये श्रीमती इंदिरा गांधी हमेशा चुनाव का वक्त बढ़ा दिया करती थीं । वे आज नहीं रही । इनके पास आज अगर उनकी अर्थी रखी रहती तो ये चुनाव करा लेते । तीन दिन के अन्दर उनका अंतिम संस्कार करना था और उसके तुरन्त बाद पार्लियामेन्ट का चुनाव करा दिया । तुरन्त घोषणा कर दी । क्या यह जम्हूरियत का गला घोंटना नहीं है ?

विधान सभाओं के चुनाव भी समय से पहले करा दिये और आज पौने दो सौ से अधिक विरोध पक्ष के लोग यहां आ गये । इसीलिये इनको हिम्मत नहीं हो रही है, इनको डर लग रहा है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अफसरशाही और स्वच्छ प्रशासन देने वाली यह सरकार हमें यह बताये कि प्रदेश के अन्दर कौन सी जिला परिषद् आज ठीक तरह से काम कर रही हैं। जम्हूरियत को जिन्दा रखने के लिये 3 महीने बहुत दिन हुए, एक महीने के अन्दर चुनाव समाप्त हो सकते हैं। इसलिये इस समय को न बढ़ाया जाय और माननीय राजेन्द्र गुप्त जी ने जो संशोधन पेश किया है उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

माननीय अध्यक्ष जी, मेरे इस संशोधन के प्रस्ताव पर जिन माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये, मैं उनका आभारी हूं। मैं यह समझ रहा हूं कि इधर या उधर दोनों ही तरफ से माननीय सदस्य एक मत हैं कि इस पर एक साल का समय नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि मौन भी स्वीकृति का लक्षण होता है। इसी युक्ति के अनुसार उधर से एक माननीय सदस्य तिवारी जी को छोड़कर किसी ने इसका विरोध नहीं किया इसलिये मैं समझता हूं कि सबने मेरे प्रस्ताव का समर्थन किया है। माननीय तिवारी जी ने जो बात कही हैं, वह भी उन्होंने तर्क के लिये तर्क प्रस्तुत किया है लेकिन उनके अन्तःस्थल में यही माने हैं कि तत्काल चुनाव होने चाहिए। मैं उनके स्वभाव को जानता हूं। अतः ज्यादा समय न लेकर मैं अपने प्रस्ताव पर पुनः बल देता हूं और सम्मानित सदन से आग्रह करता हूं कि वह एकमत होकर प्रवर समिति में भेजने के मेरे प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित करें।

[समय 5 बजकर 14 मिनट]

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

मान्यवर, हमारे विरोध पक्ष के माननीय सदस्य जो जनतन्त्र की दुहाई दे रहे हैं, उन्होंने कहा कि जिला परिषदों के चुनाव देर से हो रहे हैं। इस माननीय सदन को स्मरण है कि 10 अगस्त, 1977 को विरोध पक्ष के लोग जब इधर बैठे थे तो उस समय उन्होंने चुनी हुई जिला परिषदों को एक क्षण में भंग कर दिया। कौशिक जो कहते हैं कि दो वर्ष तक इसमें परिवर्तन करते रहे।

1977 में दो वर्षों तक आमूल परिवर्तन लाते-लाते इनकी सरकार स्वयं चली गई। हम एक वर्ष का समय मांग रहे हैं अगर माननीय सदस्य मूल अधिनियम को पढ़े होते तो उसके खन्ड-2 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि--दिनांक 10 अगस्त, 1977 से, उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 (जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है) के उपबन्ध, 31 मार्च, 1985 (जो 1986 हो जायेगा) अथवा जब तक कि उक्त अधिनियम की धारा 22 के अधीन जिला परिषदों का पुनः संघटन न हो जाय, इसमें जो भी पहले हो, तक के लिये प्रत्येक जिला परिषद् के सम्बन्ध में निम्नलिखित उपबन्धों के अधीन रहते हुये प्रभावी होंगे।

तो मान्यवर, इसमें खन्ड-2 में साफ तौर से एक वर्ष 31 मार्च, 1986 या उसके पहले जब भी चुनाव हो जायेंगे, इस अधिनियम के प्राविधान प्रभावहीन हो जायेंगे। एक वर्ष कोई बार नहीं है अगर जल्दी चुनाव हो गये तो यह जो अधिनियम है, इसके जो प्राविधान हैं, वह प्रभावहीन हो जायेंगे। एक वर्ष का जो संशोधन पेश किया गया है जो समय मांगा गया है, इसका तात्पर्य यह नहीं है कि एक वर्ष तक चुनाव नहीं होंगे। माननीय अध्यक्ष जी, आपको स्मरण होगा कि अभी कल ही माननीय मुख्य मन्त्री जी ने घोषणा की है कि जिला परिषदों के चुनाव यथाशीघ्र कराये जायेंगे। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने घोषणा नहीं की कि चुनाव नहीं कराये जायेंगे।

आज माननीय सदस्यों को आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं

कि एक वर्ष का समय मांगा गया है, लेकिन जिला परिषदों के चुनाव बहुत शीघ्र कराये जायेंगे जल्दी से जल्दी करायेंगे, मान्यवर, इसमें माननीय सदस्यों को किसी प्रकार की शंका नहीं होनी चाहिये । इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि वे इसे सर्वसम्मति से पास करें । माननीय राजेन्द्र गुप्त जी से निवेदन करूंगा, माननीय गुप्त जी आप तो नियमों के काफी जानकार हैं, नियम में प्राविधान है । यहां एक वर्ष का समय मांगा गया है लेकिन यदि उसके पहले चुनाव हो जाते हैं तो अधिनियम के प्राविधान एक वर्ष का प्रभावहीन हो जायेंगे । इसलिए निवेदन करूंगा कि अपने संशोधन को वापस ले लें ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय गुप्त जी, क्या आप अपने प्रस्ताव को वापस ले रहे हैं ।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, 10 अगस्त, 1977 को मैं भी इस आदरणीय सदन का सदस्य था । और तब से आज तक हूं । कई बार उधर से यथाशीघ्र शब्द मेरे कान में पड़ चुका है, लेकिन उसका कोई परिणाम दिखायी नहीं दिया । अब मैं "यथाशीघ्र" पर विश्वास करने को तैयार नहीं हूं । इसलिए अपने प्रस्ताव को वापस नहीं लेता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1985 को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1985 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 2

2--उत्तर प्रदेश जिला परिषद (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977 की धारा 2 में, उपधारा (1) में, शब्द और अंक "31 मार्च, 1985" के स्थान पर शब्द और अंक "31 मार्च, 1986" रख दिये जायेंगे । उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 1977 की धारा 2 का संशोधन

*श्री गौरीशंकर भइया--

माननीय अध्यक्ष जी आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1985 के खण्ड 2 में मैं निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत करता हूं :

"खण्ड 2 की पंक्ति दो और तीन में शब्द और अंक "31 मार्च, 1986" के स्थान पर शब्द और अंक "1 जून, 1985" रख दिया जाय ।

मान्यवर, मैं भी कल इस पर बोला था और माननीय मुख्य मंत्री जी भी आपके सामने बोले थे । उन्होंने कहा था कि यह अल्पकालिक व्यवस्था है और अल्पकालिक का मतलब है अल्पकाल। दूसरा शब्द उनकी तरफ से आया यथाशीघ्र । इन्होंने उस शब्द का विकास करके अब शब्द बहुत शीघ्र कह दिया है । मान्यवर, तीन बार इस तरह का विधेयक सदन में आ चुका है । मान्यवर, एक बार जब यह सदन में आया था, सदन स्थगित हो गया था । विरोधी पक्ष के सदस्यों ने इस मामले को उठाया था । काफी इस पर हंगामा हुआ था, डेढ़ घंटे तक हंगामा होने के बाद, विधान सभा स्थगित होने के बाद, नेता विरोधी दल और नेता सदन के बीच-बचाव कर लेने के कारण इसे दुबारा सदन में आने के लिए इजाजत दी थी । मैं पंडित जी की बहुत इज्जत करता हूं । उन्होंने कहा कि जनता शासन की जब हुकूमत चली तो उसने इनको खत्म कर दिया । मैं उस समय भी इस आदरणीय सदन का सदस्य था और आज भी हूं । एक गलती हमने की उसे आपने देख लिया लेकिन एक अच्छा काम हमने कर्नाटक में किया, उसे आप देख नहीं सकते । मैं इनसे कहता हूं कि उसी प्रकार एक अच्छा काम आप भी इस प्रदेश में कर दीजिए । जिला परिषद् का अध्यक्ष आज कलेक्टर है जिसका काम केवल कंरेक्टर रोल लिखने का है । यदि जिला परिषद् के चुनाव करा दिये जाते हैं तो जिला परिषद् का अध्यक्ष कलेक्टर को चरित्र पंजिका लिखेगा, जिसमें वह शुद्ध व अशुद्ध दोनों लिखेंगे । एक तरह से जिला परिषद् का अध्यक्ष मिनी चीफ मिनिस्टर हो जायेगा । तब उस समय कलेक्टर अध्यक्ष की बात ज्यादा मानेगा बजाय मिनिस्टर के। इसीलिए यह सरकार जिला परिषदों के चुनाव न कराकर और उसके अध्यक्ष जिला कलेक्टर को बनाकर सारे अधिकार अपने हाथ में लिये हुए हैं । 1977 के बाद से आज तक स्थानीय निकायों व जिला परिषदों के चुनाव नहीं कराये गये हैं ।

मान्यवर, दूसरी बात जिला परिषदों के साधनों के दुरुपयोग की बात है । लगता है कि श्री हरदेव राम जी बैसाख में पैदा हुए । किस प्रकार कलेक्टर उनके जिले में अपनी बुल्हन व लड़की को लेकर ससुराल जाता है यहां तक कि ससुराल में जिला परिषद् की गाड़ी से उसकी सालियां व बीबी घूमती हैं । परन्तु श्री हरदेव राम जी को सावन ही नजर आता है ।

मान्यवर, जनता पार्टी के जमाने में जिला परिषदों की आय दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही थी, परन्तु जब से यह सरकार आई है उनकी आय घट गई है। बनारस कमिश्नरी की हमें पूरी जानकारी है वहां पर जिला परिषद घाटे में चल रही है । आय बढ़ाना ही लोकतंत्र की स्वस्थ्य ताकत है ।

मान्यवर, अशोक मेहता कमेटी बनी थी और यह गांधी जी की परिकल्पना भी थी कि जिला परिषदों के नीचे छोटी-छोटी इकाइयों "ग्राम सभायें" बनायी जायं, जिसके माध्यम से जिले में छोटे-छोटे विकास के कार्य किये जायं । मगर जनता को इस चीज से भी वंचित कर दिया इस सरकार ने । तीन शब्द सुनते-सुनते परेशान हो गया हूं, "बहुत शीघ्र", "यथाशीघ्र" और "अल्पकालिक"।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मेरा इस सम्बन्ध में कहना है कि इनको केवल 6 माह का समय दिया जाय और स्थानीय निकायों व जिला परिषदों के चुनाव इस दौरान करा दिये जायं । इस संशोधन में केवल 6 माह का अन्तर है । मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार इसे मानेगी ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी आप इसे स्वीकार करेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी नहीं । मेरे आश्वासन के बाद इस संशोधन की आवश्यकता नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1985 के खण्ड 2 की पंक्ति दो और तीन में शब्द और अंक "31 मार्च, 1986" के स्थान पर शब्द और अंक "जून, 1985" रख दिया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 इस विधेयक का अंग माना जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1985

उत्तर प्रदेश जिला परिषद (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के छत्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है--

संक्षिप्त नाम

1--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जिला परिषद (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1985 कहा जायेगा ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1985 पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1985 को पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अध्यादेश, 1985 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 1985

श्री राम गोविन्द चौधरी--

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा के निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूं--

"यह सदन उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अध्यादेश', 1985 का अननुमोदन करता है ।'

श्रीमन्, यह जो विधेयक माननीय मंत्री जी ले आये हैं सदन में, चार-पांच बिन्दुओं में परिवर्तन कर उसे पास कराना चाहते हैं । इस देश में लोक सेवकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, जो नौकरियों से हटा दिये जाते हैं, पदच्युत कर दिये जाते हैं या अन्य ऐसे प्रशासनिक कारणों से जो असुविधा होती थी, उन बातों को निपटाने के लिए लोक सेवा अधिकरण का गठन हुआ था । इसलिए वह स्वतंत्र बाडी होगी, निष्पक्ष काम करेगा और जो मुकदमें बहुत-बहुत दिनों तक निर्णीत नहीं हो पाते थे उन पर जल्दी निर्णय किया जायगा और लोक सेवकों के हितों की रक्षा की जायगी । लेकिन इसको स्वतंत्रता पर प्रश्नचिन्ह लग गया है । इसमें सरकार का हस्तक्षेप बराबर बना हुआ है जिसके कारण जो लोक सेवकों के हितों की रक्षा का काम इसे करना चाहिए वह न करके सरकार के हितों की रक्षा करने में यह अधिकरण लगा हुआ है ।

इसलिए मैं चाहता हूं कि जो कमियां आयी हैं, उनको दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि इसे वापस ले लिया जाय । उन्होंने दूसरी बात कही है कि ऐसे दावे से जिसमें सेवा से पदच्युत, हटाये जाने या पंक्तिच्युत किये जाने के किसी आदेश की विधिमान्यता अन्तर्ग्रस्त हो भिन्न दावे की सुनवाई और उसका निस्तारण अधिकरण के एक सदस्य द्वारा किया जायगा ।

श्रीमन्, आज तक व्यवस्था रही है कि कम से कम दो, अधिक से अधिक जितने भी हों, लोक सेवा अधिकरण में सुनवायी के समय रहने चाहिए । श्रीमन्, सरकार ने चालाकी किया कि अगर दो रहते हैं और दोनों हमारी बात से सहमत नहीं होते हैं और हो सकता है कि सरकार की मंशा के विपरीत लोक सेवकों के हितों की बात कर दें इसलिए उन्होंने दो के स्थान पर एक कर दिया कि एक आदमी भी सुनवाई कर सकता है । अगर एक आदमी सुनवाई करेगा तो उस पर सरकार का दबाव और बढ़ जायेगा । एक आदमी दावे की उपेक्षा कर सकता है । वादों का निपटारा करने में देरी कर सकता है इसलिए इनका यह संशोधन ठीक नहीं है, इसलिए इसको वापस लेना चाहिए ।

दूसरा इन्होंने यह किया कि दावा दाखिल करने का परिसीमा काल तीन वर्ष के बजाय एक वर्ष होगा । गरीब कर्मचारी जो शासन की गलत नीतियों के कारण प्रताड़ित हो रहा है, जो अपने परिवार का पालन पोषण करने के अधिकारों, से वंचित कर दिया जाता है । गरीब आदमी कभी-कभी पैसे के अभाव में भी इस लाभ से वंचित रह जाता है । बहुत सोचने-विचारने के बाद यह तीन वर्ष का वक्त दिया गया था कि किसी भी आदमी को अगर सरकार के निर्णय के खिलाफ उसको मुकदमा दायर करना हो तो उसको तीन वर्ष का समय दिया जायेगा और यह ढिंढोरा पीटते हैं कि हम गरीबों के उत्थान के लिए, मजदूरों के उत्थान के लिए, प्रदेश की जनता के हितों के लिए एकजुट हो कर काम करेंगे । यह संशोधन मजदूरों एवं कर्मचारियों के लिए घातक है इसलिए मैं आपके माध्यम से कहूंगा कि माननीय मंत्री जी में अगर थोड़ी भी लोक सेवकों के प्रति चिन्ता है, कर्मचारियों के प्रति चिन्ता है तो वे इस विधेयक को तत्काल वापस ले लें ।

तीसरी बात अधिकरण को, विवाद के किसी पक्षकार के पक्ष में अधिनिर्णीत धनराशि की वसूली के लिए या अनुमत किसी अनुतोष के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र जारी करने की शक्ति होगी । इसमें एक अच्छी बात इन्होंने किया है कि पहले कलेक्टर से उनको प्रमाण-पत्र लेना पड़ता था अब वह प्रमाण-पत्र वहीं से जारी हो जायेगा। लेकिन शेष तीन बातें जो बिल्कुल कर्मचारी हित के विरोधी हैं लोक सेवकों के प्रति इसलिये इनको इस विधेयक को वापस लेना चाहिए और लोक सेवकों के हितों की रक्षा के लिए जो बहुत सोच समझकर

बनाया गया था उस बात को यह बिगाड़ें नहीं ।

श्रीमन्, आज भी लोक सेवा अधिकरण में इतने अधिक मुकदमें लम्बित पड़े हुए हैं कि लोग त्राहि-त्राहि कर रहे हैं । आज भी एक-एक मुकदमे में 4-4, 5-5 और 10-10 तारीखें पड़ जाती हैं । तारीखें लगातार डाली जाती हैं, लोग पुनः दुबारा आते जाते रहते हैं और यह सिलसिला लगातार जारी है और आज भी काम सुनियोजित और निश्चित तरीके से नहीं हो पा रहा है इसलिए कि सरकर का हस्तक्षेप बिल्कुल हानिकारक है और स्वतंत्र बाडी के रूप में लोक सेवा अधिकरण काम नहीं करते हैं ।

चौथा यह है कि पक्षकारों को लिखित बहस भी प्रस्तुत करने का अवसर दिया जायगा । इसकी कौन सी गारन्टी है कि लिखित रूप में बयान दिया है कि नहीं । इसमें भी संशोधन करके रखना चाहिए था कि नोटरी से सर्टीफाइड करायेंगे तभी उसको पीठ के सामने रखेंगे । इसलिये इन तमाम बातों की कमियों को दूर करने के लिये यह आवश्यक है कि इसमें जितनी भी त्रुटियां हैं, गलतियां हैं, जितनी भी लोक सेवकों के हितों की रक्षा करने के बजाय उनको और मामलों में उलझाने की बात है, इन तमाम बातों पर विचार करने के लिये मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं मंत्री जी से कि इसको वापस ले लें और पुनः जनता में इसको परिचालित करवायें, कर्मचारियों में, अधिकारियों से और जनता से सुझाव मांगें कि कौन-कौन से ऐसे सुझाव हैं या तरीके हो सकते हैं जिसमें यह विधेयक अच्छा साबित हो सकता है । इसलिये मैं अपने अननुमोदन के प्रस्ताव पर बल देता हूं । इसको एक अच्छे विधेयक के रूप में लाने की आवश्यकता है, इसलिये तत्काल वापस करके लोगों की राय लेकर इसको अच्छे स्वरूप में ले आयें अन्यथा इसको वापस कर लें ।

*राजस्व राज्य मंत्री (श्री गौरी शंकर)--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 1985 पर विचार किया जाय ।

अभी माननीय सदस्य श्री राम गोविन्द चौधरी ने जिन बिन्दुओं पर और विशेष रूप से सदस्यगणों के बारे में ध्यान आकर्षित किया है, उन्होंने केवल एक ही पहलू जो निगेटिव है, उसी ओर ध्यान दिया है और विधेयक के संशोधन की जो मंशा है, उसको या तो समझे नहीं हैं या समझने का प्रयत्न नहीं किया है । यह राज्य के लोक सेवकों के सेवायोजन से सम्बन्धित जो विषय हैं, उनसे सम्बन्धित जो विवाद हैं, उससे सम्बन्धित है । लोक सेवा अधिकरणों की स्थापना के विषय में मैं आपको बता दूं--वर्ष 1977 में 2 अधिकरण थे, 78 में 3 कर दिये गये, 79 में 4 हो गये, 80 में 5 कर दिये गये । इस प्रकार, वर्ष 1980 से 5 अधिकरण कार्यरत हैं ।

यह सच है कि एक अधिकरण में 2 व्यक्ति होते हैं, एक अध्यक्ष और एक सदस्य । अध्यक्ष, सुपर टाइम स्केल का आई० ए० एस० और सदस्य, उच्च न्यायिक सेवा का सदस्य होता है । ऐसी स्थिति में दो व्यक्तियों से एक अधिकरण की स्थापना होती है । इन अधिकरणों में बहुत वर्षों तक जो मामले लम्बित रहते हैं, उनकी संख्या को कम करने के लिये और उचित निस्तारण के लिये जो संशोधन प्रस्तुत किया है, विशेषतौर से ध्यान देने योग्य हैं । कुछ बातें हैं, जिनको श्री राम गोविन्द चौधरी जी ने निगेटिव आसपेक्ट से प्रेस किया है, किन्तु मैं उन पर दूसरे प्रकार से बल देता हूं ।

यह मामले जो निस्तारण के लिये पड़े रहते हैं, इसमें पहले दोनों ही

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य हुआ करती थी, यदि किसी कारण से एक सदस्य का पद रिक्त रहता था तो मामले लम्बित रह जाते थे और काम लम्बित रह जाता था। हमने इसलिये कि एक सदस्य ही अधिकरण के कार्य को आगे बढ़ा सके, इसीलिये संशोधन प्रस्तुत किया है और इस व्यवस्था के साथ कि जो "मेजर पनिशमेन्ट्स" हैं जैसे "डिसमिसल", "रिमूवल" या "रिडक्शन इन रैंक", इनको छोड़कर अन्य मामलों में एक सदस्य को अधिकार दे दिया गया है कि एक सदस्य ही इनका निस्तारण कर सके और मामले को सुन सके। ऐसे अधिकरण जिसमें पहले से ही एक माननीय सदस्य हैं तो वह एक सदस्यीय अधिकरण भी इस तरह के "मेजर पनिशमेन्ट्स" को छोड़कर शेष सारे मामलों का निस्तारण कर सके इस आशय से संशोधन की व्यवस्था की है। इसके अतिरिक्त अधिकरण में 3 वर्ष का कार्यकाल रहता था। वादों के उपस्थित होने की तिथि से 3 वर्ष का समय रहता था। इसको हमने घटा कर तीन वर्ष के स्थान पर एक वर्ष कर दिया है। यह इसलिये किया गया है कि इसमें अनावश्यक रूप से संख्या में वृद्धि होती थी और इसमें एग्रीड पार्टी हो न्याय के लिये याचिका कर सकती है। मैं समझता हूं कि हमारे माननीय साथी इस पर विचार करके मेरी राय से सहमत होंगे।

इसमें वर्तमान व्यवस्था के अनुसार अधिकरण में केवल दावेदार के रूप में याचना करने का अधिकतर लोगों को प्राप्त था, जिला न्यायालय के द्वारा अब वर्तमान संशोधन से हम दोनों पक्षों को दावा करने का अधिकार दे रहे हैं।

वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत मौखिक बहस का ही प्राविधान था, अब हम इस संशोधन के द्वारा लिखित बहस की सुविधा देने जा रहे हैं। इसका निश्चित रूप से उन्हें स्वागत करना चाहिये था। वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत उच्च न्यायालय की न्यायालय सेवा के सदस्य ही हैं और जो लोक सेवा आयोग में कर्मचारी हैं उनको इससे बाहर रखा गया था। अब हमने इसमें लोक सेवा आयोग के कर्मचारियों को भी रखा है। इस तरह से इन चार-पांच संशोधनों के द्वारा ही, विशेष रूप से जनहित में इसको रखा गया है। मैं समझता हूं कि यह लोक सेवा के निमित्त बहुत ही क्रान्तिकारी कदम होगा। मेरा इस सम्बन्ध में निवेदन है माननीय सदस्यगणों से कि आप इसका स्वागत करें।

*श्री राजेन्द्र गुप्त—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 1985 को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करें।

मान्यवर, मैंने अभी माननीय मंत्री जी का भाषण सुना। मैं समझता हूं कि रोग का निदान बहुत ज्यादा गम्भीर बना दिया गया है। मेरी मान्यता है कि जो भारत का संविधान है उसने प्रत्येक नागरिक को अपने अधिकारों की पूरी-पूरी सुरक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। वर्तमान सत्ता पक्ष द्वारा नागरिकों के उनके अधिकारों में कटौती करने का प्रयास किया जा रहा है।

सन् 1975 में, जब सम्पूर्ण हिन्दुस्तान एक कैदखाना बना दिया गया था, जेल के दरवाजे खुले थे, न्याय के दरवाजे बन्द कर दिये गये थे उस समय आपने अधिकरण की स्थापना की थी। जहां-जहां न्यायालय में उनके मुकदमें थे उनका स्थानान्तरण इस अधिकरण में कर दिया गया था। मेरी जानकारी में है कि करीब-करीब साढ़े सात हजार मामले

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लम्बित थे जिनमें बहुत मामले 12 साल से भी पुराने हैं जो कि न्यायालय में चल रहे थे, वे यहां लौट कर आये हैं। आपने सोचा कि इनको कैसे कम किया जाय। जैसे एक बेरोजगारी समस्या है कि उसको कैसे कम किया जाय। उसके दो उपाय हैं कि या तो उनको काम से लगावा जाय या फिर उनका कत्ले आम कर दिया जाय। तो इस विधेयक को लाकर बेरोजगारों का कत्ले आम कर दिया गया है कि मुकदमों की संख्या अपने आप ही कम हो जायगी। रोग से तो मैं सहमत हूं लेकिन उसका निदान सही नहीं कराया गया।

शासन की नीति रही है ट्रान्सफर करने की। नीति बनी हुई है कि तीन साल में कर्मचारियों का स्थानान्तरण होगा लेकिन राजनीतिक हितों को दृष्टि में रखकर आप स्थानान्तरणों का खुला दुरुपयोग करते हैं और जब कर्मचारी त्रसित होता है तो वह अधिकरण से स्टे ले सकता है। माननीय मन्त्री जी जब इधर बैठते थे तो सही बात बोलते थे। आपको मालूम होगा जब पिछली मई और जून में बड़े पैमाने पर ट्रान्सफर किये गये और लोग अधिकरण के पास पहुंचे और वहां से धड़ाधड़ स्टे मिला। इससे सरकार बौखला गयी कि हम ट्रान्सफर करें और वे स्टे ले आयें। माननीय मन्त्री जी चौकन्ने हुए और कैबिनेट मीटिंग हुई। उसमें इस बात को गम्भीरता से लिया गया।

14 जुलाई की तारीख आपको याद होगी। मुख्य सचिव ने अधिकरण के रजिस्ट्रार से पूछा कि कितने ऐसे मामले हैं तो उसने चिट्ठी भेज दी कि हमने 60 मामलों में स्टे दिया है। आपको याद होगा कि 16 जुलाई को एक आर्डर निकला स्टे देने का अधिकार छीन लिया गया है। तो जब यह पहली चोट अधिकरण पर हुई तो यह मामले पेंडिंग में चले गये। तो जब मामले पेंडिंग में जा रहे हैं तो क्या किया जाय जैसा कि राम गोविन्द चौधरी जी ने कहा उन बातों को मैं नहीं दोहराऊंगा।

आपके प्रदेश के राजनीतिक नेतृत्व ने सीधे कर्मचारियों के चरणों में मस्तक डाल दिया। वह किस तरह हुआ कि अधिकरण में दो सदस्य होते हैं एक आई० ए० एस० का होता है और दूसरा उच्च न्यायिक सेवा का। अब एक होगा। यह क्यों किया। आपने न्यायालय और उच्च न्यायालय के दरवाजे बंद कर दिये। आज उत्तर प्रदेश का कर्मचारी चमोली से लेकर बलिया तक का लखनऊ आता है। पहले वह जिले में न्याय पाता था जो आपने बंद कर दिया। इसमें दो आदमियों का प्रावधान इसलिए किया था कि एक आदमी प्रशासनिक सेवा का होता था और दूसरा जुडीशियल सर्विस का ताकि दोनों अपने-अपने क्षेत्र की प्रक्रिया को बतायेंगे। लेकिन आप किसी को आप अधिकरण में ट्रान्सफर करते हैं तो वह इसे अपने लिए सजा समझता है। कोई वहां जाना नहीं चाहता है। माननीय मन्त्री जी को खुद जानकारी है कि अधिकरण में कितने पद रिक्त पड़े हैं। आपका उन अधिकारियों पर जोर नहीं है आप राजनीतिक कारणों से ट्रान्सफर करते हैं। आज भी अनेक पद अधिकरण के रिक्त पड़े हैं। आप दो लोगों के उसमें रहने के लिए कोई तरीका निकालते या उस पर दबाव डालते या प्राविधान करते कि अगर कोई अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा तो उसे सजा मिलेगी तो वह वहां जाता और लोगों को समय पर न्याय मिलता— जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड वाली बात है। वहां पर आज कितने मामले पेंडिंग पड़े हैं। बजाय इसके कि आपने यह कर दिया है कि दो में से एक ही रहेगा तो उसका निर्णय मान लिया जायेगा।

(लाल बत्ती जलने पर)

मान्यवर, आपकी लाल बत्ती देखकर डर लगता है लेकिन मैं समझता हूं कि मेरे ऊपर समय की सीमा नहीं होनी चाहिये थी। नियमों के अधीन मैं किसी बात को दोहराऊंगा तो आप मुझे रोक सकते हैं। इससे आपने प्रशासनिक अधिकारी को गलत निस्तारण करने के

लिए अधिकार दे दिया और इससे न्याय को दुरूह कर दिया है । आपने स्थगन की बात को खत्म कर दिया । दूसरा इसी तरह से जो आपने व्यवस्था की है उसका परिणाम यह हुआ है कि जो अपील का समय तीन साल तक का है । आपने एक साल कर दिया है । आपने लाल बत्ती कर दी मैं संक्षेप में बात कहूंगा । जो तर्क यहां पर मैंने दिये हैं उनसे मैं समझता हूं कि अ दरणीय सदन सहमत होगा । इससे आप रोग का निदान नहीं कर रहे हैं । आज वादों की संख्या बढ़ रही है उसको अ प दबाना चाहते हैं । आपने अपील का अधिकार समाप्त कर दिया और इसके निर्णय को अंतिम कर दिया है । चूंकि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले जो होते हैं वे आपके खिलाफ जाते हैं । आपने कर्मचारियों का वह अधिकार खत्म कर दिया । आप संख्या बल से जिस तरह चाहते हैं यहां पर विधेयक लाकर हमसे प स करवा लेते हैं क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया पर आपकी आस्था नहीं है और यदि आस्था है तो संख्या कम करने के लिये कोई प्रक्रिया तय करें जिससे कर्मचारियों को न्याय मिल सके और संख्या कम हो जाये । इसलिये जुडीशियल सर्विसेज का कर्मचारी जरूर होना चाहिये और सदस्यों पर बंधन लगायें कि वह अनुपस्थित न रहें ।

मान्यवर, आपने संख्या बतायी कि 1977 में 2 और अब 5 तो वह 15 क्यों नहीं कर सकते हैं जब कि करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, लेकिन अन्याय को बढ़ने के लिये रुपये का बहाना लेकर पर्दा डालना चाहते हैं । इसलिये मेरी मांग है कि इसको प्रवर समिति को सौंपें जहां सोचा जाये कि रोग का निदान कैसे होगा और ऐसा न हो कि रोग निदान से भयंकर हो जाय फिर चाहे 15 अधिकरण हो जायं । मान्यवर, राजस्थान में विकेन्द्रित व्यवस्था हो गयी है । उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में इस बात की आवश्यकता है कि बूर के कर्मचारी को हर पेशी पर लखनऊ आने की क्या जरूरत है । उसकी, कोर्ट्स की सिटिंग प्रदेश की हर कमिश्नरी में होनी चाहिए, मैं कमिश्नरी पर हठ नहीं करता हूं, लेकिन प्रदेश में 5–7 जगहों पर बैठकें होनी चाहिए, इसलिए इसको प्रवर समिति को सौंप दें । आपने इसके लिये आर्डिनेन्स किया था और उसमें काफी समय हो गया है, इसलिए ऐसा कोई मुद्दा नहीं है कि आर्डिनेन्स में भेजते । इसलिए इसको प्रवर समिति को दें और उसमें विरोधी पक्ष के सदस्यों को चाहे न भेजें सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों को ही भेजें और विचार करें कि रोग का निदान कैसे होगा जिससे कर्मचारियों को न्याय मिल सके और इसके लिए कोई अच्छी विधि बनायें । इन शब्दों के साथ मैं अपने प्रस्ताव पर पुनः बल देते हुए मांग करता हूं कि इसे प्रवर समिति को भेज दें ।

श्री गौरी शंकर––

मान्यवर, श्री राजेन्द्र गुप्त जी ने जहां तक इस बात को स्वयं स्वीकार किया है कि विवादों की जो संख्या बढ़ रही है और उनका निस्तरण लम्बित है वह संख्या कम हो और जो मामले लम्बित हैं उनका शीघ्रता से निस्तारण हो सके इस बात को सुनिश्चित करने के लिये अधिकरणों की संख्या दो से पांच कर दिया है और उनकी संख्या बढ़ाने का आशय उनका था कि उचित निस्तारण हो । मान्यवर, यह अनुभव किया गया था कि इन अधिकरणों में जितने अधिकारियों की नियुक्ति होती थी वह कभी–कभी नहीं आते थे । तो इस बात को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था की है कि प्रत्येक सदस्य को 300 रुपये प्रति माह की दर से परिवहन भत्ता दें और प्रत्येक सदस्य को निःशुल्क आवास और यदि आवास नहीं तो 1,500 रुपया का आवासिक भत्ता दें । इसके साथ ही न्यायिक सदस्यों को सीधी टेलीफोन की व्यवस्था भी की गयी है जो कि पहले नहीं थी । इस प्रकार अब अध्यक्ष और न्यायिक सदस्य दोनों को ही यह सुविधा

प्रदान की गयी है । इन निर्णयों से आशा है कि इन अधिकरणों में जो लोग आयेंगे, जो इच्छुक होंगे, उससे पद रिक्त नहीं रहेंगे और वादों का निस्तारण शीघ्रता से होगा ।

माननीय, श्री गुप्त जी ने यह भी कहा है कि कर्मचारियों, सदस्यों को अधिकरणों में स्थानान्तरण करना एक प्रकार से दंड देना है । तो मैं कहना चाहता हूं कि स्थानान्तरण एक शासन तंत्र की व्यवस्था है, उसका उल्लेख करना मैं उचित नहीं समझता हूं क्योंकि स्थानान्तरण तो एक शासनतंत्र की व्यवस्था है और उसे दंड की परिभाषा नहीं दे सकते हैं और दंडित करने के उद्देश्य से अधिकरण में लाते हैं, मैं समझता हूं कि ऐसा विचार उनका नहीं होना चाहिये । मैं उनसे अपेक्षा और आशा करता हूं कि वह अनुभवी सुझावों को सुनाते । अभी तो हमने जो हमारे लोकसेवक और कर्मचारी हैं उनके मामलों को निस्तारित करने के लिए जिस अच्छी नियत से जो संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया है उसको कृपया स्वीकार करें ।

यह 28 जनवरी, 1985 को जारी किया था और उसको पुरःस्थापित करने के बाद आज यह विधेयक लाया जा रहा है, कृपया आप लोग इसको पारित करें।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

माननीय, आपकी आज्ञा से मैं इस पर एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । मैं इसमें सभी सदस्यों की राय प्रस्तुत कर रहा हूं, क्या आप अधिकरणों की संख्या इतनी बढ़ाने को तैयार हैं कि प्रत्येक कमिश्नरी स्तर पर एक-एक अधिकरण हो जाएं ?

श्री गौरी शंकर--

वर्तमान समय में इसके लिए ऐसी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है, लेकिन यदि आगे ऐसी कोई आवश्यकता आएगी तो शासन में उस पर विचार होगा । लोक सेवकों के हित में जो भी कदम उठाने होंगे, शासन उन्हें उठाएगा ।

श्री अध्यक्ष--

रामगोविन्द जी, आप अपने संकल्प को वापस लेते हैं ?

श्री रामगोविन्द चौधरी--

हमने जिन बातों को माननीय, आपके माध्यम से सदन में रखा था और मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया था, उन पर उन्होंने तो यही कह कर उसे उलट दिया कि हमने उसे न पढ़ा है न समझा है । यों वो हमसे ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन हो सकता है कि इधर से उधर जल्दबाजी में जा कर वह मंत्री हो गये हैं, परन्तु उनमें बहुत सी कमी रह गयी है । इसलिए वह अधिक तेज बनने की कोशिश करते हैं. अन्यथा अधिकरण को स्वतंत्र बाडी के रूप में बनाया गया था कि इसमें सरकारी हस्तक्षेप नहीं होगा । लेकिन, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अधिकरणों के ऊपर बराबर शासन का हस्तक्षेप हो रहा है और वह बढ़ता भी जा रहा है तथा शासन अपने मन के अनुसार उनको चलाना चाहता है । वे न्यायालय के आदमी को ही रखें, दो को रख दें या एक को रख दें, यह बात तो समझ में आ सकती है, लेकिन दो को न रखने से जो चिन्ता है वह यह है कि हर जिले में अधिकरण गठित किये जाने की छूट होनी चाहिये । लोकसेवकों के लिए यह व्यवस्था बने जिससे अपने मामलों का निराकरण अपने जनपद में ही करा सकें । जब सरकार ने अधिक संख्या में ट्रांस्फर किया था तो कर्मचारियों एवं अधिकारियों का उन्होंने उस पर रिट किया और अधिकरण ने उस पर स्थगन आदेश दे दिया तो ये बाद में दूसरी एक हिदायत के द्वारा स्थगन आदेश देने से रोक दिया । तो किसी भी तरह से यह उसको निष्क्रिय नहीं रहने देना चाहते हैं और इस तरह से लोक सेवकों के हितों की कतई रक्षा नहीं हो

सकती हूं । इसलिए मैं पुनः कहना चाहता हूं वो वकील हैं, तेज तर्रार भी हैं, डकैतों के इलाके से आते भी हैं। यह अगर चाहते हैं कि प्रदेश के लोक सेवकों के हितों की रक्षा हो, तो वह इस विधेयक को तत्काल वापस ले लें और तमाम जो इसमें खामियां रह गयी हैं, उनको दूर करने का पूरा प्रयास किया जाए। एक अच्छे विधेयक के रूप में खामियां दूर करके पुनः ले आवें, तो बात बन सकती है । इसके साथ मैं पुनः अपने संकल्प पर बल देता हूं ।

श्री मित्रसेन--

मैं इस पर एक स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

देखिये अब समय हो गया है, इस सबके लिए समय नहीं है । मंत्री जी आपको कुछ कहना है ।

श्री गौरी शंकर--

मैं तो यही अनुरोध करूंगा कि वह इसको वापस ले लें और जैसा मैंने प्रस्ताव किया है, उसको यह पारित करें।

श्री मित्रसेन--

मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री इन्होंने जो अपने संशोधन में 3 साल के बजाए एक साल का रखा है यदि हमें अपना वाद प्रस्तुत करने का समय इन्होंने घटाया है, तो क्या निर्णय देने के समय को भी यह समयबद्ध करेंगे ? क्योंकि कोई-कोई मुकदमें 10-10 साल चलते रहते हैं । इस बारे में मुख्य मंत्री जी अपनी स्पष्टीकरण दें ?

श्री गौरी शंकर--

श्रीमन्, जल्दी निर्णय लेने के लिए ही यह उपाय किये जा रहे हैं ।

(श्री राजेन्द्र गुप्त के खड़े होने पर।)

श्री अध्यक्ष--

गुप्त जी, आपको कुछ कहना है।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

मैं अपने प्रस्ताव को वापस ले लेता, किन्तु मैं विरोध पक्ष की राय को एक शब्द में व्यक्त करना चाहता हूं । सरकार की ओर से आप क्या यह घोषणा करने के लिए तैयार हैं कि अधिकरणों की संख्या बढ़ायी जायगी और हर कमिश्नरी में अधिकरण स्थापित किये जायेंगे ? यह मैं जानना चाहता हूं ।

श्री गौरी शंकर--

मान्यवर, पहले से ही काफी संख्या है । अभी इनकी संख्या बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है ।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, प्रदेश के जितने हमारे 22 लाख कर्मचारी हैं उनके हितों पर सरकार कुठाराघात करने वाली है और न्याय प्रक्रिया की हत्या करने वाली है इसलिये मैं इस पर असंतोष प्रकट करता हूं और स्वयं अपने दल के साथ बहिर्गमन करता हूं ।

(श्री राजेन्द्र गुप्त अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अध्यादेश, 1985 का अननुमोदन करता है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 1985 को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 1985 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 2 से खण्ड 6 तक खण्ड-1, प्रस्तावना एवं शीर्षक

# उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 1985

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

## विधेयक

भारत गणराज्य के छत्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अधिनियम, 1985 कहा जायगा ।

(2) यह 28 जनवरी, 1985 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 सन् 1976 की धारा 1 का संशोधन ।

2—उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 1 में, उपधारा (4) में, खंड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्--

"(च) लोक आयुक्त के कर्मचारीवर्ग के सदस्य ।"

नई धारा 4-क का बढ़ाया जाना

3--मूल अधिनियम की धारा 4 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्--

अधिकरण द्वारा निदश की सुनवाई

"4--क-(1) दावे के किसी निर्देश को जिसमें सेवा से पदच्युति या हटाये जाने या पंक्तिच्युत किये जाने के किसी आदेश की विधिमान्यता अन्तर्ग्रस्त हो, सुनवाई और उसका अन्तिम रूप से विनिश्चय अधिकरण के दोनों सदस्यों द्वारा किया जायगा :

परन्तु दोनों सदस्यों में से किसी भी सदस्य द्वारा ऐसे आदेश से जिसमें मामले का अंतिम रूप से निस्तारण कर दिया गया हो, भिन्न कोई आदेश पारित किया जा सकता है, साक्ष्य लिया जा सकता है और कार्यवाहियों (मामले के अन्तिम निस्तारण के लिए मौखिक बहस की सुनवाई को छोड़कर) का संचालन किया जा सकता है ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट दावे से भिन्न दावे के किसी निर्देश की सुनवाई और उसका अन्तिम रूप से विनिश्चय अधिकरण के एक सदस्य द्वारा किया जा सकता है ।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन अधिकरण के किसी एक सदस्य द्वारा किया कोई कार्य अधिकरण द्वारा किया गया समझा जायगा ।"

धारा 5 का संशोधन

4--मूल अधिनियम की धारा 5 में,--

(क) उपधारा (1) में, खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जाएगा, अर्थात्--

"(ख) धारा 4 के अधीन किसी निर्देश पर परिसीमा अधिनियम, 1963 के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तन सहित, लागू होंगे मानों निर्देश सिविल न्यायालय में दाखिल किया गया कोई वाद हो किन्तु--

(1) उक्त अधिनियम की अनुसूची में विहित परिसीमा-काल के होते हुए भी, ऐसे निर्देश के लिए परिसीमा-काल एक वर्ष होगा;

(2) परिसीमा-काल की संगणना करने में, उस दिनांक से जब लोक-सेवक अपनी सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले नियमों या आदेशों के अनुसार कोई अभ्यावेदन करता है या कोई अपील, पुनरीक्षण या कोई अन्य याचिका (जो राज्यपाल को दिया गया विनिवेदन न हो) प्रस्तुत करता है, प्रारम्भ होने वाली, और उस दिनांक को जब ऐसे लोक-सेवक को, यथास्थिति, ऐसे अभ्यावेदन, अपील, पुनरीक्षण या याचिका पर दिये गये अंतिम आदेश की जानकारी हो, समाप्त होने वाली अवधि को सम्मिलित नहीं किया जायगा :

परन्तु कोई निर्देश जिसके लिये परिसीमा अधिनियम, 1963 द्वारा विहित परिसीमा-काल एक वर्ष से अधिक हो धारा 4 के अधीन निर्देश उस अधिनियम द्वारा विहित अवधि के भीतर या उत्तर प्रदेश लोक-सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अधिनियम, 1985 के प्रारम्भ से ठीक एक वर्ष के भीतर, इसमें जो भी अवधि पहले समाप्त होती हो, किया जा सकता है :

परन्तु यह और कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अधिनियम, 1985 द्वारा यथा प्रतिस्थापित इस खंड की किसी बात का कोई प्रभाव किसी ऐसे निर्देश पर नहीं पड़ेगा जो उक्त अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व किया गया और विचाराधीन हो।"

(ख) उपधारा (2) में, शब्द "मौखिक बहस" के स्थान पर शब्द "मौखिक या लिखित बहस" रख दिये जायेंगे;

(ग) उपधारा (7) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाएगी, अर्थात्--

"(7) जहां अधिकरण किसी पक्षकार के पक्ष में उपधारा (6) में निर्दिष्ट घोषणा से भिन्न कोई आदेश दे और ऐसे आदेश का अनुपालन ऐसे आदेश के दिनांक से तीन मास की अवधि तक न किया जाय, वहां अधिकरण उस पक्षकार के, जिसके पक्ष में आदेश हो, आवेदन-पत्र पर, यथास्थिति, अपने द्वारा अधिनिर्णीत धनराशि की वसूली के लिए या अनुदत्त किसी अन्य अनुतोष के लिए प्रमाण-पत्र जारी कर सकता है । जिस पक्षकार के पक्ष में ऐसा प्रमाण-पत्र जारी किया जाय, वह अधिकरण के आदेश का निष्पादन करने के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित आरम्भिक अधिकारिता वाले प्रधान सिविल न्यायालय को जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमा के भीतर वह कर्मचारी ऐसे सेवायोजक के पास, यथास्थिति, तत्समय कार्य कर रहा हो या अंतिम बार कार्य किया हो, आवेदन कर सकता है और तदुपरान्त ऐसा न्यायालय प्रमाण-पत्र का उसी रीति से और उसी प्रक्रिया के अनुसार निष्पादन करेगा या करायेगा मानो वह किसी वाद में उसके द्वारा समान अनुतोष के लिए पारित डिक्री हो ।"

धारा 6 का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) में, शब्द "खंड (क) से (ङ)" के स्थान पर शब्द "खंड (क) से (च)" रख दिये जायेंगे ।

निरसन और अपवाद ।

6—(1) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अध्यादेश, 1985 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 3 सन् 1985

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो यह अधिनियम सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त था ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 2 से खंड 6 तथा खंड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री गौरी शंकर—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञ से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 1985 पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 1985 पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

## उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1985

आबकारी मन्त्री (श्री अजीत प्रताप सिंह)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1985 पर विचार किया जाय ।

श्रीमन् बहुत सीधा-साधा (संशोधन) विधेयक है । हमारे आबकारी विभाग में बकाया इतना बढ़ गया है कि उसको वसूल करने में बड़ी कठिनाई हो रही है । इसीलिये पेनल इंटरेस्ट लगाने का हमारा सुझाव है । इसके लग जाने से हमारी जो वसूली है, वह आसान हो जायगी । हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे माननीय सदस्य इसको स्वीकार करेंगे ।

*श्री राजेन्द्र गुप्त—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1985 को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय । जो एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे ।

मान्यवर, मैं केवल दो वाक्य कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा ताकि हमारे अन्य माननीय सदस्यों को बोलने का मौका मिले । मान्यवर, माननीय राजा साहब इस विभाग के मन्त्री हैं । उनकी मैं बहुत तारीफ करता हूं, वह बहुत ही अच्छे आदमी हैं । तो ऐसा बिल वह पेश करें, मान्यवर, यह उनके आचरण से तालमेल नहीं खाता है कि वह पुराने जमाने के राजा महाराजाओं जैसा आचरण करें । अपना पैसा वसूल करना हो तो डंडे से वसूल करें, लेकिन जब राजा पर जनता का बकाया हो जाय तो उसकी क्या हिम्मत कि बोल दें । ठेकेदार से वसूल करना हो डंडा मार कर वसूलें, लेकिन सरकार पर बकाया है तो उसको दे नहीं । यह डबुल स्टैन्डर्ड हैं । गन्ना किसान है अगर इनका बकाया हो गया तो 14 परसेन्ट ब्याज आप इनको दिलवा दें । लेकिन आप ब्याज नहीं देंगे । मैंने सबेरे एक सवाल किया था पेन्शनरों को ब्याज देने के बारे में । मेरा कहना है कि वह राजकीय सेवा के हैं, पेंशन मिलने में वर्षों लग जाते हैं । सुप्रीम कोर्ट का जजमेन्ट है कि आप उनको ब्याज दीजिये ? आप ब्याज देने के लिए तैयार हैं ? तैयार नहीं है । आपका पैसा जो उनके ऊपर बकाया है, उसको तो डंडा मार कर आप वसूल करेंगे, लेकिन उनका जो पैसा है, उस पर आप ब्याज देने के लिए तैयार नहीं हैं । यह डबल स्टैन्डर्ड है । वही स्टैन्डर्ड अपने लिए भी लागू करें । क्योंकि आपने डबुल स्टैन्डर्ड बनाया है, इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी--

मैं उत्तर प्रदेश आबकारी संशोधन विधेयक, 1985 में जो माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने संशोधन प्रस्तुत किया है, उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। बड़ी वेदना होती है, उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के लोगों को आबकारी नीति के सम्बन्ध में विचार कर और खासतौर से आपके पीछे जो महात्मा गांधी का चित्र लगा हुआ है, उसको देखकर यही वेदना और भी बढ़ जाती है, क्या यही उनका सपना था ? भारत के संविधान के आर्टिकिल 47 में स्पष्ट उल्लेख है कि प्रदेश सरकार मादक पदार्थों के उपभोग पर प्रतिबन्ध लगायेगी। लेकिन ऐसा मालूम होता है कि मादक वस्तुओं के सेवन को कम न करके एक ओर तो मद्य निषेध का स्वांग रचाया जा रहा है और दूसरी ओर आबकारी विभाग को उद्योग के रूप में पनपाने का काम किया जा रहा है।

(व्यवधान)

इस टोका-टोकी से मालूम होता है कि सारा की सारी मादक चीजों को नशा उधर हो है। तो मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह संशोधन जो प्रस्तुत किया है, उसमें जिन लोगों के ऊपर बकाया है, उनको ब्याज की परिधि में बांधने का प्रयास किया गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि आबकारी विभाग का कितना रुपया कितने लोगों पर बकाया है ? जिनके नामों-निशान का पता नहीं है, आप कानून पर कानून बनाते चले जायं, किन्तु जब तक वह प्रभावी न हो, तब तक वह बेकार है। इनके आबकारी विभाग में जो ठेके दिये जाते हैं, वह फर्जी नामों से दिए जाते हैं और उनमें ऊपर से लेकर नीचे स्तर तक सभी का कमीशन बंधा हुआ है।

मैं समझता हूं कि आप जो ब्याज का प्राविधान कर रहे हैं, उससे ज्यादा यह उपयोगी होगा कि आप ठेके जो देते हैं, ऐसे लोगों को दें, जिनके नाम पता ठिकाना सही हो, जिनसे बकाया पैसा तो वसूल हो सके। यह दोहरी नीति नहीं चलेगी। एक ओर जब आप जनता से चाहते हैं कि सरकारी बकाये पर ब्याज मिले, तो यह भी आवश्यक है कि जो करोड़ों रुपये गन्ना किसानों का सरकार पर बकाया है, उसको भी आप ब्याज दें। 15-15 वर्ष उनको पैसे के लिये प्रतीक्षा करना पड़ता है। जिन पेंशनरों का पेंशन के रूप में और राज्य कर्मचारियों का वेतन व अन्य देयों के रूप में सरकार पर बकाया है, उस पर आप ब्याज नहीं देते हैं और न बिक्री कर के रूप में व्यापारी का जो अतिरिक्त धन जमा हो जाता है, उसको रिफन्ड होने से पूर्व कोई ब्याज देते हैं, जबकि उन्हें भी ब्याज मिलना चाहिये। एक ओर आप नशाबन्दी चलाते हैं और दूसरी ओर मादक वस्तुओं का उपयोग बढ़ाते हैं। कृपा करके चलने में दूध दुहने की कहावत चरितार्थ न करें। मान्यवर, यह ऐसा गम्भीर विषय है, जिस पर माननीय राजेन्द्र गुप्त जी ने जो संशोधन पेश किया है, उस संशोधन के तहत इसे प्रवर समिति के सुपुर्द करना आवश्यक है।

खाद्य तथा रसद मन्त्री (श्री वासुदेव सिंह)--

मान्यवर, माननीय गुप्ता जी तो संवैधानिक मामलों में पारंगत हैं, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि उन्होंने इस आबकारी विधेयक को पढ़ा नहीं। संदेह होता है। हम उन बड़े लोगों पर जो अदालतों का सहारा लेकर, हमको जो उचित देय है वह नहीं देते हैं। ब्याज लगा रहे हैं। 67 करोड़ का बकाया है। एक के जिम्मे 34 करोड़ का बकाया है। जब मैं आबकारी मन्त्री था तो उसने आदमी भेजकर मिलने की मिन्नत की मैंने मनाकर दिया। कहला दिया कि 34 करोड़ का बकाया अदा करें तब मिलें। तो यह 34 करोड़ रुपये का मामला है। उस पर ब्याज लेता है पूंजीपति, और हमको ब्याज नहीं मिलता है। क्योंकि वह अदालत में 12-12 साल, 10-10 साल रुपया देकर रोक लेते हैं,

तो मैं समझता हूं कि इस विधेयक का तो आपको हार्दिक समर्थन करना चाहिये । हम पूंजीपतियों को पाबन्द करना चाहते हैं, यदि आप इस विधेयक क विरोध करते हैं तो यह उनकी वकालत करने की कुचेष्टा होगी । इन लफ्जों के साथ में कहूंगा कि यह राजस्व के हित में है, जनता के हित में है, विकास कार्यों को बढ़ाने के हित में है। ऐसे लोग जो कानून को हाथ में लेकर सरकार के साथ धोखाधड़ी करते हैं, उनके लिये एक प्रतिबन्धित प्राविधान किया गया है । जन कल्याण के लिये जो पैसा उनके पास रह जाता है, जिस पर वह दोहरा ब्याज लेते हैं, हमको लूटते हैं, उनके विरुद्ध है यह ।

ऐसे पूंजीपतियों को पाबन्द करने के लिये इस विधेयक को पेश किया गया है । मैं राजेन्द्र गुप्त जी से अनुरोध करूंगा कि उनको बचाने की कुचेष्टा से विरत रहें तो उचित होगा, मैं समझता हूं कि वह अपना संशोधन वापस ले लेंगे ।

श्री गोपालदास यादव—

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि ओस चाटने से प्यास नहीं जाती है । आज जो आपके सामने यह मद्दा आया है । आबकारी विभाग के मंत्री जी समझते हैं कि जो अंग्रेजी शराब की दुकानें और देशी शराब की दुकानें चलती हैं, वहीं तक सीमित हैं, लेकिन मान्यवर, मैं केन्द्रीय सलाहकार समिति का सदस्य रहा हूं जो डाइरेक्ट अंग्रेजी शराब पर्चेज करता है, उसे आबकारी कर देना पड़ता है ।

मान्यवर, मैं विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा इलाहाबाद के अन्दर जहां मुख्यालय है, वहां जाकर आप देखें उनकी नाक के नीचे अवैध शराब की भट्टियां चलती हैं, आप सोचें कि आपका कितना नुकसान होता है । वहां कोई पाबन्दी नहीं की जाती है । ऐसा मालूम होता है पुलिस के थाने के लोग छूट देते हैं इस तरह से लूट होती है । यह जो संशोधन आया है, इसमें माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी कहा कि हमारा दिल बड़ा हो गया । मान्यवर, अल्कोहल होम्योपैथी दवाओं के अन्दर दिया जाता है । अल्कोहल से मर्फिया और पैथोडीन के इंजेक्शन बनते हैं, लेकिन अस्पतालों के अन्दर जब किसी को दिल का दौरा पड़ता है तो मरीज तड़प-तड़प कर मर जाता है, उसे मार्फिया और पैथोडीन का इंजेक्शन उपलब्ध नहीं हो पाता है । इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने नेशनल सेविंग के अन्तर्गत जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट लागू किया है वह उचित नहीं है इससे प्रदेश को जो घाटा हुआ है इसको मद्दे नजर रखना होगा । मैं कहना चाहता हूं कि जो इस प्रकार का दुरुपयोग हो रहा है वह ब्याज के प्रश्न से अधिक महत्वपूर्ण है । इन बातों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं ।

[समय 6 बजकर 15 मिनट]

श्री राम गोविन्द चौधरी—

श्रीमन्, जो इन्होंने राजस्व को बढ़ाने के लिये 24 प्रतिशत सूद का प्राविधान किया है और जैसा प्रोफेसर साहब ने कहा पूंजीपतियों को बचाने के लिये गुप्ता जी ने बात कही है । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि साधारण काश्तकार जिसके ऊपर दो सौ, तीन सौ रुपया लगान का बाकी रहता है उसको वसूलने के लिये काश्तकार को जेल में बन्द कर देते हैं । मैं चुनौती के साथ कहना चाहता हूं कि कितने ऐसे लोग हैं जिन पर बकाया है, उनमें से कितनों को बन्द किया गया है। इसलिये नहीं बन्द किया गया है कि वह शासन को पैसा देते हैं और चुनाव में उसका प्रयोग किया जाता है । यह एक बहाना है, इसकी वसूली नहीं होगी ।

आज एक व्यक्ति के ऊपर 34 करोड़ का बकाया है कल 36 करोड़ होगा, वह देने नहीं जा रहा है । वसूल करने का कोई कठिन प्राविधान नहीं किया गया है कि अमुक डेट को बकाया भुगतान नहीं करेंगे तो उनको ठेका नहीं दिया जायेगा, उनको कैंसिल कर दिया जायगा । जेल में बन्द कर दिया जायेगा या दूसरे तरीके से उनको प्रताड़ित किया जायेगा । लेकिन हम जानते हैं इन सारी बातों की तरफ विरोध पक्ष की तरफ से बार-बार यह कहा गया है कि जानबूझ कर शासन पक्ष बकाया का भुगतान नहीं कराता है । इसलिये अपनी बात को छिपाने के लिये 24 प्रतिशत ब्याज लगाया गया ।

राजस्व की आय दूसरी तरफ से क्यों नहीं बढ़ाते हैं । अंग्रेजी शराब और देशी शराब जो बनती है उससे ज्यादा 10 गुना और 20 गुना अधकांश गांवों में जनपद की बात तो छोड़ दीजिये, अवैध शराब का धंधा हो रहा है । आपके विभाग के लोग, पुलिस प्रशासन के लोग इस अवैध शराब के धंधों को चलवाते हैं । अपने विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को देखें उनके पास इतना पैसा कहां से आया । श्रीमन् उनके घर आप जायं और उनका रहन-सहन देखें तो ऐसा मालूम पड़ेगा जैसे जिलाधिकारी हों और वह हैं चपरासी । इन्सपेक्टर और सुपरिन्टेंडेन्ट की तो बात छोड़ दीजिये, जो शराब का ठेका होता है उसको क्यों नहीं रुकवाते हैं । अवैध शराब के धंधे को क्यों नहीं रुकवाते हैं, जो अधिकारी और कर्मचारी ठेकेदारों से पैसा लेकर अवैध शराब का निर्माण करवाते हैं और घूस लेते हैं । उस घूस को पैसे को क्यों नहीं वापस करवाते हैं । अगर अवैध शराब का निर्माण बन्द करवा दें, जो अधिकारी और कर्मचारी पैसा लेते हैं उसको बन्द करा दें, तो आपके पास इतना पैसा हो जायेगा कि उत्तर प्रदेश के 1/4 भाग विकास से परिपूर्ण हो जायेगा । बैंक किसी को पैसा देता है तो 14 प्रतिशत सूद लेता है, और किसी का पैसा लेता है तो 4 प्रतिशत सूद देता है । बैंक का 14 प्रतिशत और सबसे अधिक आपका 24 प्रतिशत कहां का न्याय है जो आप उनसे लेने जा रहे हैं । आप अगर राजस्व की आय बढ़ाना चाहते हैं तो इस विधेयक को वापस लें । कोई दूसरा उसमें प्राविधान कीजिए जिससे दण्ड के जरिये या उनकी नीलामी कैंसिल की वजह से वह अपने बकाय का भुगतान करें । आप उसको रोकें । अन्यथा वे झूठे अपने लाभ के लिए आपके यहां आवेदन पत्र लेकर दौड़कर आयेंगे कि हमारा बकाया माफ कर दिया जाय । इसलिए मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि पूंजीपतियों का सबसे बड़ा समर्थक शासकदल है और शासकदल की नीतियों के कारण आबकारी विभाग के अधिकारी और कर्मचारी दिन प्रतिदिन पूंजीपति होते जा रहे हैं, पूंजीपति के समर्थक आप हैं और गरीबों के समर्थक हम हैं हमारी बात को आप मान लीजिए और अगर आप जनहित का काम करना चाहते हैं तो तत्काल इस विधेयक का वापिस कीजिए और एक बढ़िया सा विधेयक सब लोगों से जानकारी प्राप्त करके और विधि विशेषज्ञों से राय लेकर लावें । आप इस विधेयक को वापिस कीजिए क्योंकि यह विधेयक जनहित में नहीं है । श्रीमन्, म इन्हीं बातों के साथ श्री राजेन्द्र गुप्त जी की बातों का समर्थन करता हूं ।

श्री मैनेजर सिंह--

मान्यवर, जो माननीय मंत्री जी के बिल पर माननीय राजेन्द्र गुप्त जी ने जो प्रस्ताव पेश किया है उसका मैं समर्थन करता हूं । अभी जो माननीय खाद्य मंत्री जी ने कहा उसके सम्बन्ध में मैं शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो छोटे-छोटे किसान और मजदूर बकायेदार होते हैं उनकी वसूली के लिए आप उन्हें बन्द कर देते हैं । किसानों का बकाया, मिल मालिकों के पास, पूंजीपतियों के पास रह जाता है आप उनसे उनको सूद दिलवाइये

आपने किसानों की कमर तोड़ दी है यह आपकी दूतरफा नीति है आपको उसकी तरफ ध्यान देना जरूरी है । यह जो पैसे वाले लोग हैं इनसे आपको किसानों के बकाये का सूद दिलवाना चाहिए । इन पूंजीपतियों से आप अपनी रकम को छोड़ दीजिए सूद भी नहीं वसूल पाते हैं । आपका कलेक्टर हजारों रुपये घूस लेकर उनको साल्वेंसी सर्टिफिकेट देता है आप इसकी जांच करवाइये कि जो बकायेदार हैं उनका वजूद है या नहीं है । यदि इसमें जांच करायी जाय तो मेरा निश्चित मत है कि इसमें से एक तिहाई नाम फर्जी निकलेंगे ।

श्री राजेन्द्र गुप्त–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं सम्माननीय सदस्यों के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने मेरे प्रस्ताव पर अपना विचार प्रकट किया । मैंने बड़े गौर से माननीय मंत्री जी के अभिभाषण को सुना वह मुझसे बड़े हैं मुझे सुझाव दे सकते हैं मैंने भी पढ़ा है कि आप जो 24 परसेन्ट इन्ट्रेस्ट का प्रावधान कर हैं और आप 18 परसेन्ट को कृपा करने जा रहे हैं । मैंने पढ़ लिया है, मैंने यह भी पढ़ा है कि जब तक कोई कारगर फैसला न हो, कम रकम लेते रहेंगे । इसलिए पूंजीपतियों को वकालत कौन करता है और कौन नहीं करता यह हर आदमी स्वयं समझता है । मैं याद दिलाना चाहता हूं, जैसा माननीय मैनेजर सिंह जी ने कहा, यह बकाया कैसे हो गया । क्या सरकार के कर्मचारियों ने नहीं दिया । पिछली बार साल्वेन्सी सर्टिफिकेट्स नहीं दिए गए थे, क्या मैंने पिछले साल इसके बारे में नहीं कहा था । मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या किसी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही हुई ?

श्री बासुदेव सिंह––

मान्यवर, मैं गुप्त जी को चुनौती देता हूं, वे बतावें कि किसी भी अपराधी को कब छोड़ दिया गया ।

श्री राजेन्द्र गुप्त––

मैंने इसी सदन में आरोप लगाया था । विद्याभूषण जी चले गए, नहीं तो उनको बताता, बड़े पैमाने पर यह बात हुई है कौन सांठ–गांठ कर रहा है पूंजीपतियों से यह प्रदेश की जनता जानती है । आप 24 के बजाय 40 परसेंट लगा दीजिए, लेकिन आखिर बकायेदार कौन है, ठेकेदार कौन है, कौन छुड़वाने आपके दरवाजे पर गया । मैं तो सिर्फ यह मांग कर रहा हूं कि यह दोहरा मानदन्ड नहीं होना चाहिए । मैं दोहरे मानदन्ड की निंदा कर रहा हूं । उनसे वसूली कीजिए लेकिन इसके साथ ही गरीब का भी ध्यान रखिए, गन्ना किसान का ख्याल कीजिए ।

आपके प्रशासन की विफलता के कारण सब काम बिगड़ रहा है । किसी मामले को प्रवर समिति में भेजने का तात्पर्य क्या होता है । जिस मामले से सिद्धांततः हम सहमत हैं, उसको प्रवर समिति में भेजने की बात होती है । असहमत होते हैं तो जनसाधारण में भेजने की बात होती है । प्रवर समिति में भेजने का तात्पर्य हम उसको और सुन्दर रूप में लाना चाहते हैं । आपको राजस्व प्राप्त हो और गरीब को तकलीफ न हो । इसलिए मैं प्रवर समिति को भेजने के प्रस्ताव पर बल देता हूं । मैं सुनिश्चित मत का हूं कि सरकार को दोहरे मापदन्ड की नीति का परित्याग करना चाहिए । लेकिन आप भ्रष्टाचार में लगे हैं । पहले खुली बोली होती थी, लेकिन आपने टेन्डर क्यों कर दिए । बेइमानी को शह देने के लिए । अबकी बजट आएगा तो इस पर और बताऊंगा । क्या यह सही नहीं है कि पिछली बार मैंने और मोहन सिंह जी ने यह मामला उठाया था । टेन्डर क्यों बदले गए । पूंजीपतियों को प्रश्रय कौन दे रहा है, सब लोग जानते हैं । इन शब्दों के साथ में फिर अपने प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री अजीत प्रताप सिंह--

मान्यवर, हमको खेद है कि हम इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकते । कारण यह है कि इसी 25 मार्च को नीलामी होने जा रही है और हम चाहते हैं कि नीलामी के पूर्व नियमों में संशोधन हो जाय । यह सही है कि विभाग में भ्रष्टाचार है । इसी को ध्यान में रखते हुए हमने यह कदम उठाया है । श्रीमन्, मैं विश्वास दिलाता हूं कि विभाग में जो भी खामियां हैं उनको दूर करने का हम प्रयत्न करेंगे ।

श्री अध्यक्ष —

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1985 को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष --

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1985 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 2, खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1985

संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 का अग्रेतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के छत्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है--

संक्षिप्त नाम

1--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 1985 कहा जायेगा ।

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 4 सन् 1910 में नया धारा 38-क का बढ़ाया जाना

2--संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 की धारा 38 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्--

आबकारी राजस्व के बकाया पर ब्याज

"38-क (1) जहां किसी आबकारी राजस्व का भुगतान उसके देय होने के दिनांक से तीन मास के भीतर न किया गया हो, वहां चौबीस प्रतिशत प्रति वर्ष से अनधिक दर पर, जैसी विहित की जाय, ब्याज ऐसे आबकारी राजस्व के देय होने के दिनांक से वास्तविक भुगतान के दिनांक तक देय होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि जब तक कोई उच्च दर विहित न की जाय, तब तक ब्याज की दर अट्ठारह प्रतिशत प्रति वर्ष होगी :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे आबकारी राजस्व के सम्बन्ध में, जो उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 1985 के प्रारम्भ होने के पूर्व देय हो गया हो, उक्त दर पर ब्याज ऐसे प्रारम्भ के दिनांक से देय होगा, यदि आबकारी राजस्व का भुगतान उक्त दिनांक के तीन मास के भीतर न किया जाय ।

स्पष्टीकरण--इस उपधारा की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि उससे किसी करार, नीलामी के निबन्धों या उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 1985 के प्रारम्भ के दिनांक के पूर्व दायर किये गये वादों या कार्यवाहियों में न्यायालय की किसी डिक्री, जो उक्त दिनांक के पूर्व पारित की गयी हो या उक्त दिनांक के पश्चात् पारित की जाय, के अधीन ब्याज के भुगतान पर प्रभाव पड़ता है ।

(2) ऐसे ब्याज की वसूली पर धारा 39 के उपबन्ध, यथावश्यक परिवर्तन सहित उस प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे आबकारी राजस्व की वसूली पर लागू होते हैं ।"

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खन्ड-2, खन्ड-1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अजीत प्रताप सिंह---

माननीय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1985 पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष —

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1985 पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

## गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्त नगर के प्रबन्धक बोर्ड में सदस्यों के निर्वाचन कार्यक्रम की सूचना

श्री अध्यक्ष --

केवल इसके कि मैं नियम 51 लूं एक सूचना आपको देनी है । सदन में दिनांक 20-3-85 को पारित प्रस्ताव के अनुसरण में गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पन्तनगर के प्रबन्धक बोर्ड पर कार्य करने के लिए बिधान सभा के दो सदस्यों के निर्वाचन हेतु निम्नलिखित कार्यक्रम निर्धारित किया गया है —

| | |
|---|---|
| (1) नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि तथा समय | 23 मार्च, 1985 को अपराह्न 4 बजे तक । |
| (2) नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की तिथि तथा समय | 25 मार्च 1985 को अपराह्न 2 बजे (सचिव, विधान सभा के कार्यालय कक्ष में) |
| (3) नामों की वापसी की अंतिम तिथि तथा समय | 26 मार्च, 1985 को अपराह्न 4 बजे तक । |

(4) निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान — दिनांक 8 अप्रैल, 1985 को पूर्वाह्न 10.30 बजे से अपराह्न 4-30 बजे तक विधान मंडल पुस्तकालय विधान भवन लखनऊ में होगा ।

2—उक्त निर्वाचन अनुपाती प्रतिनिधित्व के सिद्धांतानुसार एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा होगा ।

3—निर्वाचन से सम्बन्धित नाम निर्देशन पत्र विधान सभा सचिवालय के पटल कार्यालय से प्राप्त हो सकेंगे ।

## नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष —

आज नियम 51 की 6 सूचनायें प्राप्त हुई हैं जिसमें मैंने केवल श्री गया प्रसाद वर्मा की सूचना जो लखना, जनपद इटावा में जंगली जानवरों द्वारा फसलें बर्बाद करने के विषय में है, को स्वीकार किया है ।

शेष सूचनायें अस्वीकृत की गयी हैं ।

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 6 बजकर 32 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
20 मार्च, 1985

नत्थी 'क'

(देखिये पीछे पृष्ठ 21 पर)

# उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, 1985

संयुक्त प्रान्त मोटर गाड़ी कराधान अधिनियम, 1935 का अग्रेतर संशोधन करने लिए

## विधेयक

भारत गणराज्य के छत्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1985 कहा जायेगा ।

(2) यह 21 नवम्बर, 1984 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 5 सन् 1985 की प्रथम अनुसूची का संशोधन

2—संयुक्त प्रान्त मोटर गाड़ी कराधान अधिनियम, 1935 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, प्रथम अनुसूची में, भाग "ख" (परिवहन गाड़ियां) में अनुच्छेद 4 में—

(क) खण्ड (4), खण्ड (5) और खण्ड (6) में जहां-जहां भी शब्द 'ड्राइवर को छोड़कर' आये हों, उनके स्थान पर शब्द "ड्राइवर और कन्डक्टर को छोड़कर" रख दिए जायेंगे;

(ख) वर्तमान स्पष्टीकरण को पुनः संख्यांकित करके "स्पष्टीकरण 1" कर दिया जायगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित स्पष्टीकरण 1 के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण 2 बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्—

"स्पष्टीकरण 2 खण्ड (4) या खण्ड (5) या खण्ड (6) के अधीन कर की धनराशि की संगणना करने के लिए ड्राइवर और कन्डक्टर के बैठने के स्थान की गणना नहीं की जाएगी ।"

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 23 सन् 1984 का निरसन और अपवाद

3—(1) उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 1984 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

पी० एस० यू० पी०—9 वि० सभा—6-4-85—813 प्रतियां (पी० डी०)